द्वितीय माला, खण्ड ५—अंक २२

१२ अगस्त, १९५७ (सोमवार)

# लोक-सभा
# वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

(खण्ड ५ में अंक १२ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

136 LSD

# विषय-सूची


पृष्ठ

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर--**

तारांकित प्रश्न संख्या* ७८० से ७९१, ७९३, ७४९ और ७९९ . ३५०९—३२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ से ११ . . . . ३५३२—३९

**प्रश्नों के लिखित उत्तर--**

तारांकित प्रश्न संख्या ७९२, ७९५, ७९७, ७९८, ८०० से ८२२, और ८२४ से ८२८ . . . . . ३५३९—५२

अतारांकित प्रश्न संख्या ५८५ से ६१६ . . . ३५५२—६५

**अत्यावश्यक सेवा संधारण अध्यादेश का प्रतिसंहरण करने के सम्बन्ध में वक्तव्य** . ३५६५

**स्थगन प्रस्ताव--**

दिल्ली में विस्फोट . . . . ३५६६

**सभा पटल पर रखे गये पत्र** . . . . . ३५६७

**धन कर विधेयक और व्यय कर विधेयक** . . . . ३५६७-६८

प्रवर समितियों के प्रतिवेदन उप-स्थापित करने का समय बढ़ाया जाना ३५६७-६८

**अनुदानों की मांगें--**

पुनर्वास मंत्रालय . . . . . ३५६८—३६१२

श्री अ० सिं० सरहदी . . . . . ३५६९-७०

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती . . . . . ३५७१—७४

श्रीमती रेणुका राय . . . . . ३५७४—७७

श्री राधा रमण . . . . . ३५७७—८१

श्री घोषाल . . . . . ३५८२-८३

लाला अचिंत राम . . . . . ३५८३—८६

सेठ अचल सिंह . . . . . ३५८७-८८

श्री स० म० बनर्जी . . . . . ३५८८—९१

डा० सुशीला नायर . . . . . ३५९१—९६

श्री च० कृ० नायर . . . . . ३५९६—९८

श्री अजित सिंह . . . . . ३५९८—३६००

श्री सुबिमन घोष . . . . . ३६००-०१

श्री दी० चं० शर्मा . . . . . ३६०१-०२

श्री मेहर चन्द्र खन्ना . . . . . ३६०२—१३

**विशेषाधिकार का प्रश्न--**

वीरेन्द्र कुमार मजूमदार द्वारा पररूपधारण . . . ३५७०

**रेलों में विभागीय भोजन व्यवस्था के सम्बन्ध में आधे घंटे की चर्चा** . . ३६१३—१६

**दैनिक संक्षेपिका** . . . . . ३६१७—२०


*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

# लोक-सभा वाद-विवाद

## लोक-सभा

सोमवार, १२ अगस्त, १९५७

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

### संक्रामक यकृत्कोप[1]

†*७८०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मई, जून और जलाई, १९५७ में दिल्ली या नयी दिल्ली में किन्हीं व्यक्तियों को संक्रामक यकृत्कोप होने की सूचना मिली थी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : मई, जून और जुलाई, १९५७ में दिल्ली और नई दिल्ली से संक्रामक यकृत्कोप के १९ केसों की सूचना प्राप्त हुई थी।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मंत्रालय ने ऐसे कौन से दीर्घ-कालीन उपाय किये हैं जिनसे इस रोग को रोका जा सके ?

†**श्री करमरकर** : हमें आशा है कि यह रोग एक अल्प-कालीन समस्या ही रहेगी । हम नहीं समझते कि यह कोई दीर्घ-कालीन समस्या है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या मैं दिल्ली और नई दिल्ली में हुए केसों का अनुपात ज्ञात कर सकता हूँ ?

†**श्री करमरकर** : दिल्ली में जनवरी, १९५७ में १५ केस हुए थे इनमें से तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी । जुलाई, १९५७ में कोई नया केस तो नहीं हुआ परन्तु पुरानों में से दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई । नई दिल्ली में जनवरी, १९५७ में १४ केस हुए, और जुलाई में केवल ३ ; उस मास में केवल एक ही व्यक्ति की मृत्यु हुई ।

†**श्री ईश्वर अय्यर** : क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि संक्रामक यकृत्कोप का आयुर्वेदिक ढंग से बड़ा प्रभावकारी इलाज हो सकता है?

†**अध्यक्ष महोदय** : कुछ समय पहले सभा के ध्यान में यह बात लाई गई थी । सभी प्रकार के उपचारों के प्रयोग किये जायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Infective Hepatitis

†**श्री करमरकर :** जी हां, संक्रमक यकृत्कोप का प्रभावकारी इलाज करने का एक आयुर्वेदिक उपाय है और वह ऐलोपैथिक पद्धति के समान ही है।

†**अध्यक्ष महोदय :** जब भी किसी माननीय सदस्य को इसके सम्बन्ध में कि ी भी साधु या सन्त या किसी अन्य व्यक्ति से किसी भी इलाज का पता लगे तो अधिक अच्छा यह होता है कि वह माननीय मंत्री को इस सम्बन्ध में सूचित कर दिया करें।

†**डा० सुब्बरायन् :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस रोग के इतने अधिक केस हुए हैं और इतने अधिक लोगों की मृत्यु हुई है, क्या सरकार कोई ऐसे उपाय करेगी जिससे लोगों को मृत्यु से रक्षा की जा सके ?

†**श्री करमरकर :** जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात है, यह रोग तो मुख्य रूप से खाने पीने की चीजों के गन्दा हो जाने से फैलता है। शहरियों क्षेत्रों में साफ़ पानी के संभरण पर देख-रेख रखी जा रही है। ग्राम्य तथा अर्ध ग्राम्य क्षेत्रों में कूप्रों के रोगाणुओं का नाश किया जा रहा है। स्थानीय निकायों के स्वास्थ्य विभाग बिना ढ़के हुए फलों और पके हुए खाद्यों को जिन पर कि मिट्टी पड़ जाती है या जिन पर मक्खियां बैठ जातीं हैं, नष्ट कर देते हैं ताकि कोई उन्हें खा न पाये । इस सम्बन्ध में हम ये ही उपाय कर रहे हैं।

## खंडवा-हिंगोली रेल सम्पर्क

†*७८१. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कपा करेंगे कि :

(क) मार्च, १९५७ के अन्त तक खंडवा-हिंगली रेल सम्पर्क पर कुल कितनी राशि खर्च हुई थी;

(ख) क्या वह राशि वास्तविक प्राक्कलन से बढ़ गयी है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) ३.७ करोड़ रुपये।

(ख) और (ग). परियोजना का पुनरीक्षित प्राक्कलन १२.४ करोड़ रुपये है जबकि उसका पूर्ववर्ती प्राक्कलन ८.९ करोड़ रुपया था।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** मुझे ज्ञात हुआ है कि प्राक्कलन में लगभग ५० प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस अतिरिक्त व्यय की किस किस सामग्री के लिये व्यवस्था की गयी है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां :** प्रथम पुनरीक्षित प्राक्कलन को इन इन कारणों से बढ़ाया गया। स्थायी मार्ग के निर्माण की लागत में ११०.८ लाख रुपये की वृद्धि हुई है। सामग्री, विशेषकर सीमेंट और इस्पात की कीमतो में, वृद्धि के कारण और विहित बांध और जलमार्गों के लिये मंजूर प्राक्कलन की अपर्याप्त के कारण पुल निर्माण पर १९४.३ लाख रुपये का अधिक खर्च हुआ है। उसी प्रकार की अन्य बातें भी हैं जैसे निर्माण कार्य, सुरंगों की लागत में वृद्धि, सिगनल और इन्टरलॉकिंग आदि के सम्बन्ध में सामग्री और उपकरण की लागत में वृद्धि होना।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : इस रेलवे सम्पर्क के कुछ एक भाग जुलाई या अगस्त के मास में खुल जाने चाहिये थे। क्या वे, विशेषकर हिंगोली और कोनारगांव तथा खंडवा और पिपलोद के बीच के भाग, अब खोल दिये गये हैं ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : यातायात के लिये केवल खंडवा से ताखल तक का भाग ही खोला गया है जो कि १८.६ मील लम्बा है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या वह यात्री यातायात के लिये भी खुल गया है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : जी, हाँ। सभी प्रकार के यातायात के लिये।

†**श्री कासलीवाल** : हमें यह बाताया गया है कि इस लाइन के पूरा हो जाने से देश की मीटर लाइन की सम्पूर्ण व्यवस्था में पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित हो जायेगा। यदि यह सच है तो क्या खंडवा और हिंगोली के बीच की लाइन समय पर पूरी हो जायेगी ?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)**: हमें भी यही आशा है।

†**श्री शाहनवाज़ खां** : हमें आशा है कि यह काम समय पर पूरा हो ही जायेगा। परन्तु यह आयात किये गये सामान की उपलब्धि पर निर्भर करता है। यदि सामान उपलब्ध हो गया तो हम इसे समय पर पूरा कर देंगे ।

†**श्री सें० वे० रामस्वामी** : इस समय को पूरा करने के लिये कितना समय निश्चित किया गया है और क्या इस लाइन के लिये जितनी राशि निर्धारित की गयी है, वह इसे समय पर पूरा करने की दृष्टि से पर्याप्त है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : हमें आशा है कि यह लाइन १९५९ तक पूरी हो जायगी ; इसके लिये निश्चित राशि पर्याप्त है।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़**: पहला प्राक्कलन कब तैयार किया गया था ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : प्राक्कलन समय समय पर तैयार जाते रहे हैं, और अन्तिम....

†**अध्यक्ष महोदय** : वह प्रथम के बारे में पूछ रहे हैं।

† **श्री शाहनवाज खां** : वह १९५२ में किसी समय तैयार किया गया था।

**श्री मा० कृ० गायकवाड** : माननीय मंत्री के उत्तर से यह प्रतीत होता है कि प्राक्कलन में लग भग ५० प्रतिशत वृद्धि हुई है, मैं पूछना चाहता हूं कि प्रथम प्राक्कलन कब तैयार किया गया था और ५० प्रतिशत वृद्धि कैसे हुई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने बता दिया है कि प्रथम प्राक्कलन १९५२ में किसी समय तैयार किया गया था....

**श्री जगजीवन राम**: जी, नहीं; उसे २ मार्च, १९५४ को मंजूरी दी गयी थी।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : माननीय मंत्री ने बताया है कि १९५९ म यह लाइन यातायात के लिये खोल दी जायेगी। केवल २० मील की रेलवे लाइन के खोलने म, जो कि कुल लम्बाई की केवल २०

---

†मूल अंग्रेज़ी में

प्रतिशत है, हमने लग भग चार वर्ष लगा दिये हैं। तो ऐसी स्थिति म क्या हम अब केवल दो वर्ष में ही शेष लाइन पूरी कर सकेंगे ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : इसका यह अर्थ नहीं है कि हम केवल उसी बीस मील की लाइन का ही काम करते रहे हैं और हमने अन्य कोई काम नहीं किया है। माननीय सदस्यों को यह जानकर हर्ष होगा कि हमने सम्पूर्ण कार्य का लग भग ७० प्रतिशत भाग पूरा लिया है, अर्थात् ८६ मील पूरे हो चुके हैं और ८३ मील का काम अभी हो रहा है। इसी प्रकार कुल ४८ मुख्य पुलों में से हमने १३ पुल तो पूरे कर लिये हैं और २२ के सम्बन्ध में काम जारी है। इसी प्रचार से सारी की सारी लाइन पर काम हो रहा है।

**प्रतिकरात्मक (नगर) भत्ता**

\+

†*७८२. { **श्री अ० क० गोपालन** :
**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** :
**श्री वाजपेयी** :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के अघोषित[1] कर्मचारियों को जन संख्या के आधार पर प्रतिकरात्मक (नगर) भत्ता[2] में दिया जाता है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या अमृतसर, जालन्धर और लुधियाना का वर्गीकरण इसी आधार पर किया गया था ;

(ग) क्या कभी फीरोज़पुर के मामले पर भी विचार किया गया था ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या फीरोज़पुर के मामले को छोड़ दिया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, हाँ।

(ग) और (घ). क्योंकि १९५१ की जनगणना के अनुसार फीरोज़पुर की जन संख्या १ लाख से कम थी इस लिये इसे उन नगरों की सूची में नहीं सम्मिलित किया गया जिन्हें प्रतिकरात्मक (नगर) भत्ता या गृह-किराया भत्ता[3] मिलता है।

†**श्री अ० क० गोपालन** : फीरोज़पुर की अब कितनी जन संख्या है और क्या अब वह नगर उस कोटि में आता है, और क्या अब उसके प्रश्न पर विचार किया जायेगा ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : हमारे पास अन्तिम आंकड़े केवल १९५१ की जन गणना के हैं। उसके अनुसार फीरोज़पुर नगर छावनी की जन संख्या ८०,००० से भी कुछ कम है।

†**श्री तंगामणि** : माननीय मंत्री जी के इस प्रथम को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिकरात्मक भत्ता जन संख्या के आधार पर दिया जाता है, क्या एक लाख से अधिक जन संख्या वाले नगर 'ग' वर्ग में रखे जायेंगे ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1] Non-gazetted

[2] Compensatory (city) allowance

[3] House rent allowance

†श्री शाहनवाज़ खां : नगरों की सूची तैयार कर ली गयी है और उसमें वे नगर सम्मिलित किये गये हैं जिनकी जन संख्या एक लाख पन्द्रह हज़ार से अधिक है।

†श्री तंगामणि : क्या तूती कोरिन नगर के प्रश्न पर, जहां की जन संख्या एक लाख से अधिक है, विचार किया गया था ?

†अध्यक्ष महोदय : भारत में ऐसे कितने ही नगर हैं जिनकी जन संख्या एक लाख से अधिक है। माननीय मंत्री उन सभी के नाम कैसे याद रख सकते हैं ? माननीय सदस्य माननीय मंत्री को लिखकर जानकारी प्राप्त कर लें।

†श्री तंगामणि: इसके बारे में मैंने लिखा भी है।

†अध्यक्ष महोदय : यदि उन्होंने उसका उत्तर नहीं दिया है, तो वे एक पृथक प्रश्न पूछ सकते हैं।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : माननीय मंत्री ने यह कहा है कि अन्तिम आंकड़े १९५१ की जन गणना के ही हैं जिन्हें आधार माना गया है। क्या गृह किराया भत्ते और नगर प्रतिकरात्मक भत्ते पर इस वर्ष में केवल एक ही बार विचार किया जाता है ?

†श्री शाहनवाज़ खां : हम तो अन्तिम आंकड़ों को ही आधार मानते हैं।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य केवल यही जानना चाहते हैं कि बाद में यह पता लगने पर कि किसी नगर की जन संख्या बढ़ गयी है, क्या वहां के महंगाई भत्ते बड़ा दिये जाते हैं और इस प्रकार से जन संख्या बढ़ने पर पूर्ववर्ती "गैर-नगरों" को "नगरों" की कोटि में सम्मिलित कर लिया जाता है या कि यह पुनरीक्षण दस वर्षों के बाद ही किया जाता है।

†रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) : जनगणना के घोषित हो जाने के बाद, यदि किसी प्रकार नगर की जन संख्या, जोकि पहले एक लाख से कम थी, बढ़ जाती है, तो वह नगर इस प्रकार का भत्ता प्राप्त करने का अधिकारी होता है,। परन्तु यहां कठिनाई यह उत्पन्न होती है कि हम जन-गणना के अतिरिक्त अन्य किसी भी उपाय से प्रमाणिक रूप से जनसंख्या नहीं जान सकते।

†श्री ब० स० मूर्ति : इस प्रश्न को ध्यान में रखते हुए, क्या वहां की नगरपालिका से अन्तिम आंकाड़े मांगे गये हैं। और यदि हां तो, क्या उन आंकड़ों से यह ज्ञात हुआ है कि वहां की जनसंख्या एक लाख से बढ़ गयी है।

†श्री शाहनवाज़ खां : नगर प्रतिकरात्मक भत्ते तथा गृह-किराया भत्ते १९४७ में केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही निश्चित किये गये थे। अब एक और वेतन आयोग की नियुक्ति हो चुकी है और वह इन सभी बातों पर अच्छी प्रकार से विचार करेगा।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

## रूपनारायण में नौपरिवहन

†*७८३. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या सिचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९४४ में यह पता लगाने के लिय नमूने के तौर पर कोई प्रयोग किये गये थ कि कोलाघाट पर तत्कालीन बंगाल नागपुर रेलवे पुल के ऊपर को ओर रूपनारायण नदी के बायें किनारे के कटाव को एक उद्वन्ध[५] बनाकर किस प्रकार रोका जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस उद्वन्ध के निर्माण के पश्चात् बायें किनारे का कटाव न ही केवल पूर्णरूपेण रुक गया, अपितु वहां पर नौ दस फुट गहरी मिट्टी भी इकट्ठी हो गयी है ;

(ग) उसकी इस समय क्या स्थिति है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि वे जहाज जो पहले कोलाघाट के मार्ग से कलकत्ता से रानीचाक जाते थे, अब वह मार्ग उनके योग्य नहीं रहा है ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :** (क) से (घ), लोक सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गयी है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या १२१]**

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या मानीय मंत्री को यह ज्ञात है कि यद्यपि कोलाघाट पर रेलवे के पुल को बचा लिया गया है, तो भी २५ फुट की दूरी पर कलकत्ता से मद्रास और बम्बई को जाने वाले राष्ट्रीय राजपथ को मिलाने वाला एक और पुल बनाया जा रहा है ? यदि हां तो क्या माननीय मंत्री ने जिस मिट्टी के इकट्ठे होने का उल्लेख किया है, अब वह और अधिक बढ़ गयी है ?

†**श्री स० का० पाटिल :** यह बात इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होती, परन्तु इस राष्ट्रीय राजपथ के सम्बन्ध में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** माननीय मंत्री ने (घ) के उत्तर में कहा है कि आजकल स्टीमर सिवाय उन दिनों के जब कि रूपनारायण में पानी का स्तर (लेवल) ऊंचा होता है, कलकत्ता से रानीचाक नहीं जाते । क्या पिछले पांच वर्षों में पानी के ऊंचे स्तर (लेवल) के दिनों में कलकत्ता से कोई स्टीमर कोलाघाट से गुजरा है ?

†**श्री स० का० पाटिल :** यह निर्णय तो स्टीमर कम्पनियों ने किया है क्योंकि वे देखतें हैं कि उस मार्ग का कोई निश्चित रूप नहीं है । इसलिये बड़े बड़े स्टीमर उस मार्ग से नहीं जाते, केवल छोटे स्टीमर जाते हैं । परन्तु इस बारेंमें मेरे पास कोई जानकारी नहीं है कि क्या राष्ट्रीय राजपथ के लिये वहां कोई खतरा है या नहीं ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या यह सच नहीं है कि इस स्थान से कोई छोटा स्टीमर भी नहीं गुजरा है, और कलकत्ता से स्टीमर केवल गौखाली और लंका तक ही जात हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्रालय कोई ऐसे उपाय कर रही है जिससे यह मिट्टी किसी प्रकार से हटायी जा सके ?

**श्री स० का० पाटिल :** माननीय सदस्य ने अब यह जानकारी दी है और मैं उससे लाभ उठाऊंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

५Groyne.

## रेलवे लाइनों की सुरक्षा

+

७८४. { श्री भक्त दर्शन :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विभूति मिश्र :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे लाइनों की सुरक्षा के लिये ग्रामीणों का सहयोग प्राप्त करने की एक योजना स्वीकार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस योजना के आर्थिक पहलु व कार्यप्रणाली का एक विशद विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) और (ख). जी, नहीं। अभी इस योजना के बारे में छान-बीन की जा रही है और इसे गृह-कार्य मंत्रालय और राज्य सरकारों की सलाह से तैयार किया जा रहा है।

**श्री भक्त दर्शन** : क्या यह सत्य है कि पिछले दिनों जो मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन दिल्ली में हुआ था, उसमें इस सम्बन्ध में बातचीत की गई थी और मैं जानना चाहता हूं कि आखिर वे कौन से आधार हैं जिनको लेकर आगे यह स्कीम बनाई जा रही है ?

**श्री शाहनवाज़ खां** : जी हां, यह मसला ५ जून, १९५७ को जब मुख्तलिफ सूबों के बड़े वजीर यहां जमा हुए थे, तब उनकी कान्फ्रेंस में रेलवे मिनिस्टर साहब ने उनके साथ इस चीज़ के ऊपर बहस की थी। इस स्कीम का मकसद यह है कि जो लोग रेलवे लाइनों के ऊपर की तरफ रहते हैं और जहां से पानी आकर रेलवे लाइन को नुकसान पहुंचा सकता है या रेलवे लाइनों के ऊपर बड़े बड़े तालाब हैं जिनके कि फौरन टूटने से नुकसान हो जाता हो इस किस्म की खबरें वे रेलवे मंत्रालय को समय पर दे सकें।

**श्री भक्त दर्शन** : अब इस साल तो बरसात शुरू हो चुकी है तो क्या यह आशा की जाय कि इस साल इस पर अमल शुरू हो सकेगा ?

**श्री शाहनवाज़ खां** : ऐसी स्कीमें जिनमें एक से ज्यादा मिनिस्टरों का ताल्लुक होता है उन को मुकम्मिल करने में जरा वक्त लग जाता है।

**श्री भक्त दर्शन** : इस कार्य में गांव वालों से जो सहायता ली जायगी वह श्रमदान के रूप में ली जायगी या उनको इस कार्य के करने के लिए कुछ मुआविजा भी मिलेगा ?

**श्री शाहनवाज़ खां** : दोनों तरह से कराया जायगा, वैसे रेलवे कोई बहुत ज्यादा मुफ्त काम कराने में एतकाद नहीं रखती है और काम कराई के पैसे देती है।

**श्री विभूति मिश्र**। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कोई समय निश्चित किया कि इतने दिनों के अन्दर इस स्कीम को चालू करेंगे अर्थात कितने दिनों के अन्दर यह काम हो सकेगा? या वह केवल बातचीत का जाल ही बन कर रह जायगी ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : स्कीमें तो बहस मुबाहिसे और बातचीत से भी मुक्कमल हो सकती हैं उसमें कोई सख्त और कड़ी तारीख नहीं रक्खी जा सकती ।

---

†मूल अंग्रेजी में

## भूख के कारण मौत

+

*७८५. श्री विभूति मिश्र :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
डा० राम सुभग सिंह :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, १९५७ से १५ जुलाई, १९५७ तक की अवधि में विभिन्न राज्यों के उन क्षेत्रों में जहां खाद्य की कमी है भूख के कारण कोई मौत हुई; और

(ख) यदि हां, तो कितनी और कहां कहां ?

**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**श्री विभूति मिश्र** : हमारे मंत्री जी ने देखा है कि कुछ इंटरेस्टेड पार्टीज़ लिख देती हैं कि इतनी मौतें स्टार्वेशन (भूख) से हो गईं, जब ऐसी चीज़ नहीं है तो क्या सरकार उस सम्बन्ध में अखबार वालों के और जो इस तरह की खबरें अखबारों में छपवाते हैं, उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करती है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : सामन्यतया हम सभी राज्यों से सम्पर्क रखते हैं। भूख के कारण होने वाली किसी भी मौत की खबर के सम्बन्ध में हम राज्यों को सूचित कर देंगे। प्रैस में भी हमें इस प्रकार के समाचार मिलते हैं और हम सम्बन्धित राज्य सरकारों को लिख देते हैं कि वे इस समाचार की जांच करें, और फिर वे उनके बारे में अपनी रिपोर्ट भेजती हैं। इस प्रकार के अभी तक जितने भी समाचार मिले हैं हमने उनकी कतरनें उन्हें भेद दी हैं। वहां से यह सिद्ध हुआ है कि वे मौत भूख से नहीं हुई थीं, उनमें से बहुत सी मौतें प्राकृतिक मौतें थीं।

**श्री विभूति मिश्र** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई इस प्रकार की कार्यवाही करती है ताकि इस तरह के गलत समाचार अखबारों में न छपें।

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : यह तो राज्य सरकारों का काम है कि वे जैसा चाहें वैसी कार्यवाही करें। जहां तक प्रैस के उन समाचारों का सम्बन्ध है, हम यह जनता पर छोड़ देते हैं कि वे चाहें तो उनमें विश्वास करें और चाहें न करें। स्वभावत: जब कोई खबर बार बार बिना किसी आधार के आयेगी तो जनता उनमें विश्वास खो बैठेगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह यह पूछना चाहते हैं कि सरकार द्वारा जांच करने और यह जान लेने पर कि वे मौतें भूख से नहीं हुई हैं, क्या सरकार प्रैस की उन खबरों के निराकरण की सूचना को प्रकाशित कराती है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: बात यह है कि खाद्य मुख्य रूप से राज्य का विषय है और इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की ही जिम्मेवारी है। समाचारपत्रों में हमें जब इस प्रकार के समाचार प्राप्त होते हैं, तो हम उनके बारे में राज्य सरकारों से पूछताछ करते हैं। उन लोगों पर अभियोग चलाने या अन्य कोई कार्यवाही करने की जिम्मेवारी उन राज्य सरकारों की है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या समाचार पत्रों में यह छपवाया जाता है कि वह समाचार झूठा था या सच्चा?

†**श्री अ० प्र० जैन** : कई मामलों में राज्य सरकारों द्वारा वैसा किया गया है।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी**: क्या सरकार को ज्ञात है कि बहुत से मामलों में मौतें प्रत्यक्ष तथा भूख के कारण होती हुई नहीं दीखतीं, अर्थात् भूख से अन्य कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं और फिर उनसे मौत हो जाती है ? क्या इन सभी बातों को भूख से हुई मौतों के रूप में प्रकाशित किया जाता है या कि रोगों से हुई मौतों के रूप में?

†**अध्यक्ष महोदय** : आखिर कई वर्ष तक जीवित रहने के बाद तो सभी को ही मरना है।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : यहां तो वास्तव में भूख के कारण होने वाली मौतों का प्रश्न है ।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रत्येक बीमारी अधिक खाने से या कम खाने से ही उत्पन्न होती है।

†**श्री नागी रेड्डी** : मंत्री जी ने बताया है कि बहुत सी मौतों भूख से नहीं हुई हैं, तो शेष मौतें किस से हुई हैं ? कुछ न कुछ मौतें तो भूख से हुई होंगी ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : बहुत से मामलों में तो मौतें प्राकृतिक होती हैं और शेष विभिन्न रोगों तथा अन्य कारणों से होती हैं।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या सरकार को ज्ञात है कि आजमगढ़ में ७ साल का एक बच्चा अपनी मां के सामने ही मर गया, और क्या सरकार ने इस बारे में जांच की है, और यदि हां तो उसके क्या परिणाम हैं ?

**श्री अ० प्र० जैन** : हमने उत्तर प्रदेश की सरकार से उसके बारे में पूछताछ की है और उसनें हमें बताया कि भूख से कोई भी मौत नहीं हुई है।

## खाद्य उत्पादन

†*७८६. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ में खाद्य उत्पादन का प्राक्कलित लक्ष्य कितना था;

(ख) खाद्य-उत्पादन में वास्तव में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या उस प्राक्कलीत लक्ष्य पूरा नहीं किया किया जा सका है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा )** : (क) १९५६–५७ में खाद्य के अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य १३ लाख ७० हजार टन था अर्थात् १० लाख टन तो अधिक अन्न उपजावो' के अधीन और ३ लाख ७० हजार टन मुख्य सिंचाई व्यवस्था के अधीन।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) वास्तविक वृद्धि अनुमानतः ३६ लाख ४० हजार टन है।

(ग) जी नहीं। वास्तव में लक्ष्य की अपेक्षा २२ लाख ७० हजार टन अधिक उत्पादन हुआ है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : माननीय मंत्री ने वार्षिक लक्ष्य का उल्लेख किया था। मैं जानना चाहती हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादना में वृद्धि के बारे में क्या लक्ष्य था और इसमें कितनी पूर्ति हुई है?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खाद्यन्नों के बारे में हमने १५५ लाख टन लक्ष्य निर्धारित किया है। इस वर्ष यह लक्ष्य १३ लाख ७० हजार टन था जो कि २२ लाख बारे ७० हजार टन से भी बढ़ गया है।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : इस देश नें खाद्यान्नों के उत्पादन में ऋतु के अनुसार उतार-चढ़ाव होता रहता है इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने रिजर्व स्टाक बनाये रखने के बारे में कोई नीति बनाई है; और यदि हां, तो बफर स्टाक के बारे में वर्तमान नीति क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : मैंने अनेक बार यह बात बताई है कि सरकार स्टाक एकत्रित कर रही है और आजकल दो हमारे पास ६ लाख टन का स्टाक है। दो या तीन लाख टन गेहूं जहाजों में लदा पड़ा है जो उतार लिया जायेगा और तीन या चार लाख टन गेहूं समुद्र में मार्ग पर है। यह सच है कि अनाज उतारने में कठिनाई हो रही है। हमें आशा है कि हमारी स्टाक बढ़ जायेगा और मांग की पूर्ति हो सकेगी।

†**श्री सिंहासन सिंह** : उत्तर में बताया गया है कि लक्ष्य २० लाख टन से अधिक बढ़ गया है किन्तु हम लगातर देख रहे हैं कि खाद्यान्न की कमी और भुखमरी से मृत्यु बढ़ती जा रही हैं। यह कमी क्यों हो रही है?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : अनेक बार यह बताया गया है। उत्पादन बढ़ा है किन्तु खपत भी बढ़ गई है। विकासात्मक व्यय में तिगुनी वृद्धि हो गई है और अन्य बातें भी बढ़ गई हैं। अभी पिछले सप्ताह ही मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि चीन में २,००० व्यक्ति भूख से मर गये। यह विश्वास करना कठिन प्रतीत होता है कि चीन में जहां लोग इतना उत्पादन कर रहे हैं, वहां भुखमरी के कारण उनकी मृत्यु हो सकती है।

†**श्री वें० प० नायर** : प्रश्न खाद्यान्न उत्पादन के अनुमानित लक्ष्य की विस्तृत जानकारी के सम्बन्ध में था। किन्तु माननीय मंत्री का उत्तर केवल खाद्यान्न उत्पादन तक ही समित था। खाद्य की अन्य वस्तुओं जैसे पत्ते वाली सब्जियों के बारे में अन्तिम लक्ष्य क्या है।

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : यह प्रश्न खाद्यान्न उत्पादन के बारे में था अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में नहीं।

†**श्री वें० प० नायर** : 'खाद्य' शब्द से सरकार का अभिप्राय केवल खाद्यान्न से ही है अथवा अन्य खाद्य वस्तुओं से भी?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : इस प्रश्न के सिलसिले में इसका अभिप्राय केवल खाद्यान्न से है।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका यही अर्थ समझा गया है।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : जब खाद्यान्न उत्पादन में लक्ष्य से भी अधिक वृद्धि हो गई तो क्या सरकार विदेशी मुद्रा में बचत करने के लिये खाद्यान्न के आयात में कमी करेगी ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : विदेशी मुद्रा का प्रश्न सभा में अनेक बार उठाया गया है। दुर्भाग्य से इसमें कुछ भ्रांति हो गई है। अधिकांश खाद्यान्न विदेशी मुद्रा के रूप में नहीं किन्तु रुपयों के भुगतान स्वरूप किया जाता है। बर्मा और अमेरिका में दो समझौते हैं। बर्मा से खरीदी हुई वस्तुओं का मूल्य विदेशी मुद्रा में चुकाया जाता है। हम सामान्यता ५ लाख टन चावल आयात कर रहे हैं जिसकी कीमत २५ करोड़ रुपए है। जहां तक गेहूं का सम्बन्ध है, हम पी० एल० ४८० अमरीकी समझौते के अन्तर्गत अमेरिका से गेहूं मंगा रहे हैं और हमें यह छूट प्राप्त है कि हम कई वर्षों में यह रकम डालर अथवा रुपये के रूप में उन्हें चुका सकते हैं। निसंदेह हम रुपये में यह चुका रहे हैं। किन्तु उक्त समझौते में एक और खंड के अनुसार हम अन्य स्रोत से भी आयात कर सकते हैं। कुछ आस्ट्रेलिया से मंगाया जाता है। इस वर्ष हम ३ लाख टन अनाज मंगा रहे हैं। जिस की कीमत १३ से १५ करोड़ रुपये होगी। खाद्यान्न की खरीद में लगभग ४७ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अन्तग्रस्त है जो इस देश में दो सप्ताह के विदेशी मुद्रा के उपयोग से भी कम है।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : माननीय मंत्री ने कहा कि १९५६–५७ के खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य में अभिवृद्धि हुई है। किन्तु कीमतें भी इसी अनुपात में बढ़ रही हैं। जैसा माननीय मंत्री जानते हैं। १९५६ से फरवरी १९५७ तक कीमतों में १८ प्रतिशत वृद्धि हुई है.....

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न से दूर.....

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : एक प्रश्न और, श्रीमान्। मैं यह जानना चाहती हूं कि इस पहेली का क्या अर्थ है कि उत्पादन बढ़ रहा है और कीमतें भी बढ़ रही हैं।

†**श्री अ० प्र० जैन** : माननीय सदस्या को स्मरण होना चाहिये कि केवल स्टाक पर कीमत निर्भर नहीं रहती है। वे अन्य बातों पर भी आश्रित है, जैसे बाजार में कितनी मुद्रा है। हम विकास कार्यों में लग रहे हैं और अधिक नोट छाप कर भी घाटे की पूर्ति की गई है। कीमतें स्टाक की उपलब्धि और मुद्रा सम्बन्धी स्थिति पर निर्भर करती है। प्रसार की ओर उन्मुख अर्थ-व्यवस्था में तो कीमतें स्वाभाविक रूप से अधिक होती है। यदि हम और अधिक उत्पादन करते तो अधिक कीमतों को रोकना पड़ता। किन्तु इसके अनेक कारण हैं।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या सभी राज्यों में समान रूप से वृद्धि हुई है अथवा किन्हीं राज्यों में उत्पादन कम हो गया है और परिणामस्वरूप भुखमरी से मरने की खबरें मिली हैं ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : यह पृथक प्रश्न है। एक या दो राज्यों में उत्पादन में कमी हुई है।

†**श्री सिंहासन सिंह** : माननीय मंत्री ने उत्तर दिया है कि अनाज की खपत बढ़ गई है। अतः लक्ष्य में वृद्धि होने पर भी अभाव की स्थिति परिलक्षित होती है। खपत क्यों बढ़ गई है। क्या लोगों में क्रय-शक्ति बढ़ गई है अथवा उन्होंने अधिक खाना प्रारम्भ कर दिया है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : अनेक उपक्रम हैं। विकास सम्बन्धी व्यय में तिगुनी वृद्धि हो गई है; जिन श्रमिकों को रोजगार नहीं था उन्हें पूरे महीने में परियोजना में काम दिया जाता है। राष्ट्रीय राजपथ तथा अन्य विभिन्न योजनाएं हैं। जो मजदूर पहले भूखे रहते थे अब उन्हें रोजगार और भोजन मिल रहा है।

†श्री त्यागी : खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित करते समय क्या इन बातों का लेखा जोखा नहीं किया गया था?

†श्री अ० प्र० जैन: योजना आयोग का अनुमान था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में उत्पादन १५५ लाख टन बढ़ जायेगा। यह आशा थी कि इस उत्पादन के साथ साथ कुछ खाद्यान्न आयात करने से मांग पूरी हो जायेगी। द्वितीय पंच वर्षीय योजना में उपबन्ध है कि विकास व्यय तथा अन्य वित्तीय कार्यों के परिणामस्वरूप खाद्यान्नों की मांग बढ़ जायेगी और उत्पादन भी नहीं बढ़ेगा। अतः उन्होंने यह उपबन्ध किया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में विदेशी से ६० लाख टन खाद्यान्न का आयात करना पड़ेगा। हम यही कर रहे हैं। उत्पादन बढ़ रहा है। कुल लक्ष्य विविध वर्षों में विभक्त कर दिये गये हैं। इस वर्ष का लक्ष्य १२ लाख ७० हजार टन था जबकि यथार्थ वृद्धि ३६ लाख ४० हजार टन हुई। फिर भी सब प्रकार की सावधानी बर्तते हुए कोई भी व्यक्ति आर्थिक तथ्यों के बारे में निश्चित बात पहले से नहीं कह सकता है। मांग अधिक है और कीमतें बढ़ती जा रही हैं।

**केन्द्रीय भाण्डागार**

†*७८७. { पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : }

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में १९५६-५७ में खोले गये केन्द्री भाण्डागारों की संख्या;

(ख) सरकारी लागत पर बनाये गये भाण्डागारों की संख्या और किराये पर लिये गये भाण्डागारों की संख्या कितनी कितनी है;

(ग) बिहार में वे किन-किन स्थानों पर खोले गये हैं;

(घ) क्या कृषकों को इन भाण्डागारों में अपना अनाज रखने की सुविधाएं विद्यमान हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस स्टाक पर व्याज कितनी दर से वसूल किया जाता है?

सहकार मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) से (ग). एक भी नहीं।

(घ) और (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

†पंडित द्वा० ना० तिवारी : क्या भाण्डागारों के निर्माण को प्राथमिकता दी गई है और क्या इस प्राथमिकता का पालन करने का कोई प्रस्ताव है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

**डा० पं० शा० देशमुख** : हम इसे राज्य सरकारों के परामर्श से कर रहे हैं। हम ने कुछ प्राथमिकतायें और क्रम निर्धारित किये हैं उन का समय-समय पर पुनर्विलोकन किया जाता है तथा यदि राज्य सरकारें इस के किसी पहलू में परिवर्तन करना चाहें तो हम इस का अनुमोदन कर देते हैं। भाण्डागार निगम की हाल की बैठक में हम ने २२ स्थानों का सुझाव दिया है। जहां तक बिहार सरकार का सम्बन्ध है, वहां अभी राज्य माण्डागार निगम बनाया गया है तथा निर्माण सम्बन्धी स्थान निर्धारित किये गये हैं।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : वर्तमान में कितने भाण्डागार हैं ; सरकार ने किराये पर कितने लिये हैं और कितना किराया दिया गया है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : संसद द्वारा पारित विधि के अधीन सम्पूर्ण योजना अभी आरम्भ की जायेगी। उस वर्ष ऐसा किया जायेगा।

†**डा० राम सुभग सिंह** : विधि पारित हुए दो वर्ष बीत चुके हैं। फिर इस विधि की क्रियान्विति सावधानी पूर्वक क्यों नहीं की गई ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : इस में कुछ कठिनाइयां हैं : वित्त जुटाना, उपयुक्त अधिकारियों की खोज, ब्याज की दर आदि। मेरा विचार है कि इस वर्ष हम योजना क्रियान्वित कर सकेंगे।

†**श्री त्यागी** : क्या सरकार ने यह जानने का प्रयत्न किया है कि दलालों और संग्रहकर्ताओं[6] को इन भाण्डागारों में सहुलियतें न मिलने पायें ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : फिलहाल हम सहकारी संस्थाओं, किसानों आदि को ही सुविधायें देते हैं। हमें अभी इस पर विचार करना है कि हम किस प्रकार यह कार्य करेंगे और भाण्डागारों का उपयोग करेंगे। किसी भी दशा में हम आजकल इन्हें किराये पर देने का विचार नहीं रखते हैं।

†**श्री त्यागी** : क्या संग्रह कर्ताओं को इन के उपयोग की अनुमति दी जायेगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : संग्रहकर्ताओं को वहां अनाज एकत्रित करने का अवसर दिया जायेगा क्योंकि तब वह अनाज हमारे अधिकार में रहेगा और आश्वयकता उत्पन्न होते ही हम उसे हस्तगत कर लेंगे।

†**श्री अ० चं० गुह** : क्या माननीय मंत्री केन्द्रीय पटसन समिति की रिपोर्ट में कही गई इस बात से परिचित हैं कि तीन-चौथाई पटसन उत्पादक फसल के तुरन्त बाद अपना माल बेचने के लिये विवश हो जाते हैं क्योंकि उस के विपणन और भांडागार की व्यवस्था नहीं होती ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : जी हां। इसीलिये हम ने यह विधि बनाई है और हम निर्माण कर रहे हैं। यह पटसन ही नहीं प्रत्युत अन्य फसलों के बारे में भी सही है।

†**श्री कासलीवाल** : माननीय मंत्री ने कहा कि भाण्डागार निर्माण के लिये सहकारी संस्थाओं को धन दिया जायेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले दो वर्षों में किन-किन राज्य सरकारों ने सहकारी संस्थाओं को कितनी-कितनी रकम दी है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : इस के लिये पूर्व सूचना चाहिये। जहां तक गोदामों का सम्बन्ध है, वृहद् संख्या में निर्माण हुआ है और राज्य सरकारें सहकारी संस्थाओं को धन दे रही हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[6]Hoarders.

†श्री दामानी : भाण्डागारों में रखे गये स्टाक की प्रतिशत हानि कितनी है ?

†डा० पं० शा० देशमुख : हमें अभी भाण्डागारों का निर्माण करना है ।

†श्री राधेलाल व्यास : मैं प्रार्थना करता हूं कि जिन स्थानों पर भाण्डागार बनाये गये हैं उन की एक सूची सभा पटल पर रखी जाये ।

†श्री अ० प्र० जैन : हम ऐसा कर देंगे ।

## डीज़ल कारें

†*७८८. श्री बहादुर सिंह :
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री दुराय स्वामी गौंडर :

क्या रेलवे मंत्री २३ मई, १९५७ के अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डीजल चालित रेल इंजनों चलाने का निर्णय किया है ; और यदि हां, तो कौन-कौन से ज़ोन अथवा लाइनें डीज़ल इंजन चलाये जाने के लिये उपयुक्त समझी जाती हैं ;

(ख) १९५५ और १९५६ में खरीदी गई डीजल कारें ; और

(ग) उन का ज़ोनवार आवंटन क्या है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां । डीजल विद्युत इंजन चलाने के लिये निम्न सैक्शन उपयुक्त समझे गये हैं :

(१) पूर्वी रेलवे के गोमोह-गया और गया-धनबाद सैक्शन ।

(२) दक्षिण-पूर्वी रेलवे के आसनसोल-अनारा-रूरकेला और राज खरसावन-साराजा-मदा सैक्शन ।

(ख) २४ ब्रौड गेज डीज़ल रेल कारें ।

(ग) उत्तर रेलवे—१२

दक्षिण रेलवे—१२ ।

†श्री बहादुर सिंह : कुल कितने मील लम्बी लाइनों पर डीज़ल चालित इंजन चलाने का विचार है ?

†श्री शाहनवाज़ खां : सही आंकड़े मेरे पास नहीं हैं ।

†श्री बहादुर सिंह : डीजल कारों के खरीदने में कुल कितना खर्च होगा और इन्हें किन देशों से खरीदा गया है ?

†श्री शाहनवाज़ खां : हाल ही में २० डीजल हाइड्रौलिक शंटिंग इंजन खरीदे गये थे । प्रत्येक इंजन ४०० हार्सपावर से सम्पन्न है । ये मेसर्स क्रौसमाफी, पश्चिमी जर्मनी, से प्रत्येक १९,५०० पौंड प्रति इंजन के हिसाब से खरीदे गये हैं । इन्हें बम्बई क्षेत्र में प्रयुक्त किया जा रहा है । ठीक इसी

†मूल अंग्रेज़ी में

प्रकार के दस इंजन, जिन के संभरण कर्ता भी वही हैं, दिल्ली में काम में लिये जा रहे हैं। अन्य स्थानों में छोटी और बड़ी लाइनों पर और भी इंजन काम में आ रहे हैं।

†श्री त० ब० विट्ठल राव: हावड़ा और नागपुर के बीच की लाइन पर कब डीजल चालित इंजिन चलने लगेंगे ?

†श्री शाहनवाज़ खां : मैं सहसा कोई उत्तर नहीं दे सकता हूं।

†श्री ब० स० मूर्ति : दक्षिण रेलवे में इन १२ डीजल कारों को कहां प्रयुक्त किया गया है ?

†श्री शाहनवाज़ खां : यह निर्णय करना दक्षिण रेलवे का कार्य है।

†श्री सिंहासन सिंह : क्या डीजल इंजन कोयले से चलने वाले इंजनों से अधिक महंगे हैं ? और यदि हां, तो सरकार क्यों डीजल के इंजन चलाने जा रही है ? क्या सरकार ने किसी विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की थी जिस ने यह सिफारिश की थी कि हमें डीज़ल चालित इंजन चलाने चाहियें विशेष रूप से जबकि कोयले का उत्पादन बढ़ रहा है और कोयले के इंजन का चलाना सस्ता पड़ता है ?

†श्री शाहनवाज़ खां : यह सच है कि डीजल से चलने वाले इंजन भाप से चलने वाले इंजनों से महंगे पड़ते हैं। किन्तु कतिपय क्षेत्रों में भाप इंजनों के प्रयोग की चरम सीमा आ गई है और वहां हमें डीजल इंजन अथवा विद्युत इंजन का प्रयोग करना पड़ता है। कुछ सैक्शनों में पानी की कठिनाई है; कहीं पानी ऐसा है जो ब्वायलर के लिये हानिकर है। अतः हमें इन स्थनों पर डीजल इंजनों का प्रयोग करना है।

†श्री सिंहासन सिंह : प्रश्न के दूसरे भाग—विशेषज्ञ समिति की सिफारिश—के बारे में कुछ नहीं कहा गया।

†रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम): इन सब प्रश्नों का निर्णय विशेषज्ञ करते हैं जन साधारण नहीं।

†श्री तंगामणि : माननीय मंत्री ने कहा कि १९५५-५६ में खरीदी गई २४ डीजल कारों में से १२ दक्षिण रेलवे को आवंटित की गई हैं। दक्षिण रेलवे में इस समय कितनी डीजल कारें प्रयुक्त की जा रही हैं ?

†श्री शाहनवाज़ खां : इस के लिये पूर्वसूचना चाहिये।

## गहरे समुद्र में मछली पकड़ना

†*७८९. डा० राम सुभग सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिये भारत राष्ट्र के अन्तर्गत जल-क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय जल-क्षेत्र में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिये समुचित स्थानों के विद्यमान होने की संभावना है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो भारतीय जल-क्षेत्र में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कार्य का संवर्द्धन करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) कोचीन, तूत कोरिन और विशाखापत्तनम में अतिरिक्त तटदूर मत्स्यग्रहण एकक[७] स्थापित करने का विचार है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उतारने, स्टोर में रखने और परिवहन सम्बन्धी सुविधाओं की प्रस्थापनायें सम्मिलित हैं । मछली पकड़ने की भारतीय कम्पनियों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाता है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या मछली पकड़ने के क्षेत्र का तट से ६ मील के परे तक विस्तार करने का विचार है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : छः मील से परे ही गहरे पानी में मछलियां पकड़ी जाती हैं । सौराष्ट्र समुद्र तट और कच्छ से चल कर हम बम्बई तक आ गये हैं । सम्पूर्ण क्षेत्र का सर्वेक्षण कर लिया गया है । मछलियां पकड़ने के स्थान निर्धारित कर दिये गये हैं । ऋतु तथा धारायें निश्चित कर ली गई हैं । एक मानचित्र तैयार किया गया है और इस क्षेत्र से सम्बन्धित सम्पूर्ण ब्यौरा अब उपलब्ध है । अब हम कोचीन से शुरू करते हुए अन्य क्षेत्रों की खोज करने का प्रयत्न कर रहे हैं । हमारा इरादा इस रास्ते से पूर्वी तट की ओर आगे बढ़ने का है ।

†**श्री वोडयार** : क्या पश्चिमी तट में सर्वेक्षण किया गया था ; और यदि हां, तो मैसूर राज्य के किन क्षेत्रों में गहरे पानी में मछलियां पकड़ने की सफल संभावना विद्यमान है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : श्री इलुगेसन नामक एक विशेषज्ञ ने वहां जा कर मंगलौर के निकटवर्ती क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया था । वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कोजिकोड से मंगलौर तक का कनारा क्षेत्र झींगा मछलियों की दृष्टि से अत्यन्त समृद्ध है । उन के अनुसार यह क्षेत्र उस उदधि की भांति है जहां अनन्त मछलियां मिल सकती हैं ।

†**श्री वें० प० नायर** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अन्य देशों की नावें भारत के राज्य क्षेत्रातीत समुद्र[८] में मछलियां पकड़ने के कार्य में संलग्न हैं, क्या श्रीलंका और पाकिस्तान के पड़ौसी देशों के बीच राज्य-क्षेत्रीय समुद्र के संरक्षण तथा मत्स्य ग्रहण के विवरण के सम्बन्ध में कोई समझौता हुआ है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : हमारा विनियमन सामान्यतया तट से छः मील की दूरी तक मर्यादित हैं । समुद्र में ६ मील की दूरी से आगे अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार किसी भी देश के निवासी मछली पकड़ सकते हैं । भारत में यह विनियमन छ मील तक है । और देशों में यह विनियमन छः मील से कम है । वस्तुतः जापानी मछुओं का आग्रह है कि ६ मील के विनियमन में कमी होनी चाहिये ।

†**श्री अ० चं० गुह** : क्या माननीय मंत्री यह जांच कराने की कृपा करेंगे कि गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिये केन्द्रीय सरकार की ओर से पश्चिमी बंगाल को दिये गये 'ट्रालर्स' का क्या उपयोग किया जा रहा है ? कलकत्ता में आजकल मछलियों के बढ़ते हुए भावों को देखते हुए इस प्रकार की जांच महत्वपूर्ण है ।

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : अभी कल ही मैं ने समाचारपत्रों में पढ़ा है कि कलकत्ता में मछली और विशेष रूप से हिलसा मछली, जिसे बंगाली बहुत पसन्द करते हैं, साढ़े तीन रुपये और चार

---

†मूल अंग्रेजी में

[७]Off shore fishing Units.

[८]Extra territorial waters.

रुपये सेर बिक रही है। बाढ़ तथा अन्य कारणों से इस वर्ष इस का भाव और भी बढ़ गया है। पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा 'टी० सी० एम० बोट' का उपयोग किया जा रहा है और वे इस का प्रयोग बंगाल की खाड़ी के सर्वेक्षण में करते हैं।

†**श्री अ० चं० गुह** : विगत दो या तीन वर्षों में इन 'ट्रालर्स' द्वारा कितनी मछली पकड़ी गई है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : केन्द्रीय सरकार की नावों की सहायता से पकड़ी गई मछलियों की तादाद मेरे पास है, किन्तु पश्चिमी बंगाल द्वारा पकड़ी गई मछलियों की कुल मात्रा मेरे पास नहीं है। मैं माननीय सदस्य को ये आंकड़े बताने के लिये तैयार हूं।

†**श्री आचार** : क्या सरकार को दक्षिण कनारा में मालपी में आयोजित अखिल भारतीय मछुआ कानफ्रेंस की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

†**श्री वें० प० नायर** : गहरे पानी में मछली पकड़ने के विकास की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार ने वडगे और पेड्रो तटों के मछली पकड़ने के स्थानों के बारे में आवश्यक आंकड़े एकत्र किये हैं और निकट भविष्य में इन तटों पर व्यावसायिक दृष्टि से यह कार्य करने के लिये सम्पूर्ण आवश्यक जांच कर ली गई है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : हम ने इसे कोचीन से आरम्भ किया है। हमने दो बड़ी नावें—'अशोक' और 'प्रताप' कोचीन भेजी हैं। हम मानसून खत्म हो जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारी नावें मानसून ऋतु में प्रयुक्त नहीं की जा सकती हैं अतः इस के समाप्त होते ही वडगे तट पर जा कर सम्पूर्ण क्षेत्र का सर्वेक्षण कर आवश्यक जानकारी एकत्र की जायेगी।

†**श्री वें० प० नायर** : आप किस प्रकार के आंकड़े एकत्र कर रहे हैं।

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : हम मछली प्राप्त करने वाले स्थानों के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं। मछलियां हर स्थान पर उपलब्ध नहीं होती हैं। समुद्र में प्रवाह तथा अन्तर्प्रवाह के अनुसार किसी विशिष्ट क्षेत्र में ही ये पाई जाती हैं। इस के पश्चात् प्रव्रजनीय पथ है अर्थात् वह पथ जहां हो कर मछलियां जाती हैं किन्तु वे हर रोज एक मार्ग का ही अनुकरण नहीं करती हैं। फिर हम मछली पकड़ने की ऋतु, स्थान आदि के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं।

†**श्री त्यागी** : क्या केरल के समीपवर्ती जलक्षेत्र में "लाल मछलियां" पाली जायेंगी।

†**श्री वें० प० नायर** : मैं एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या हम सभा को मछली-पालन प्रशिक्षण केन्द्र का रूप दे रहे हैं ? दूसरा प्रश्न।

## क्षिप्रा नदी के ऊपर पुल

†७९०. **श्री खादीवाला** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इंदौर और देवास के बीच आगरा-बम्बई राष्ट्रीय राजपथ पर क्षिप्रा नदी के ऊपर वर्तमान पुल को चौड़ा करने का काम कब से प्रारम्भ होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : उचित ठेका मंजूर हो जाने पर यह कार्य शुरू कर दिया जायेगा । राज्य सरकार को एक योग्य ठेकेदार ढूंढने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है यहां तक कि तीसरी बार ठेका आमंत्रित करना पड़ा है ।

**श्री खादीवाला** : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि एक समय में एक ही गाड़ी उस पुल पर से जा सकती है और इसलिये वहां आमदो-रफ्त में काफ़ी दिक्कत हो रही है ?

**श्री राज बहादुर** : बहुत दिन पूर्व ही इस दिक्कत की अनुभव किया गया था और इस पुल के सम्बन्ध में स्वीकृति दे दी गई थी, किन्तु इस समय कठिनाई किसी अच्छे ठेकेदार को काम सौंपने की है ।

**श्री खादीवाला** : यह कार्य कितने समय में हो जायगा ?

**श्री राज बहादुर** : जैसे ही कोई अच्छा ठेकेदार मिल जायेगा और ठेका मंजर हो जायेगा, यह कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

**श्री राधे लाल व्यास** : क्या ठेकेदार खुद ही आ जायेगा ? क्या इस सम्बन्ध में टेन्डर मांगे गये हैं, यदि नहीं, तो अभी तक टेंडर क्यों नहीं मांगे गये हैं ?

**श्री राज बहादुर** : दो बार टेन्डर मांगे गये हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई अच्छा ठेकेदार नहीं मिला । अब तीसरी बार फिर टेन्डर मांगे गये हैं ।

## फालतू खाद्यान्न

†*७९१. **श्री कासलीवाल** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार देश में अतिरिक्त गेहूं अथवा अन्य किसी खाद्यान्न खरीदने का विचार रखती है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : सरकार आजकल उड़ीसा में चावल और राजस्थान में चना खरीद रही है । हाल ही में संशोधित अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत आंध्र में चावल खरीदने की व्यवस्था की जा रही है ।

†**श्री कासलीवाल** : सरकार कितने चने खरीदने का विचार रखती है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : हमारा इरादा गंगानगर में उपलब्ध चने का पचास प्रतिशत भाग खरीदने का है । हम ने गंगानगर में अनाज बाहर भेजने पर रोक लगा दी है तथा नई संशोधित विधि के अनुसार अनाज खरीदने का कार्य प्रगति पर है । स्टाक की स्थिति पूछी गई है और कुछ व्यक्तियों के नाम समाहार नोटिस जारी कर दिये गये हैं ।

†**श्री कासलीवाल** : क्या सरकार खरीफ की फसल कट जाने के पश्चात् मोटा अनाज खरीदने का विचार कर रही है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : यह बात भी हमारे मस्तिष्क में है ।

†**श्री महन्ती** : कीमत निर्धारित करने का क्या आधार है ? कीमत निर्धारित करते समय कृषकों के लिये उचित कीमत प्रदान करने का भी सरकार ख्याल रखती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

*Surplus food grains

†**श्री अ० प्र० जैन :** हम यह अनाज व्यापारियों से खरीद रहे हैं और कीमत निर्धारित करते समय हम अधिसूचना की तिथि अर्थात् ६ जून के पूर्ववर्ती तीन महीनों में व्याप्त कीमत का औसत निकाल लेते हैं। कई बार अन्य बातों पर भी विचार किया जाता है और उन के अनुसार कीमतें तय की जाती हैं। जहां तक कृषकों का सम्बन्ध है, अनाज उन से प्राप्त नहीं किया गया है। किन्तु, मैं माननीय मित्र की इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि कृषकों को उचित कीमत दी जानी चाहिये।

†**डा० सुशीला नायर :** क्या सरकार ने अनाज के रूप में कर वसूल करने पर विचार किया है ताकि किसानों को फसल बेच कर कर चुकाने की कठिनाई से मुक्ति मिल जाये ?

भाव में गिरावट आने पर किसानों को बड़ी कठिनाई होती है। अनाज बेचने पर किसान को जो रुपये मिलते हैं वह और कर की रकम प्राय: समान हो जाती है।

†**श्री अ० प्र० जैन :** यह एक जटिल प्रश्न है; किन्तु हमारी प्रार्थना पर राज्य सरकारों द्वारा इस प्रकार किसी प्रस्थापना पर विचार किया जा रहा है। मैं यह नहीं कह सकता कि इस का क्या परिणाम निकलेगा ?

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** राजस्थान में चने की फसल के बारे में सरकार का क्या विचार है और स्वयं राजस्थान को कितने चने की आवश्यकता होगी ? राजस्थान में उत्पन्न आधा चना खरीदने का निर्णय सरकार ने किस आधार पर किया है ?

**श्री अ० प्र० जैन :** हम पूर्ण अवगत हैं कि कीमतों पर नियत्रण करने का एक प्रभावशाली तरीका पर्याप्त मात्रा में स्टाक रखना है। हम गंगानगर की मण्डी को बिल्कुल खाली नहीं कर देना चाहते हैं। हमारा इरादा पचास प्रतिशत गल्ला खरीदना है, यह अधिक भी हो सकता है और कम भी फिर यह अनाज देश के विभिन्न भागों में, जिन में राजस्थान भी सम्मिलित है, समान रूप से वितरित कर दिया जायेगा। इस तरह राजस्थान की मांग भी पूरी कर दी जायेगी।

†**श्री रंगा :** क्या यह सच है कि मेरे माननीय मित्र, खाद्य तथा कृषि मंत्री, और उन के उपमंत्री ने आन्ध्र में स्थानीय चावल मिलों के मालिकों तथा आन्ध्र के खाद्य तथा कृषि मंत्री से अपनी एक बातचीत में यह स्वीकार किया था कि क्योंकि बम्बई तथा कलकत्ता में रहने वाले लोगों में ही उस चावल की खपत है इसलिये उबले चावल की ४०,००० टन मात्रा बम्बई तथा कलकत्ता को निर्यात की जा सकती है और की जानी चाहिये। परन्तु इस के बावजूद रेलवे से अब इस प्रकार के निर्यात को रोकने के लिये कहा गया है ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** सच यह है कि जब मैं ने आंध्र के खाद्य मंत्री और चावल मिलों के मालिकों से भी बातचीत की थी तब यह स्वीकार किया गया था कि हम कलकत्ता तथा बम्बई को उबला चावल नहीं बल्कि बढ़िया चावल की कुछ मात्रा निर्यात करने की अनुमति देंगे। परन्तु इस के लिये शर्त यह थी कि पहिले दक्षिणी खण्ड की आवश्यकतायें पूरी की जायें। अभाग्यवश आन्ध्र में व्यापारियों ने अत्यन्त समाज विरोधी ढंग से व्यवहार किया है। उन्हों ने केरल या मैसूर या मद्रास, किसी भी जगह पर्याप्त स्टाक नहीं भेजा है जिस का परिणाम यह है कि

†**कुछ माननीय सदस्य :** क्यों ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री को अपना उत्तर समाप्त करने दीजिये। प्रश्न यह है, "क्यों"। आप को आन्ध्र वासियों से पूछना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० प्र० जैन :** यदि वे कुछ धैर्य रखें तो मैं इस बात का भी उत्तर दे दूंगा । आन्ध्र के व्यापारियों ने बाद में अधिक दाम कमाने के लिये भारी मात्रा में स्टाक रख लिये हैं ।

†**श्री रंगा :** मैं एक और प्रश्न द्वारा इस का अनुसरण करूंगा यदि वे सरकार को अपने स्टाक देने के लिये तैयार हों तो क्या सरकार आज भी उन के स्टाक अपने अधिकार में लेने के लिये तैयार है ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** यदि वे देंगे तो मैं आन्ध्र का तमाम फ़ालतू स्टाक लेने के लिये तैयार हूं, और यदि वे नहीं देना चाहते हैं तो मैं अनिवार्य रूप से उन्हें ले लूंगा ।

†**श्री रंगा :** वे देने के लिये तैयार हैं । मुझे मालूम नहीं कि केरल सरकार, मद्रास सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच क्या कुछ हो रहा है ; परन्तु आन्ध्र सरकार और आन्ध्र की चावल सम्बन्धी मिलों के मालिक भी चावल के स्टाक सरकार को देने के लिये तैयार हैं । वे यहां भी आये हैं ।

†**श्री नागी रेड्डी :** आन्ध्र की चावल मिलों के मालिक चावल बेचने से इन्कार क्यों कर रहे हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** हम इस मामले पर वादविवाद नहीं कर रहे हैं । उत्तर जानने के लिये केवल कुछ ही प्रश्न पूछे जाते हैं । काफ़ी कुछ कहा जा चुका है ।

†**श्री अ० प्र० जैन :** वे उचित दामों पर नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर बेचने के लिये तैयार हैं और हम ने वहां एक अधिकारी नियुक्त किया है । काफ़ी हद तक प्रगति हुई है । शीघ्र ही वहां चावल प्राप्त करने की कार्यवाहियां शुरू करने का हमारा प्रस्ताव है ।

†**श्री ब० स० मूर्ति :** मंत्री महोदय ने कहा है कि आन्ध्र के मिल मालिकों द्वारा समाज विरोधी कार्यवाहियां की जा रही हैं । यदि वे जानते हैं कि वहां समाज विरोधी कार्यवाहियां की जा रही हैं तो उन्हें दबाने के लिये उन्हों ने क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** मैं ने वहां अपने अधिकारी नियुक्त किये हैं जिन्हों ने एक योजना तैयार की है । ६ जून से पहिले के तीन महीनों में जो औसत दाम थे उन दामों पर हम अनिवार्यतः स्टाक खरीदेंगे ।

## नाविक वास्तुशास्त्री[10]

†७९३. **श्री झूलन सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में नाविक वास्तुशास्त्रियों की बहुत कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाहियां की गई हैं और की जायेंगी ?

**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) भारत में नाविक वास्तुशास्त्रियों की कमी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

10. Naval architects

(ख) जुलाई, १९५२ से खड़गपुर की भारतीय प्रौद्योगकीय संस्था में नाविक वास्तुकला तथा पोतीय इंजीनियरी में बैचलर की डिग्री[११] के लिये पांच वर्ष का एक पाठ्य क्रम शुरू किया गया है और इस समय प्रति वर्ष इस में १२ विद्यार्थी लिये जाते हैं। यह ख्याल किया जाता है कि संस्था में जो सुविधायें हैं वे आगामी कुछ समय के लिये नाविक वास्तुशास्त्रियों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त सिद्ध होंगी।

†**श्री झूलन सिंह** : नौ सेना के सम्बन्ध में आने वाले वर्ष में इस देश की गति को तेज़ करने के महत्व को देखते हुए क्या सरकार ने उन निम्न वास्तुशास्त्रियों के प्रशिक्षण के प्रश्न पर और उन के अनुभव तथा प्रशिक्षण से लाभ उठाने की बात पर विचार किया है जो आजकल समुद्र तट पर छोटे जहाज़ बनाने के काम पर नियुक्त हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : हमें प्रकृष्ट प्रकार के ऐसे विशेषज्ञ वास्तुशास्त्रियों की आवश्यकता है जो जहाज़ निर्माण की वास्तुकला को जानते हों। इसलिये हम ने प्रशिक्षण की अपनी प्रणाली ऐसी बनाई है कि हम १२ शिक्षार्थियों के लिये प्रशिक्षण का ऐसा पाठ्य-क्रम रखेंगे कि वे नाविक वास्तु-कला में बैचलर की डिग्री प्राप्त कर सकेंगे।

†**श्री जोकीम आल्वा** : यूगोस्लाविया ने हमें यहां जहाज़ -निर्माण के लिये सुविधायें देने का प्रस्ताव किया था और ब्रिटेन द्वारा भी ऐसा ही प्रस्ताव किया गया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि नाविक वास्तुकला में प्रशिक्षण के लिये और अधिक विद्यार्थियों को विदेश भेजने की अपेक्षा हम केवल खड़गपुर में ही प्रशिक्षण को क्यों काफी समझ रहे हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : केवल प्रशिक्षण के विशिष्ट प्रयोजन के लिये ही एक समिति नियुक्त की गई थी और समिति की सिफ़ारिशों को स्वीकार करने के फलस्वरूप यह संस्था मूर्त रूप में सामने आई है और अनुमान लगाया गया है कि इस समय हमें १२ व्यक्तियों की ही आवश्यकता है। मेरे विचार में फिलहाल यह पर्याप्त है।

## अरब सागर में मरी हुई मछलियां

\+

†*७९४. **श्री वें० प० नायर** :
**डा० राम सुभग सिंह** :
**श्री बोस** :
**श्री रघुनाथ सिंह** :
**श्री दि० प्र० सिंह** :

**क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून तथा जुलाई, १९५७ में केरल के तट से परे अरब सागर में अत्यधिक संख्या में मरी हुई मछलियां देखी गई थीं ; और

(ख) क्या भारत सरकार ने समुद्र में मछलियों के मरने के कारण की जांच की है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) जी, हां ; संयुक्त राष्ट्र की खाद्य तथा कृषि संस्था से प्राप्त सूचना के अनुसार यह बात ठीक है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[११] Bachelor's Degree in Naval Architecture and Marine Engineering

(ख) मण्डपम तथा कोजीकोड के केन्द्रीय समुद्री मीनक्षेत्र गवेषणा केन्द्रों में मत्स्य जीव विज्ञान वेत्ताओं[११] द्वारा प्राप्य जानकारी का अध्ययन किया जा रहा है ।

†**श्री वें० प० नायर** : अब तक प्राप्य जानकारी से क्या महामारी फैलने का कोई संकेत मिला है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : जी, नहीं । रूस के एक बड़े वैज्ञानिक द्वारा यह बात बताई गई थी और हम इस बात की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं । हम खाद्य तथा कृषि अधिकारियों से सम्पर्क बनाये हुए हैं । हमारे पास अब तक प्राप्य जानकारी दिल्ली में खाद्य तथा कृषि संस्था की प्रादेशिक शाखा द्वारा भेजी गई एक अधिसूचना है और एक रूसी वैज्ञानिक ने यह प्रतिवेदित किया है कि अमुक क्षेत्र में इतनी मछलियां मरी हैं । उस वैज्ञानिक द्वारा अक्ष रेखा तथा देशान्तर रेखा, आदि और आंकड़े दिये गये थे ।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या मरी हुई मछलियों की मात्रा के सम्बन्ध में कोई प्राक्कलन दिया गया है—क्या भारत सरकार के पास वह प्राप्य है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : वैज्ञानिक के मतानुसार उन की संख्या संसार भर में एक वर्ष में पकड़ी जाने वाली मछलियों के बराबर है, अर्थात् लगभग २ करोड़ टन है । परन्तु हम खाद्य तथा कृषि संस्था से सम्पर्क बनाये हुए हैं और यथा सम्भव शीघ्र ही अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

†**श्री वें० प० नायर** : माननीय मंत्री द्वारा दिये गये चिन्ताजनक आंकड़ों को देखते हुए क्या भारत सरकार मछलियों की बड़े पैमाने पर मृत्यु के मामलों की जांच के लिये अन्य देशों से सहायता ले रही है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : खाद्य तथा कृषि संस्था ही उचित और उपयुक्त प्राधिकारी है और उन के द्वारा ही हम अग्रेतर कार्यवाही करना चाहते हैं । इस समय हमारे पास ऐसी सुविधायें नहीं हैं कि हम तट से परे ३०० मील दूर जायें और इस का अनुमान लगायें । इस प्रयोजन के लिये समुद्र में ३०० या ४०० मील दूर जान के लिये हमारे पास मछलियां पकड़ने की नौकायें नहीं हैं ।

†**श्री त्रि० कु० चौधरी** : क्या सरकार के पास यह मानने का कोई कारण है कि ये मरी हुई मछलियां अरब सागर की नहीं हैं बल्कि किसी अन्य प्रदेश से बह कर अरब सागर में आई हैं ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : समस्त बात की जांच की जा रही है । वैज्ञानिकों का यह मत है कि इस प्रकार की मृत्यु कोई असाधारण बात नहीं है ; क्योंकि कुछ पानी में आक्सीजन की कमी के कारण भी कई बार बड़े पैमाने पर मछलियां मर जाती हैं । ऐसा पहिली बार नहीं हुआ है । परन्तु हमें यह मालूम करना है कि क्या उस क्षेत्र में इस कारण से विशिष्ट प्रकार की यह मृत्यु हुई है या उन की मौत के कई अन्य कारण भी हैं ।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या सरकार का अब तक कुछ अनुमान है कि इस का भावी कुछ समय के लिये पश्चिमी तट के मीन-क्षेत्रों पर क्या प्रभाव होगा ?

---

† मूल अंग्रेजी में

११. Central Marine Fisheries Research Station, Fishery Biologists

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : पश्चिमी तट पर इस ऋतु में इस का अभी तक कुछ प्रभाव नहीं हुआ है। वहां मछलियां पकड़ने की अब ऋतु नहीं है। यह वर्षा ऋतु है। परन्तु पश्चिमी बंगाल से कुछ शिकायतें मिली हैं कि समुद्र में अधिक मछलियां नहीं पकड़ सके हैं। अब जिस क्षेत्र की ओर निर्देश किया गया है पश्चिमी बंगाल उस से बहुत दूर है।

## रेलवे में मितव्ययता

†*७९९. श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जैसा कि रेलवे बोर्ड के १ जुलाई, १९५७ के प्रेस-समाचार में कहा गया है, रेलवे के खर्च में पूरी मितव्ययता बरते जाने के सम्बन्ध में और निरन्तर निगरानी सुनिश्चित किये जाने के लिये रेलवे बोर्ड द्वारा क्या महत्वपूर्ण कार्यवाहियां की गई हैं ; और

(ख) खर्च तथा व्यक्तियों के सम्बन्ध में मितव्ययता का प्राक्कलन क्या है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) लोक सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १२२].

(ख) पिछले कुछ महीनों में जो कार्यवाहियां अपनाई गई हैं और हाल ही में जिन्हें अधिक अग्रता के साथ क्रियान्वित किया गया है उन से कितनी बचत की जा सकेगी इस का परिणाम अभी नहीं किया जा सकता है। तथापि यह बताया जा सकता है कि बोर्ड के संस्थापन में हाल ही में निदेशक का एक पद तथा संयुक्त निदेशकों के तीन पद अर्ध्यपित[11] कर दिये गये हैं (लगभग ६०,००० रुपये प्रतिवर्ष की बचत है)।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : जैसाकि अन्य सभी मंत्रालयों ने, विशेषत: वित्त मंत्रालय ने, गैर सरकारी पदाधिकारियों को भी ऐसी समितियों से सम्बद्ध किया है। उसी प्रकार से इस समिति में गैर सरकारी अधिकारियों को सम्बद्ध न करने का क्या कोई कारण है ?

†श्री शाहनवाज खां : मुझे अन्य मंत्रालयों में गैर सरकारी अधिकारियों को सम्बद्ध करने की बात मालूम नहीं है परन्तु हम अपने मंत्रालय में किसी भी गैर सरकारी अधिकारी द्वारा दिये गये किसी भी सुझाव को बहुत महत्व देते हैं।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मुझे आशा है कि माननीय मंत्री को यह बात मालूम है कि सी सभा में वित्त मंत्री ने हमें यह ब्योरा बताया था कि गैर सरकारी अधिकारियों को किस प्रकार से सम्बद्ध किया गया है और विशिष्ट परियोजना के लिये किस प्रकार से अधिकारियों के दल भेजे गये हैं। क्या रेलवे मंत्रालय के इस मत का कोई विशिष्ट कारण है कि गैर सरकारी अधिकारियों को सम्बद्ध करना आवश्यक नहीं है और केवल अतिरिक्त सदस्यों और निदेशकों से ही काम चला सकते हैं ?

†मूल अंग्रेजी में।

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : मेरे विचार में रेलवे मंत्रालय में वैसी ही कार्यवाही का अनुसरण आवश्यक नहीं है। वस्तुतः माननीय सदस्य ने स्वयं कहा है कि नई परियोजनाओं के प्रश्न पर विचार करने के लिये अधिकारियों के जिस दल से गैर सरकारी अधिकारियों को सम्बद्ध किया गया था उस का ब्योरा वित्त मंत्रालय ने दिया था। हमारे पास इस बात का उत्तर है और रेलवे मंत्रालय के सम्बन्ध में उत्तर दिया जा चुका है। हम बोर्ड में यथा सम्भव मितव्ययता लाने का प्रयत्न कर रहे हैं और फिर रेलवे के सम्बन्ध में भी ऐसा ही किया जायेगा और हम देखेंगे कि वहां हम क्या कर सकते हैं।

†**डा० सुशीला नायर** : मितव्ययता की निर्विलम्ब आवश्यकता को देखते हुए, जिस पर स समय विभिन्न सरकारी विभागों का ध्यान भी संकेन्द्रित है, क्या रेलवे बोर्ड का हाल ही का पर्याप्त विस्तार उस नीति के प्रतिकल नहीं है और क्या माननीय मंत्री इस खर्च को कम करने के लिये सोचेंगे ?

†**श्री जगजीवन राम** : यह एक और प्रश्न है जिस का उत्तर मैं दे चुका हूं। प्राक्कलन समिति की सिफ़ारिश पर रेल बोर्ड का विस्तार किया गया था। बोर्ड की सदस्यता नहीं बढ़ाई गई थी परन्तु एक वर्ष हुआ रेलवे बोर्ड के कुछ अतिरिक्त सदस्यों को नियुक्त किया गया था। यह कार्यवाही स्वयं रेलव बोर्ड का कार्य-भार बढ़ जा के कारण की गई थी। जैसाकि माननीय उपमंत्री ने अभी कहा है हम पदों की संख्या कम कर रहे हैं और हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि स्वयं रेलवे बोर्ड में कितने और पदों को कम करना सम्भव होगा।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : जैसाकि प्रधान मंत्री ने पिछले दिनों बताया था और जैसाकि अन्य सभी मंत्रालयों में किया गया है, क्या रेलवे द्वारा भी वैसी ही कार्यवाही की गई है और मितव्ययता के लिये अन्तरिम आदेश जारी किये जा चुके हैं ?

†**श्री जगजीवन राम** : जहां तक विशिष्ट अवधि के लिये रिक्त स्थानों की पूर्ति करने से सम्बन्धित निदेश का सम्बन्ध है, अन्य मंत्रालयों को जारी किया गया सामान्य निदेश रेलवे पर भी लागू होता है।

## अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

### माल तथा यात्री यातायात की प्रति मील दर

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७. श्री त्यागी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने भारत में अत्यधिक अनुत्पादी तथा अविकसित पहाड़ी क्षेत्रों में बेरोज़गारी तथा ग़रीबी की उग्र स्थिति को देखते हुए सरकारी रेलों के पहाड़ी तथा अर्धपहाड़ी सैक्शनों पर माल तथा यात्री यातायात की बढ़ी हुई प्रति मील दर को कम करने का कोई निर्णय किया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : जी, हां। लोक सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में निर्णय का ब्यौरा दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १२३]**.

†**श्री भक्त दर्शन** : क्या मैं जान सकता हूं कि किन किन रेलवेज़ पर यह आदेश लागू होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जगजीवन राम** : यह तो सदस्य महोदय अगर स्टेटमेंट देख लें तो उनको मालूम हो जायेगा ।

## रेलवे दुर्घटना

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के बालीगंज और गोबरा क्रासिंग पर बिना लाइट के जा रहे एक इंजन ने कई व्यक्तियों को कुचल दिया था;

(ख) कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी और कितने घायल हुए थे;

(ग) क्या यह सच है कि ड्राइवर ने बालीगंज के स्टेशन अधकारियों को लाइट फेल होने की इत्तला दे दी थी; और यदि हां, तो उसे आगे जाने की अनुमति कैसे दी गई थी;

(घ) क्या मृतकों तथा घायलों को प्रतिकर दिया जा चुका है; और

(ङ) क्या दुर्घटना की कोई जांच की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) तथा (ख). ३१-७-५७ को लगभग १९.३० बजे लक्ष्मीकान्तपुर से सियालदा जाने वाली सवारी गाड़ी संख्या एस २९५ अप से बालीगंज के उत्तरी केबिन के निकट, मील २/१५ पर, दो पैट्रोलमैन कुचले गये और वे मर गये । उसी गाड़ी से लगभग १९.५८ बजे बालीगंज और कलकत्ता दक्षिण स्टेशनों के बीच मील १/१२ पर एक व्यक्ति टकरा कर गिर पड़ा और सख्त ज़ख्मी हुआ । बाद में अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई ।

(ग) बालीगंज से चलने के बाद गाड़ी के इंजन की हैड लाइट बुझ गई थी और इसलिए ड्राइवर बालीगंज में स्टेशन के कर्मचारियों को इसकी सूचना नहीं दे सका था तथापि इसमें विहित 'बफर लाइट' लगी हुई थी ।

(घ) अब तक प्रतिकर के लिए कोई दावा नहीं किया गया है ।

(ङ) दुर्घटना कारण स्पष्ट ही था, इसलिए जांच करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती**: गाड़ी के लाइन पर चलने से पहिले बत्तियों की जांच पड़ताल के लिए उत्तरदायी कौन है और यह कैसे सम्भव है कि इन लाइनों पर अधिकतर गाड़ियां प्रायः बिना बत्ती के चलती हैं ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : बत्तियों की देखभाल का उत्तरदायित्व इंजन घरों (लोको शैड्स) से सम्बद्ध इंजन अनुरक्षण कर्मचारीवृन्द[14] तथा बिजली सम्बन्धी कर्मचारीवृन्द[15] पर है । कभी-कभी लाइट एक दम फेल हो जाती हैं । इस विशिष्ट मामले में बत्ती का कुछ भाग टूट गया था और बत्ती के बुझने का कारण एक विशिष्ट यंत्र में खराबी पैदा होना था ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती**: क्या माननीय उपमंत्री का ध्यान प्रेस में प्रकाशित उन कुछ पत्रों की ओर भी आकृष्ट किया गया है जिन में कहा गया है कि राणघाट और कृष्णागर के बीच चलने वाली गाड़ियों के सम्बन्ध में भी ऐसी ही बात है और वे प्रायः बिना बत्ती के चलती ह और इन मार्गों पर कई दुर्घटनायें हो चुकी हैं ?

---

† मल अंग्रेजी में

[14]Locomotive maintenance staff
[15]Electrical staff

†**श्री शाहनवाज़ खां** : समय समय पर ऐसी बातें हमारी जानकारी में लाई जाती हैं। यह सच है कि कुछ अवसरों पर इंजन बिना बत्ती के चलते हैं हमारी कठिनाई यह है कि इंजन के पुर्ज़ों और रोशनी के अन्य उपकरण की बहुत चोरी होती है। इसलिए कुछ बार हमारे लिए स्थिति का सामना करना कठिन हो जाता है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या नियमों में यह उपबन्धित नहीं है कि यदि हैड लाइट जल न रही हो तो इंजन आगे नहीं जा सकता ? ऐसी ही बात जडचेरला-महबूबनगर दुर्घटना में भी हुई थी; बत्तियां बुझी हुई थीं।

†**श्री शाहनवाज़ खां** : जब इंजन चलता है तो उसमें हैड लाइट के अतिरिक्त एक वैकल्पिक बत्ती की भी व्यवस्था होनी चाहिये। इस मामले में 'बफर लाइट' जल रही थी। नियमों में यह उपबन्धित है कि इंजन में रोशनी के लिए वैकल्पिक प्रबन्ध अवश्य होना चाहिये। इस विशिष्ट मामले में 'बफर लाइट' जल रही थी।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को देखते हुए कि माननीय उपमंत्री ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि कुछ मामलों में 'हैड लाइट' के बिना गाड़ियों के चलाने की सूचना मिली है। क्या मैं जान सकता हूं कि 'हैड लाइट' के बिना इन्हें चलने ही क्यों दिया जाता है और इंजन घर (लोको शैड) से इंजन को बाहिर निकालने के समय इस की जांच क्यों नहीं की जाती है ?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : बत्ती के बिना उन्हें चलने नहीं दिया जाता है। जैसा कि उत्तर में कहा गया है स्टेशन से गाड़ी के जाने के बाद ही यह बात देखी गई थी और इसलिए ड्राइवर 'हैड लाइट' बुझ जाने की बात स्टेशन मास्टर को नहीं बता सका था। नियमों के अनुसार 'हैड लाइट' बुझ जाने की स्थिति में वैकल्पिक बत्ती की व्यवस्था होनी चाहिये। इस विशिष्ट मामले में जब 'हैड लाइट' बुझ गई थी तब 'बफर लाइट' जल रही थी।

†**श्री हेम बरुआ** : यदि मैं माननीय उपमंत्री की अंग्रेजी को ठीक समझा हूं तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि इंजनों को बिना बत्ती के चलने की अनुमति है और इसकी जानकारी होती है।

†**श्री जगजीवन राम** : जहां तक मैं माननीय उपमंत्री की अंग्रेज़ी को समझ सकता हूं उनका यह उत्तर नहीं था। उन्होंने केवल इतना कहा था कि गाड़ियों में 'हैड लाइट' के फेल हो जाने की घटनायें हुई हैं और इस का तात्पर्य यह है कि जब 'हैड लाइट' बुझ जाती है तो गाड़ी कुछ मीलों तक उसके बिना तो चलती ही है।

## हावड़ा-बर्दवान सैक्शन पर बिजली से रेलें चलाना

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा-बर्दवान सैक्शन पर बिजली से रेलें चलाने के लिए उपकरण के सम्भरण के सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड द्वारा जर्मन सार्थों से एक करार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो करार का स्वरूप क्या है;

(ग) कुल कितनी रकम खर्च की जायेगी; और

---

†मूल अंग्रेजी में।

(घ) उपकरण कब तक प्राप्त हो जायगा ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) से (घ). लोक सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १२४.]

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : विवरण में यह कहा गया है कि डिब्बों के लिए विश्व टेण्डर[16] आमंत्रित किये गये थे । क्या 'आउट डोर' प्रकार के सब-स्टेशन उपकरण के लिए मैसर्स सीमन्स एंजीनियरिंग एण्ड मैनुफैक्चरिंग कम्पनी को ठेका देने से पहिले विश्व टेण्डर आमंत्रित किये गये थे ?

†श्री शाहनवाज खां : जी हां; प्रत्येक मामले में टेण्डर आमंत्रित किये गये थे ।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या इस से मैं यह समझ लूं कि वस्तुतः उन्हें ठेका दिया गया था जिनका टेण्डर सब से कम था ?

†श्री शाहनवाज खां : निम्नतम स्वीकार्य टेण्डरों को ठेका दिया गया था ।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं यह जान सकती हूं कि मामले की "स्वीकार्यता" का अभिप्राय क्या है ?

†श्री शाहनवाज खां: हमें कुछ प्रविधिक ब्योरे को देखना होता है । विशेषज्ञों को विभिन्न प्रविधिक ब्योरे पर विचार करना होता है । प्रावैधिक रूप से कुछ टेण्डर हमारे प्रमापों से स्वीकार्य हो सकते हैं और कुछ नहीं भी हो सकते हैं ।

†श्री साधन गुप्त : "निम्नतम टेण्डर" तथा "निम्नतम स्वीकार्य टेण्डर" में क्या अन्तर है ?

†अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने बताया है कि "निम्नतम स्वीकार्य टेण्डर" एक पारिभाषिक शब्द है ।

†श्री साधन गुप्त : मैं इन दोनों में मौद्रिक अन्तर जानना चाहता हूं ।

†अध्यक्ष महोदय : दोनों में अन्तर क्या है ?

†श्री शाहनवाज खां : मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

†श्री हेम बरुआ : जिन देशों ने टेण्डरों के लिए हमारी अधिसूचना का उत्तर दिया है उनके नाम क्या हैं ?

†अध्यक्ष महोदय : जिन देशों से टेण्डर मांगे गये हैं उनके नाम क्या हैं ?

†श्री शाहनवाज खां : लगभग सभी प्रमुख देशों से उनकी संख्या १८ है ।

†श्री हेम बरुआ : मैं निश्चित उत्तर चाहता हूं । मैं उन देशों के नाम जानना चाहता हूं ।

†अध्यक्ष महोदय: यदि माननीय सदस्य उन १८ देशों के नाम दोहराना भी चाहते हों तो मैं इसकी स्वीकृति नहीं दूंगा । माननीय सदस्य व्यर्थ ही प्रश्न को लम्बा बना रहे हैं । यदि वे अधिक रुचि रखते हैं तो स्वयं प्रश्न की पूर्वसूचना दें । मैं ने देखा है कि कुछ माननीय सदस्य स्वयं तो प्रश्न की सूचना देते नहीं हैं और अवसर की प्रतीक्षा करते रहते हैं । जब किसी अन्य सदस्य द्वारा प्रश्न पूछा जाता है तो वे उस पर अनुपूरक प्रश्न पूछते रहते हैं । मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[16]Global tenders

†**श्री त्रि० कु० चौधरी** : माननीय मंत्री ने "निम्नतम टेंडर" और "निम्नतम स्वीकार्य टेंडर" में अन्तर बताया है और कुछ प्रविधिक बातें भी बताई हैं । क्या हम यह समझें कि जब टेंडर मांगे जाते हैं तो टेंडर भेजने वालों को विशेष-विवरण और ब्योरा नहीं बताया जाता ।

†**श्री शाहनवाज़ खां** : जब टेंडर मांगे जाते हैं उस समय विशेष विवरण भी बताया जाता है । जब टेंडर प्राप्त होते हैं तो प्रविधिक कर्मचारी यह देखते हैं कि क्या टेंडर विज्ञापन में दिये गये विशेष विवरण[17] के अनुकूल हैं और क्या टेंडर भेजने वालों की स्थिति ऐसी है कि यदि उनका टेंडर स्वीकार कर लिया जाये तो वे पट्टे को पूरा कर सकेंगे या नहीं । टेंडर पर निश्चय करने से पूर्व इन बातों पर विचार करना होता है । इसलिये यह आवश्यक नहीं कि निम्नतम टेंडर ही स्वीकार किया जाये बल्कि वह निम्नतम स्वीकार्य टेंडर होता है ।

†**श्री सिंहासन सिंह** : मैं प्रश्न के उत्तर में प्रमुख देशों के नाम सुनना चाहता था । क्या हम उन देशों के नाम नहीं जान सकते जिन्होंने उन वस्तुओं के टेंडर भेजे हैं जिनकी हम ने मांग की थी ?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : मैं सारी सूची पढ़ने के लिये तैयार हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या सब देशों ने टेंडर भेजे हैं ?

†**श्री सिंहासन सिंह** : उन देशों के क्या नाम हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय**: यह कहना और बात है कि १८ देशों से टेंडर मांगे गये हैं । क्या उन सब ने टेंडर भेजे हैं ?

†**श्री जगजीवन राम** : उनमें से बहुत सों ने भेजे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय**: यदि माननीय सदस्य और जानकारी चाहते हैं तो वह अलग प्रश्न की सूचना दें ।

## स्टेशन मास्टर संथा[18] द्वारा हड़ताल का नोटिस

+

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या १०** { **श्रीमती इला पालचौधरी** :<br>**पंडित द्वा० ना० तिवारी** :

क्या रेलव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर और असिस्टेंट स्टेशन मास्टर संथा ने रेलवे अधिकारियों को नोटिस दिया है कि वे १४-१५ सितम्बर, १९५७ की अर्द्ध रात्रि से हड़ताल कर देंगे;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिय परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या १२५].

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[17]Specifications

[18]Station Masters Association

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : विवरण से यह प्रकट होता है कि बिना किराये के क्वार्टर का कहीं उल्लेख नहीं है । क्या सरकार इस सम्बन्ध में जानकारी देने के लिये प्रस्तुत है ? क्या उन्हें—विशेष रूप से असिस्टेंट स्टेशन मास्टरों को—बिना किराये के क्वार्टर मिलते हैं अथवा उन्हें कुछ किराया देना पड़ता है ?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : विरण से यह स्पष्ट है कि उन्हें बिना किराये के क्वार्टर नहीं मिलते हैं । उत्तर से यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि इस प्रश्न पर वेतन जांच आयोग विचार करेगा । जिसकी कि स्थापना होने जा रही है ।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** : क्या एक बड़ी शिकायत यह नहीं है कि यद्यपि केन्द्रीय वेतन आयोग ने इस श्रेणी के कर्मचारियों के लिये सात भिन्न-भिन्न वेतन-क्रम की सिफारिश की है, किन्तु रेलवे ने ८७ प्रतिशत कर्मचारियों को निम्नतम वेतन-क्रम में रख छोड़ा है ?

†**श्री जगजीवन राम** : माननीय सदस्य से मैं प्रार्थना करता हूं कि वह केवल धारणा अथवा कल्पना पर आधारित प्रश्न नहीं पूछें ।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** : एक औचित्य प्रश्न है । क्या मुझे यह जानने का अधिकार नहीं कि यह एक प्रमुख शिकायत थी ?

†**श्री जगजीवन राम** : यदि सब प्रकार की बातें पूछी जायें तो फिर विवरण रखने का फायदा ही क्या हुआ ?

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : विवरण में "सुविधायें" शीर्षक के अन्तर्गत रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिये राज सहायता प्राप्त होस्टल का उपबंध है । बजट पत्रों में सिकन्दराबाद के एक होस्टल का उल्लेख है । अन्य कितने होस्टल की स्थापना की जायेगी ?

†**श्री जगजीवन राम** : बजट भाषण में मैंने कहा था कि प्रत्येक प्रादेशिक भाषा ज़ोन में कम से कम एक होस्टल की स्थापना का विचार है ।

†**श्री तंगामणि**: विवरण में इस आशय की एक मांग है कि जो लोग नौकरी में हैं उनके लिये बगैर चश्मे आंखों की जांच[१९] नहीं होनी चाहिये । क्या इस मांग पर पुनर्विचार किया जायेगा क्योंकि विवरण से पता चलता है कि इस मांग पर विचार ही नहीं किया जा रहा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : आंखों की जांच कराये बिना वे स्टेशन मास्टर कैसे बन सकते हैं ?

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : वे कई वर्षों से काम कर रहे हैं । अब उनकी आंखों की जांच की जायेगी और उसमें यदि वे सफल न हुए तो उन्हें हटा दिया जायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं मंत्री महोदय को इस बारे में कोई वायदा न करने दूंगा ।

†**श्री जगजीवन राम** : विवरण में दी गई बातों के अलावा मुझे इस सम्बन्ध में और कुछ भी नहीं कहना है ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में मैंने यह प्रश्न पूछा था । लेकिन मुझे अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछने दिया गया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं ।

---

† मूल अंग्रेजी में

[१९]Naked Vision tests

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : इस विवरण से पता लगता है कि आंखों की जांच के बाद कुछ स्टेशन मास्टरों और कुछ सहायक स्टेशन मास्टरों को नौकरी से हटा दिया जाता है । क्या उनको स्टेशन मास्टर या सहायक स्टेशन मास्टर के अलावा किसी और नौकरी का अवसर प्रदान किया जाता है ।

†**श्री जगजीवन राम** : मेरा ख्याल है कि रेलवे में इस बात की स्थायी व्यवस्था है । जिन व्यक्तियों से यह अपेक्षा की जाती है कि उनकी आंखें किसी खास स्तर तक ठीक होंगी, यदि उनकी आँखें उस स्तर तक ठीक नहीं पायी जातीं तो उनके लिये दूसरा काम ढूंढ लिया जाता है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे द्वारा आंखों की जो जांच की जाती है उसका स्तर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा अनुमोदित अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिमान से कहीं ऊंचा है

†**श्री जगजीवन राम** : भारतीय रेलवे कर्मचारियों से आंखों की जिस जांच की अपेक्षा की जाती है वह भारतीय परिस्थितियों की दृष्टि से अत्यावश्यक है ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या वेतन आयोग दूर संचार कर्मचारियों की मांगों पर भी विचार करेगा ?

†**श्री जगजीवन राम** : यदि माननीय सदस्य वेतन आयोग के निर्देश पदों को, जिनकी घोषणा वित्त मंत्री ने की थी, देखें तो पायेंगी कि केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारी उसमें आ जाते हैं ।

## इम्फाल नदी में बाढ़

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११. श्री ले० अचौ० सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई, १९५७ के अन्तिम सप्ताह के दौरान में इफाल नदी के बन्ध तीन जगहों पर टूट गये थे और इस के फलस्वरूप मनीपुर की थोऊबाल तहसील के अनेक गावों में पानी भर गया है;

(ख) मनीपुर में हाल की बाढ़ के परिणामस्वरूप मकानों, सम्पत्ति और खड़ी फसलों को कितनी क्षति पहुंची है;

(ग) क्या सरकार ने बन्धों को टूटने से बचाने और स्थानीय जनता के सहयोग से बन्धों को सुरक्षित रखने के लिए उचित और पर्याप्त कदम उठाये थे; और

(घ) बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) से (घ). कुछ दिनों तक बहुत वर्षा होने के कारण जुलाई, १९५७ के अन्तिम सप्ताह में इम्फाल नदी के तट में तीन मामूली कटाव आ गये थे । केवल एक मकान क्षतिग्रस्त हुआ था, खड़ी फसल को क्षति नगण्य थी । कटावों को लोक निर्माण विभाग द्वारा स्थानीय गांव के लोगों और राष्ट्रीय छात्र सेना के सहयोग से शीघ्र ही भर दिया गया था । ऐसे छोटे मोटे कटाव हो जाना अतिवर्षा के दिनों

† मूल अंग्रेजी में

में अपरिहार्य हैं और लोक निर्माण विभाग ने उनके लिए, यदि और जब वे हो जाते हैं, प्रबन्ध कर रखा है । कोई क्षति नहीं हुई थी और कोई सहायतार्थ कदम नहीं उठाये गये थे ।

†**श्री ले० अचौ० सिंह**: इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नदी के बन्धों में कटावों के कारण प्रति वर्ष बाढ़ें आती हैं, क्या सरकार वहां बाढ़ों के नियंत्रण के लिए कोई स्थायी और प्रभावपूर्ण उपाय मालूम करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : मनीपुर घाटी में इस प्रकार की बाढ़ें नहीं आती हैं जिनसे हमें इस प्रकार के कटावों का वास्तव में भय करना चाहिए । हमें जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार वार्षिक निकासी इतनी अधिक नहीं है कि तुरन्त ही कोई बड़े उपाय करना आवश्यक हो, परन्तु, फिर भी, यह मामला विचाराधीन है कि इस समस्या का हल कैसे किया जाय ।

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

### रेलवे बोर्ड

†*७९२. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना के दौरान में विकास कार्य के लिये रेलवे बोर्ड के सदस्यों की संख्या में हाल ही में कितनी वृद्धि की गई है;

(ख) बोर्ड के सदस्यों की संख्या बढ़ाने के परिणामस्वरूप कितना अतिरिक्त वार्षिक व्यय करना पड़ेगा;

(ग) क्या यह सच है कि नये सदस्यों को नियमित रेलवे बोर्ड की बठकों में शामिल नहीं किया जाता; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)**: (क) से (घ). रेलवे बोर्ड के सदस्यों की संख्या हाल ही में नहीं बढ़ाई गई है । अतिरिक्त सदस्यों के ५ स्थानों की मंजूरी दी गई है । अतिरिक्त सदस्यों के साथ काम करने वाले अन्य कर्मचारियों के व्यय समेत इस सम्बन्ध में कुल वार्षिक व्यय ३ लाख रुपये होगा । क्योंकि वे रेलवे बोर्ड के पूर्ण सदस्य नहीं हैं इसलिये वे रेलवे बोर्ड की केवल उन्हीं बैठकों में शामिल होते हैं जहां उनकी उपस्थिति की आवश्यकता होती है ।

### कलकत्ता के नाविक

†*७९५. **श्री बीरेन राय** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता नाविक रोजगार कार्यालय[२०] में नाविकों के पंजीयन को देखते हुए जो निर्धारण किया गया उसके अनुसार कलकत्ता में विभिन्न नाविक संघों के सदस्यों की संख्या क्या है; और

(ख) क्या नाविक कल्याण बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों की एक प्रति और उस विषय में सरकार द्वारा किये गये निर्णय की प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

---

† मूल अंग्रेजी में

[२०]Calcutta Seamen Employment Office

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) पंजीयन दस्तावेज़ों से ऐसी कोई सांख्यकी उपलब्ध नहीं है क्योंकि नाविक रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराते समय नाविक सदा इस बात का उल्लेख नहीं करते कि वे किन संघों के सदस्य हैं ।

(ख) राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड ने अभी अपनी सिफारिशें सरकार को नहीं भेजी हैं ।

**ब्रह्मपुत्र में चलाये जाने के लिये नौकाएं (फेरी क्राफ्ट)**

†*७९७. **श्री अमजद अली** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ३१ मई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ७३८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आसाम राज्य में जोगीघोपा पंचरत्न स्थान पर ब्रह्मपुत्र को पार करने के लिये दो नौकाएं (फेरी क्राफ्ट) खरीदने के सम्बन्ध में टेंडरों की छानबीन पूरी कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो क्या व्यादेश (आर्डर) दे दिये गये हैं और ये नौकाएं (फेरी क्राफ्ट) कब तक चलने लगेंगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) टेंडरों की छानबीन अभी की जा रही है ।

(ख) उनकी प्राप्ति की अवधि स्वीकार किये जाने वाले टेंडर पर निर्भर करती है और व्यादेश (आर्डर) देने के पश्चात ९ से २० मास तक समय लग सकता है ।

**ट्रैक्टर**

†*७९८. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २९ जुलाई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ४१४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन ३४ ट्रैक्टरों का व्योरा क्या है जिन्हें बेकार समझ कर अलग किया जा रहा है, वे कहां से खरीदे गये थे और उनके क्या मूल्य चुकाये गये थे;

(ख) क्या उन्हें खरीदते समय विक्रेताओं से प्रत्याभूतियां प्राप्त की गई थीं;

(ग) यदि हां, तो प्रतिभूतियां किस प्रकार की हैं; और

(घ) इन ट्रैक्टरों से कुल कितने घंटे काम लिया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) इन ३४ ट्रैक्टरों में २५ एच डी—१९ ऐलिस चामर्स और ९ ऐफ डी ई ट्रैक्टर हैं और वे अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से उधार ले कर १९४९ में अमरीका से खरीदे गये थे । प्रत्येक ऐलिस चामर्स ट्रैक्टर का मूल्य ७७,००० रुपये और प्रत्येक एफ० डी० ई० ट्रैक्टर का मूल्य ६१,५०० रुपये चुकाया गया था ।

(ख) और (ग). जी हां; उत्पादकों ने यह प्रत्याभूति दी थी कि यदि ट्रैक्टर खरीदने के एक वर्ष बाद तक निर्माण की किसी त्रुटि का पता चल जाये तो वे पुर्जे मुफ्त दिये जायेंगे ।

(घ) एच डी—१९ ट्रैक्टरों से १०,५०० से १२००० घंटे और एफ डी ई ट्रैक्टरों से १२००० से १३५०० घंटे ।

---

† मूल अंग्रेजी में

**रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही**

†*८००. **श्रीमती पार्वती कृष्णन् :**
**श्री त० ब० सिद्धल राव:**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुअत्तल किये गये रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन सम्बन्धी मामलों का निर्णय करने में कई वर्ष लग जाते हैं;

(ख) क्या एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा जिस में यह बताया गया हो कि दक्षिण रेलवे में कितने मामले विचाराधीन हैं जिनमें कर्मचारियों को एक वर्ष अथवा इस से अधिक समय के लिये मुअत्तल किया गया हो; और

(ग) मुअत्तल करने का आदेश किन हालतों में जारी किया जाता है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)**: (क) नहीं । साधारणत: जितनी जल्दी सम्भव होता है अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही कर दी जाती है ।

(ख) ३१ जुलाई, १९५७ को दक्षिण रेलवे में मुअत्तली सम्बन्धी ३८ मामले थे जो कि एक वर्ष पुराने थे ।

(ग) किसी अघोषित रेलवे कर्मचारी को भारतीय रेलवे प्रतिष्ठान संहिता, खंड १, जिसकी प्रति सभा के पुस्तकालय में उपलब्ध है, के नियम १७११ में उल्लिखित परिस्थितियों में मुअत्तल किया जाता है ।

**त्रिपुरा में खाद्य स्थिति**

†*८०१. **श्री बांगशी ठाकुर :**
**श्री दशरथ देव :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के अन्य भागों की अपेक्षा त्रिपुरा में अत्यावश्यक खाद्य पदार्थों के मूल्य अधिक हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि त्रिपुरा के कैलाशहर डिवीज़न के ऊपरी भाग में अब भी चावल ३५ रुपये से ३७ रुपये प्रति मन बिक रहा है और त्रिपुरा के अन्य भागों में चावल का मूल्य २५ रुपये प्रति मन से कम नहीं है;

(ग) त्रिपुरा में अत्यावश्यक खाद्य पदार्थों के मूल्य घटाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(घ) क्या सरकार को विदित है कि ग्रामीण लोगों, विशेषकर पहाड़ी आदिम जातियों के लोगों को राशन कार्ड नहीं दिये जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) इस में सन्देह नहीं कि त्रिपुरा में मूल्य अधिक हैं, परन्तु आसाम, पश्चिमी बंगाल और बिहार के कुछ स्थानों की अपेक्षा वे अधिक नहीं हैं ।

† मूल अंग्रेजी में

(ख) जी नहीं ।

(ग) त्रिपुरा में चावल, जो कि वहां का मुख्य भोजन है, उचित मूल्य वाली दूकानों के द्वारा फुटकर में १८ रुपये प्रति मन के हिसाब से दिया जा रहा है । गेहूं भी १६ रुपये प्रति मन के हिसाब से दिया जा रहा है ।

(घ) नगरीय और ग्रामीण लोगों को और जहां कहीं आवश्यक समझा गया है आदिम जाति के लोगों को भी राशन कार्ड दिये जा रहे हैं ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

**पार्सल आफिस, कटक, में चोरी**

†*८०२. **श्री बैं० च० मलिक** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक पैकट, जिसमें उड़ीसा के सैकेंडरी बोर्ड आॅफ ऐजुकेशन के लगभग २०० परीक्षा-पत्र थे, कटक रेलवे स्टेशन, उड़ीसा, के पार्सल आफिस से चोरी हो गया ;

(ख) क्या रेलवे प्राधिकारियों ने कोई अनुसन्धान किया था; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग). बोर्ड आॅफ सकेंडरी ऐजुकेशन, उड़ीसा, के सचिव ने ६–५–१९५७ को सम्बलपुर से कटक भेजे गये परीक्षा-पत्रों के न मिलने के बारे में एक तार १३–५–१९५७ को भेजा । उक्त पदाधिकारी ने १६–५–१९५७ को रेलवे अधिकारियों को पुनः सूचना भेजी कि वह पैकट मिल गया है । विलम्ब की जांच की जा रही है ।

**बिजली से चलने वाली रेल गाड़ियों का निर्माण**

†*८०३. **श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कलकत्ता और बम्बई के लिये हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा बिजली से चलने वाली रेल गाड़ियों के निर्माण की प्रस्थापना के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : दीर्घकालीन व्यवस्था के रूप म प्रमामी प्रक्रमों[21] में इलैक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट के यांत्रिक पुर्जों के निर्माण के लिये हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट (प्राइवेट) लिमिटेड अपने भावी सहयोगियों अर्थात मैसर्स हिताची लिमिटिड, जापान और एम० ए० एन० पश्चिमी जर्मनी से बातचीत कर रहे हैं । इन सार्थों से परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं ।

**चितरंजन रेलवे इंजन कारखाना**

†*८०४. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **रलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ में चितरंजन में कितने रेलवे इंजन तैयार किये गये; और

(ख) क्या उत्पादन की लागत कम हो गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) १५६ ।

(ख) जी हां ।

---

† मूल अंग्रेजी में

21 Progressive Stages

## राजस्थान में डाक तथा तार की सुविधायें

†*८०५. **श्री ज० रा० मेहता** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में २००० अथवा इस से अधिक जनसंख्या वाले कितने ग्रामों में डाक घरों की सुविधायें नहीं हैं और ५००० अथवा इस से अधिक जन संख्या वाले कितने स्थानों पर तार सुविधायें नहीं हैं; और

(ख) क्या इन सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये कोई अवधि नियत की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** :

(क) (i) जहां डाक घर नहीं हैं . . . दो

(ii) जहां तार घर नहीं हैं . . . सात

(ख) (i) इन दो स्थानों पर डाक घर इसलिये नहीं खोले जा सके कि दूर स्थित होने के कारण प्रत्येक में १००० रुपये से अधिक का घाटा रहता । डाक मोटर सेवाओं के साथ यह डाक घर खोलने के बारे में विचार किया जा रहा है और देय राजसहायता के बारे में ठेकेदारों से बातचीत चल रही है । यदि राज सहायता को मिला कर प्रत्येक डाक घर का घाटा १००० रुपये वार्षिक से कम रहा तो डाक घर खोल दिये जायेंगे ।

(ii) दो स्थानों अर्थात् गुहाला और रामपुर में तार सुविधाओं की स्वीकृति दे दी गई है और नई लाइनों का निर्माण करते समय तार घर खोल दिये जायेंगे । शेष पांच स्थानों पर व्यवस्था करना व्यवहार्य नहीं पाया गया है ।

## यमुना पर सड़क का पुल

†*८०६. **श्री सुमत प्रसाद** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच यातायात को सुविधा प्रदान करने के लिये यमुना पर एक सड़क का पुल बनाने का कोई विचार ;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक कार्यान्वित होगा और किस स्थान पर पुल बनाने की सम्भावना है; और

(ग) इसके निर्माण पर कितनी लागत का अनुमान है और सम्बन्धित राज्य किस अनुपात से इस में अंशदान देंगे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां ।

(ख) उत्तर प्रदेश और पंजाब की सरकारों ने प्रस्थापना पर सहमति दे दी है । प्रस्तावित पुल के स्थान के बारे में निश्चय उन्हें ही करना होगा । जिसके पश्चात विस्तृत योजनायें और प्राक्कलन स्वीकृत किये जायेंगे और कार्य आरम्भ होगा ।

(ग) मोटे तौर पर अनुमान है कि पुल पर ४५ लाख रुपये लागत आयेगी जिसमें भारत, उत्तर प्रदेश और पंजाब की सरकारें समान अंशदान देंगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

## कोयला लदान संयंत्र[२२]

†*८०७. { श्री हेम बरुआ :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता पत्तन में एक यांत्रिक कोयला लदान संयंत्र स्थापित किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रतिघंटा क्षमता क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां ।

(ख) संयंत्र की अनुकूलतम क्षमता ५०० टन प्रति घंटा है, परन्तु सामान्य कार्य-दशाओं के अन्तर्गत उसके केवल ३७५ टन प्रति घंटा लदान करने की संभावना है ।

## स्मारक डाक टिकट[२३]

†*८०८. **श्री कुमारन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की सौवीं जयन्ती की समृति के लिये विशेष टिकट जारी करने के संबंध में ब्यौरे का अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे टिकट जारी करने के ब्यौरे का अन्तिम निर्णय करने के पूर्व राज्यों की समारोह समितियों से विचार-विमर्श किया था ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) ब्यौरे का अन्तिम निर्णय केन्द्रीय राष्ट्रीय समिति, जो १८५७ की शताब्दी के समारोहों के अखिल भारतीय कार्यक्रम से संबंधित थी, और इस प्रयोजन के लिये विशेष रूप से नियुक्त की गई टिकट मंत्रणा समिति के साथ परामर्श करके किया गया था ।

## रात में चलने वाली रेलगाड़ियां

†*८०९. **श्री पांगरकर** : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे के सिकन्दराबाद डिवीजन में पुरली वैजनाथ और हिंगोली के बीच रात के समय चलने वाली रेलगाड़ियां बन्द कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को यह ज्ञात है कि इसके परिणामस्वरूप यात्रियों को असुविधा हो रही है; और

(ग) क्या रात में चलने वाली गाड़ियों को पुनः चालू किया जायेगा ?

**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) पूरना हिंगोली और परभानी–पुरली–वैजनाथ सैक्शनों पर रात में यात्री गाड़ियों को न चलाने के लिये समयों में उपयुक्त हेरफेर कर दी गई है। उन सैक्शनों पर चलने वाली यात्री गाड़ियों की संख्या में कोई कमी नहीं की गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

22 Coal Loading Plant

23 Commemoration Stamps

(ख) जी, हां ।

(ग) जैसे ही वर्षा समाप्त हो जायेगी ।

**आन्ध्र प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली लगाना**

†*८१०. { श्री विश्व नाथ रेड्डी :
श्री रामी रेड्डी :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली लगाये जाने के लिये १९५७–५८ में आंध्र राज्य को कुल कितनी वित्तीय सहायता का वचन दिया गया;

(ख) इस अवधि में विशेष विकास कोष में से कितनी राशि आवण्टित की गई; और

(ग) आंध्र प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली लगाने की योजनाओं के कार्यान्वियन में अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

†सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) से (ग). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १२६]

**हिमाचल प्रदेश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम**

*८११. श्री पद्म देव : क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आरम्भ किया गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम पूरा हो चुका है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं, और

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में कार्यक्रम के अन्तर्गत कौन कौन सी योजनायें चालू की गई हैं और योजना के प्रथम वर्ष में प्रत्येक पर कितनी धन राशि व्यय की गई ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) पहली पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत १४ इलाके में विकास कार्यक्रम को लागू करने का लक्ष्य पूरा हो चुका है ।

(ख) पैदा ही नहीं होता ।

(ग) दूसरी योजना के पहले साल में नये ८ ऐन० ई० ऐस० व ४ सी० डी० ब्लाक्स में काम शुरू किया गया । यह और वह ब्लाक जो पहली योजना से चले आ रहे हैं इन सब पर कुल खर्च १९५६–५७ में इस तरह हुआ:—

| | |
|---|---|
| सी० डी० ब्लाक्स . . . . | २४.४ लाख रुपये । |
| ऐन० ई० ऐस० ब्लाक्स . . . . | ५.८ लाख रुपये । |

**दोहरी रेलवे लाइनें बिछाना**

†*८१२. श्री ब० स० मूर्ति : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास–बेजवाडा–नागपुर–दिल्ली लाइन पर इस समय कितने मील लम्बी दोहरी लाइन बिछायी जा रही है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) दोहरी लाइन किन–किन स्थानों पर बिछायी जा रही है; और

(ग) दोहरी लाइन बिछाने के काम को पूरा करने के लिये कितने समय का लक्ष्य रखा गया है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां :) : (क) लगभग १०८ मील ।

(ख) और (ग) उन सैक्शनों का, जिन पर दोहरी लाइन बिछाने का काम किया जा रहा है, और काम पूरा होने की संभावित तारीखों का विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १२७]

**मद्रास के लिये चावल**

†*८१३. श्री तंगामणि : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मद्रास को केन्द्र से सम्मरण किये जाने वाले चावल का कोटा बढ़ाने वाली है ;

(ख) यदि हां, तो कितना; और

(ग) क्या हाल के महीनों में चावल के भाव बढ़े हैं ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) ९–७–५७ को दक्षिण चावल प्रदेश के बनने के बाद से मद्रास में चावल के भावों में गिरावट के आसार नजर आ रहे हैं ।

**मछली पकड़ने की नावों का निर्माण करने के कारखाने**

†*६८१४. श्री नारायणन कुट्टि मेनन : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मछली पकड़ने की नावों का निर्माण करने के कारखानों की स्थापना के बारे में सरकार को राज्य–सरकारों से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं;

(ख) यदि हां, तो इन कारखानों की स्थापना किन–किन स्थानों पर की जायेगी और इनमें कितनी पूंजी लगायी जायेगी ; और

(ग) वर्ष में ऐसी कितनी नावों का निर्माण करने का प्रस्ताव है?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) जी हां, बम्बई, मद्रास और मैसूर राज्यों से ।

(ख) इस समय तो बम्बई का यार्ड थाना जिले के सतपति में, मद्रास का मद्रास नगर में और मैसूर का मंगलौर में रखा जायेगा ।

१९५७–५८ में १,८५,९०० रुपये की पूंजी लगाने का प्रस्ताव है ।

(ग) मद्रास में वर्ष में १५, बम्बई में २०–२५ और मैसूर में १५ नावों का निर्माण करने का प्रस्ताव है ।

---

†नून अंग्रेजी में

## अमरीका से हैलीकोप्टर

†*८१५. श्री दी० चं० शर्मा : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री १९ दिसम्बर, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११२२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रविधिक सहायता कार्यक्रम के अधीन अमरीका से हैलीकोप्टर प्राप्त करने में सफल हो गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें किस काम में लाया जायेगा ?

†सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

## हुगली नदी के तटाग्र[24] का कटाव

†*८१६. श्री स० चं० सामन्त : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह देखने के लिये कि हुगली नदी के किनारे उनबर काटन मिल पर तटाग्र के कटाव को कम किया जा सकता है या नहीं, कोई नमना प्रयोग[25] किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) क्या प्रयोगों के परिणामों को काम में लाया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो वहां भूमि के कटाव को रोकने के लिये दूसरी क्या कार्यवाही की गयी है ?

†सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) १९४३–४४ में ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) उनबर काटन मिल ने कोई कार्यवाही नहीं की ।

## डाक और तार वर्कशापें

†*८१७. डा० राम सुभग सिंह : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस उद्देश्य से डाक और तार वर्कशापों के प्रबन्धक–मंडल[26] की स्थापना की गयी थी, क्या वह पूरा हो गया है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय म राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : वित्त पर नियंत्रण, विभिन्न इकाइयों के कार्यों में समन्वय और उत्पादन तथा कल्याण के बारे में नीतियों और योजनाओं के निश्चय द्वारा वर्कशापों का काम चलाने के लिये डाक और तार वर्कशापों के प्रबन्धक मंडल की स्थापना १९५१ में की गयी थी ।

इन उद्देश्यों को पूरा करने में मंडल काफी हद तक सफल रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

24 Foreshore
25 Model Experiment
26 Post and Telegraph workshop's Board of management

## फल उत्पाद संगठन

†*८१८. श्री वासुदेवन नायर :
श्री कुन्हन :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के फल उत्पाद संगठन के कृत्य क्या-क्या हैं ;

(ख) संगठन ने १९५६-५७ में फल-निर्माताओं और परिरक्षित करने वालों को क्या सहायता दी है ; और

(ग) १९५६-५७ में इस संगठन के लिये विभिन्न मदों के अधीन कितना व्यय हुआ ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) मोटे तौर पर कृत्य हैं :

(१) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ के अधीन निकाले गये फल उत्पाद आदेश, १९५५ को लागू करना; और

(२) भारत में फल और शाक परिरक्षण उद्योग का विकास ।

(ख) (१) फल उत्पादों के निर्माण और साथ ही उनके गुणों को कायम रखने और बढ़ाने के बारे में व्यापारियों को प्रविधिक सहायता दी ।

(२) कोयला, सीमेंट, बिजली, मशीनें आदि जरूरत की चीजें प्राप्त करने में निर्माताओं की सहायता की ।

(३) फल उत्पाद आदेश के अधीन १९५६ में नियुक्त की गयी केन्द्रीय फल उत्पाद मंत्रणा समिति के जरिये से फल परिरक्षण उद्योग से संबंधित समस्याओं के अध्ययन और उनको सुलझाने के लिये सुझाव देने की व्यवस्था की ।

(४) सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों में फल परिरक्षण केन्द्र खोलने के लिये ११ योजनायें तैयार कीं और साथ ही उत्तर प्रदेश में दो फल परिरक्षण फैक्टरियों की स्थापना के लिये भी दो नमून योजनायें तैयार कीं ।

(ग) विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १२८]

## बिहार में सड़क और पुल का निर्माण

*८१९. श्री विभूति मिश्र : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चकिया (जिला चम्पारन, बिहार) से सिघवलिया (सारन, बिहार) तक सड़क के निर्माण के लिये सर्वेक्षण करा रही है और साथ ही डुमरिया घाट के निकट गंडक नदी के पुल बनाने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो यह काम कब से आरम्भ किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां ।

(ख) प्रारम्भिक सर्वेक्षण के पूरे हो जाने तथा भारत सरकार द्वारा विस्तृत अनुमानित खर्चे की मंजूरी प्राप्त हो जाने के बाद यह कार्य शुरू कर दिया जायेगा । इस काम को पहले ही वर्तमान पंचवर्षीय योजना में शामिल कर दिया गया है ।

**फ्लैग स्टेशन**

†*८२०. **श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में देहरी–आन–सोन और बरवाडीह के बीच के झंडी स्टशन बन्द कर दिये गये हैं ; और

(ख) क्या सरकार को पता है कि झंडी स्टेशनों के बन्द कर दिये जाने से व्यापक असन्तोष फला है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) डेहरी–आन–सोन और बरवाडी सेक्शन के चार हाल्ट स्टेशन, अर्थात् सिशसिगी, कोसियारा, नवडीह और गांव चैनापुर १–४–५४ से बन्द कर दिये गये हैं ।

लेकिन गांव चैनापुर का हाल्ट स्टेशन १–४–५७ से फिर खोल दिया गया है ।

(ख) अन्य तीन हाल्ट स्टेशनों को फिर से खोलने के लिये कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुये थे और इस मामले की जांच की जा रही है ।

**बिहार को गेहूं का संभरण**

†*८२१. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य मंत्री अप्रैल, १९५७ में बिहार राज्य को जितना गेहूं देने को राजी हो गये थे क्या उसका संभरण कर दिया गया है ;

(ख) देश में खाद्य जोनों की स्थापना के फलस्वरूप क्या खाद्यान्नों, विशेष रूप से गेहूं का संभरण करने की नयी मांग आयी है ; और

(ग) यदि हां, तो कितना अनाज मांगा गया था और कितने अनाज का संभरण किया गया ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) से (ग). अप्रैल में बिहार को मई, जून और जुलाई के चालू खर्चे के लिये ६०,००० टन और रक्षित स्टाक के लिये अलग से १५,००० टन गेहूं देने की बात तय हुई थी । वास्तव में इन तीन महीनों के दौरान में ८६ हजार टन गेहूं बिहार सरकार को और १५,००० टन गेहूं बिहार में केन्द्रीय सरकार की रक्षित डिपो को भेजा गया है ।

गेहूं–ज़ोनों की स्थापना के बाद बिहार सरकार ने यह सूचना दी कि राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उन्हें कहीं अधिक गेहूं की आवश्यकता होगी । भारत सरकार उनकी सम्पूर्ण मांग पूरी करने को राजी हो गयी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

### नर्मदा नदी के ऊपर सड़क के पुल

*८२२. श्री खादीवाला : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के नेमाड़ जिले में नर्मदा नदी के ऊपर भारत सरकार कितने और किन-किन जगहों पर पुल बनवा रही है ;

(ख) क्या नर्मदा नदी के ऊपर राजघाट पुल का निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है ;

(ग) क्या बड़वाह के निकट भी एक सड़क का पुल बनवाया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक पूरा होगा ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) से (घ). नेमाड़ जिले में खांडवां-इन्दौर सड़क पर, नर्मदा नदी के ऊपर सिफ एक पुल बनाया जा रहा है। यह मोरतक्का के पास है। आशा है कि यह पुल १९५७ के अन्त तक बन कर तैयार हो जायेगा।

नर्मदा नदी के ऊपर राजघाट पुल का बनाना अभी शुरू नहीं किया गया है। कार्य शुरू हो जाने पर उसके पूरे होने में लगभग ३ साल लगेंगे।

बड़व ह के निकट कोई पुल नहीं बनाया जा रहा है।

### दक्षिण रेलवे पर दोहरी लाइनें

†*८२४. श्रीमती पार्वती कृष्णन् : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे पर (१) बड़ी लाइन और (२) मीटर लाइन पर कुल कितने मील दोहरी लाइन बिछी है ;

(ख) क्या दक्षिण रेलवे पर दोहरी लाइन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां तो कितने मील और किन-किन रूटों पर ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :(क)

(१) ५४ मील (जिसमें चौहरी लाइन भी शामिल है)

(२) २२ मील (जिसमें तिहरी लाइन भी शामिल है)

(ख) और (ग). जी हां।

अब तक बेजवाड़ा-गुडूर सैक्शन पर ६६ मील, अर्कोनम-रेनीगुण्टा सेक्शन पर २५ मील, अर्कोनम-इरोड सेक्शन पर ६३ मील और वाल्टेयर-राजमहेंद्री सेक्शन पर ११ मील दोहरी लाइन बिछाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया जा चुका है। और अधिक दोहरी लाइन बिछाने के प्रस्तावों पर आगामी वर्षों में विचार किया जायेगा।

### विशाखपटनम का जहाज बनाने का कारखाना (शिपयार्ड)

†*८२५. श्री ब० स० मूर्ति : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी विदेशी विशेषज्ञ से विशाखपटनम के जहाज बनाने के कारखाने (शिपयार्ड) में अग्रेतर विकास के बारे में सलाह देने के लिय कहा गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख) हिन्दुस्तान शिपयार्ड के प्रविधिक परामर्श दताओं को छोड़कर अन्य किसी विदेशी विशेषज्ञों से इस मामले में सलाह नहीं मांगी गयी है ।

### खाद्य अपमिश्रण अधिनियम

†*८२६. श्री भूजन सिंह : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के उपबन्धों की क्रियान्वित के फलस्वरूप विशेष रूप से दिल्ली में और आमतौर पर देश भर में अनअपमिश्रित खाद्य के संभरण के बारे में क्या कोई सुधार हुआ है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : अभी इतनी जल्दी अधिनियम की क्रियान्विति के पूरे प्रभाव का अन्दाज लगाना तो मुमकिन नहीं ह लेकिन दिल्ली, मद्रास, केरल, पंजाब, आसाम, बम्बई और आंध्र प्रदेश से मिली सूचनाओं से पता चलता है कि इन क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण रोकने में यह अधिनियम काफी प्रभावकार सिद्ध हुआ है ।

### फालतू कृषि-वस्तुओं के बारे में भारत-अमरीकी करार

†*८२७. { श्री स० चं० सामन्त :
श्री शीर भरूचा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ के भारत-अमरीका कृषि वस्तु करार के अधीन अब तक कौन–कौन सी और कितनी–कितनी फालतू कृषि-वस्तुओं का आयात किया गया है ;

(ख) इन वस्तुओं की कीमत कितनी है ;

(ग) भारत में ये वस्तुएं किस भाव (औसत) पर बेची गयी हैं ; और

(घ) ३१ मार्च, १९५८ तक इन वस्तुओं का कितना–कितना आयात किया जाने वाला ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी का विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १२९]

### रेलों पर सामान बचने वाले[२७]

†*८२८. श्री ब० स० मूर्ति : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलों पर सामान बेचने के काम का विभागीकरण किये जाने के बाद से फेरीवालों को क्या अतिरिक्त सुविधायें दी गयी हैं ; और

(ख) क्या छुट्टियों के मामले में उन्हें रेलवे कर्मचारियों की किसी स्थायी पदाली में शामिल कर लिया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[२७]Railway Vendors

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां :) (क) कमीशन के आधार पर खाद्य वस्तुओं की बिक्री करने के लिये विभागीय व्यवस्था के अधीन जिन सामान बेचने वालों (वैंडर्स) को रखा गया है उनको उचित दर पर कमीशन दिया जाता है और उन्हें नियमित नौकरी दिये जाने की भी संभावना ह । ठेकेदारों के अधीन काम की आम शर्तों की तुलना में ये शर्तें काफी अच्छी ठहरती हैं ।

अब उन्हें परेशान नहीं किया जाता और न ही उनका शोषण होता है जब कि कुछ ठेकेदारों के अधीन उन्हें बार बार इसका सामना करना पड़ता था ।

(ख) जी नहीं ।

## कोयले के वैगन

†५८५. श्री बि० दास गुप्त : क्या रेलवे मंत्री यह बतान की कृपा करग कि :

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे और पूर्व रेलवे के क्षेत्रों से सरकारी रेलवे के कोयले (गैर–राजस्व) सहित क्रमशः कुल कितने-कितने टन कोयला बाहर भेजा जाता है ;

(ख) प्रति वर्ष आड्रा से कोयले के कितने वैगन खड़गपुर होकर कलकत्ता जाते हैं ;

(ग) प्रतिवर्ष आइा से कोयले के कितने वैगन आसनसोल होकर कलकत्ता जाते हैं ;

(घ) एक टन कोयले का एक मील का औसत भाड़ा कितना ह ; और

(ङ) आड्रा से क्रमशः खड़गपुर और आसनसोल होकर कलकत्ता जान वाले कोयले के भाड़े से हुई कुल आय के अनुपात में संचालन-व्यय कितना कितना बैठता है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क)

| | १९५६–५७ में कोयले का टन–भार |
|---|---|
| | (हजार में) |
| दक्षिण पूर्व रेलवे . . . | १०,८११ |
| पूर्व रेलवे . . . . . | २१,३१५ |

(ख) १९५६–५७ म १४,९६१ वैगन ।

(ग) १९५६–५७ में २,६०८ वैगन ।

(घ) १९५५–५६ में एक टन कोयले की प्रति मील औसत दर (पाइयों में) :

| | |
|---|---|
| दक्षिण पूर्व रेलवे . . . . . | ६.६९ |
| पूर्व रेलवे . . . . . | ६.५८ |

(ङ) यातायात की किसी एक मद के वहन-व्यय का हिसाब लगाना संभव न होने के कारण यह जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

## दोहरी रेलवे लाइ ों का निर्माण

†५८६. श्री बि० दास गुप्त : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि दक्षिण पूर्व रेलवे और पूर्व रेलवे में दोहरी लाइन बिछाने पर, बीच में पड़ने वाले पुलों के निर्माण–व्यय समेत, इस समय प्रति मील औसतन कितनी लागत आती है ?

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : माननीय सदस्य संभवतः मौजूदा लाइन के बराबर-बराबर दोहरी लाइन बिछाने की लागत पूछ रहे हैं। वास्तव में पूर्व रेलवे पर तो कहीं भी दोहरी लाइन नहीं बिछायी जा रही है। दक्षिण पूर्व रेलवे पर दोहरी लाइन बिछाने की लागत ५·३ लाख रुपये प्रतिमील से लेकर ८·३ लाख रुपये प्रतिमील तक जाती है। दोहरी लाइन बिछाने की लागत इस बात पर निर्भर है कि किस प्रकार की भूमि पर लाइन बिछायी जा रही है, श्रम और बाहर से मंगाये गये और देश में ही उपलब्ध सामान आदि की कीमत कितनी है।

## उड़ीसा में डाक सम्बन्धी सुविधायें

५८७. श्री ० ० देव : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में उड़ीसा राज्य के संबलपुर और ढेंकानाल जिलों में डाक-सेवाओं का विस्तार करने के लिये क्या कार्यक्रम बनाया गया है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [देखये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १३०]।

## लाख उद्योग

†५८८. श्री नारायण स्वा ी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदुरै जिले के पेरियाकुलम तालुक की कुम्बम् घाटी में लाख उद्योग का विकास और सुधार करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

†खाद्य तथा कृ मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार ने द्वितीय पंच वर्षीय योजना-काल में कुल एक लाख की लागत पर मद्रास राज्य में लाख की खेती बढ़ाने की एक योजना मंजूर की है। इस योजना का उद्देश्य लाख का उत्पादन बढ़ाना और लाख के कारखाने को डेनकनीपोट्टा (सैलम जिले) से हटाकर मदुरै जिले में कुम्बम् में लेजाकर उसके कार्यों का विस्तार करना है।

मद्रास की राज्य सरकार इस योजना को लागू कर रही है। प्रथम पंच वर्षीय योजना के दौरान में कुम्बम् घाटी में वन्नाथी पराई और सुरनगर में दो शावक-फार्म[२८] खोले गये और १०० पेड़ों को अन्तः क्रामित[२९] किया गया। फैक्टरी को भी कुम्बम् ले जाया गया है और १९५७–५८ में लाख के गोदामों और अन्य इमारतों का निर्माण कर इसका विस्तार करने का प्रस्ताव है। शोरिया तालुरा और अन्य समान गुणों वाले पेड़ों की गिनती का काम भी शुरू हो गया है।

## रेलवे वैग ों का संभर

†५८९. श्री नंजप्प : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के मेट्टुपलयम जंक्शन पर आलू शीघ्रतापूर्वक बुक करने के लिये आवश्यकतानुसार हर समय पर्याप्त मात्रा में वैगन उपलब्ध कर दिये जाते हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में।

२८Brood-farms.

२९Inocculate.

(ख) क्या सरकार नीलगिरी से आने वाली बिगड़ने वाली साग-सब्जियों और कन्दों[१०] को रखने के लिये ठंडे गोदामों का निर्माण उचित और लाभकारी समझती है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) जहां तक रेलवे का संबंध है, ऊपर (क) का ध्यान रखते हुए यह आवश्यक नहीं है । आलू के सीजन में शीघ्र बुकिंग और सामान की शीघ्रतापूर्वक निकासी के लियें विशेष प्रबन्ध किया जाता है ।

## जलयानों की खरीद

†५९०. श्री दी० चं० शर्मा : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में जलयानों की खरीद के लिये सरकार ने किसी देश को आर्डर दिय हैं ; और

(ख) यदि हां, तो किन देशों को ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

## पंजाब में राष्ट्रीय जल-संभरण और स्वच्छता योजना[११]

†५९१. श्री दी० चं० शर्मा : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के (प्रत्येक जिले के) ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय जल-संभरण और स्वच्छता योजना के अधीन कितनी कितनी योजनायें लागू की गयी हैं; और

(ख) अप्रैल, १९५७ के अन्त तक उन पर कितनी राशि व्यय हुई है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १३१]

## दिल्ली के कटरों का जीर्णोद्धार

†५९२. श्री दी० चं० शर्मा : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के कितने कटरों का अब तक जीर्णोद्धार किया जा चुका है ; और

(ख) कितने कटरों का अभी जीर्णोद्धार होना शेष है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) दिल्ली के १९० कटरों में पानी के नलों, पाखानों, नालियों, अत्यावश्यक और छोटी मोटी मरम्मतों, एक या दो बिजली की बत्तियों आदि बुनियादी सहूलियतों की व्यवस्था की जा चुकी है ।

(ख) अब भी गन्दी बस्तियों के ऐसे १३०० कटरे शेष हैं जिनमें इन सहूलियतों की व्यवस्था की जानी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[१०]Tubers. [११] National Water Supply and Sanitation Scheme in Punjab,

## दिल्ली परिवहन सेवा कर्मचारी[३२]

†५९३. { श्री अ० क० गोपालन :
श्री नारायणन कुट्टि मेनन :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन सेवा के क्लर्क और पर्यवेक्षण कर्मचारियों ने जून, १९५७ में वेतन-हड़ताल कर दी थी ;

(ख) यदि हां, तो किन कारणों से ;

(ग) क्या सरकार दिल्ली परिवहन सेवा के कर्मचारियों की स्थिति की जांच कराने वाली है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). अपनी निम्नलिखित मांगों के बारे में कथित रूप से अन्तिम निर्णय न किये जाने के प्रति विरोध प्रगट करने के लिये क्लर्क कर्मचारियों ने जून, १९५७ के शुरू के चार दिन तक अपना वेतन नहीं लिया था :

(१) क्लर्क-कर्मचारियों के लिये पेशगी वेतन वृद्धि की मंजूरी और जिस प्रकार केन्द्रीय सरकार ने अपने अधीन काम करने वाले निम्न-वर्ग के क्लर्कों के लिये किया था उसी प्रकार वेतन क्रम का पुनरीक्षण किया जाये ।

(२) अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन क्रमों का पुनरीक्षण किया जाये ।

(३) दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार (वेतन क्रम) विनिमय, १९५० के लागू होने पर जिन कर्मचारियों के वेतन में कटौती की गयी थी उस कटौती को रद्द किया जाये ।

(४) जिन मामलों को दिल्ली राज्य सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ के अधीन न्याय निर्णय के लिये अतिरिक्त औद्योगिक न्यायाधिकरण, दिल्ली के सुपुर्द करने की सिफारिश की थी लेकिन जिन्हें दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार ने रोक रखा है । अधिकारियों और वर्कशाप तथा संचालन कर्मचारियों ने इस विरोध-प्रकाश में भाग नहीं लिया ।

(ग) और (घ). दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार के कर्मचारियों की नौकरी की शर्तों की जांच करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है क्योंकि उसका ख्याल है कि उनकी नौकरी की शर्तें अन्य परिवहन उपक्रमों—यहां तक कि सरकारी कर्मचारियों—से किसी भी माने में कम अनुकूल नहीं हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[३२]Delhi Transport Service Employees.

## रेलवे की आय

†५९४. **श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, मई और जून १९५७ म प्रत्येक माह म, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में रेलवे की कितनी आय हुई है ; और

(ख) उसमें वृद्धि अथवा कमी होने के क्या कारण हैं ?

**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क)

(संख्या लाखों में)

| | १९५६ | १९५७ | अन्तर |
|---|---|---|---|
| अप्रैल . | २७,५३ | २८,०४ | (+)५१ |
| मई . | २९,५४ | ३२,५४ | (+)३०० |
| जून . | २८,५४ | ३१,३१ | (+)२७७ |
| कुल जोड़ . | ८५,६१ | ९१,८९ | (+)६२८ |

(ख) वृद्धि मुख्यतया माल-यातायात बढ़ने के कारण हुई है ।

## परिचर्या और धात्री विद्या[११]

†५९५. **श्री वें० प० नायर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार द्वारा सहायता दिये जाने वाले केन्द्रों में परिचर्या और धात्री विद्या के कितने प्रशिक्षणार्थी हैं और उनकी राज्य-वार अलग अलग संख्या कितनी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता ह । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १३२]**

## सैन्ट्रल स्टेशन, मद्रास

†५९६. **श्री केशव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैन्ट्रल स्टेशन, मद्रास पर सामान के डिब्बों (लगेज वान्स) में रखी जान वाली वस्तुओं के यात्रियों को दिये जाने की अभी जो प्रक्रिया है वह अव्यवस्थित और उलझी हुई है ; और

(ख) सरकार स्थिति के सुधार के लिए क्या कदम, यदि कोई हों, उठाना चाहती है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). गाड़ी के पहुंचने के तुरन्त पश्चात् ही सामान प्राप्त करने की यात्रियों की उत्सुकता के कारण कुछ समय पूर्व पूर्ण

---

†मल अंग्रेजी में

[११]Nursing and Mid-wifery.

वातानुकूलित एक्सप्रेस गाड़ी के मद्रास पहुंचने पर सामान के डिब्बे से सामान प्राप्त करने में कुछ गड़बड़ अवश्य हुआ करती थी। परन्तु अब गाड़ी के पहुंचने के तुरन्त बाद में सामान के डिब्बे से सामान को निकटवर्ती समान के दफ्तर (लगेज आफिस) में पहुंचाने का प्रबन्ध कर दिया गया है, जहां से वह नियमित ढंग से यात्रियों को दे दिया जाता है।

## मनीपुर में मीनक्षेत्रों का विकास

†५९७. **श्री ले० अचौ० सिंह:** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंच वर्षीय योजनावधि में मनीपुर में मीनक्षेत्रों के विकास के लिए कौन कौन से कार्य किए गए और उन पर कितनी कितनी राशियां व्यय की गईं ; और

(ख) मनीपुर में दूसरी पंच वर्षीय योजना के दौरान में मीनक्षेत्रों के विकास के लिए प्रारंभ किए गए कार्यों की क्या प्रगति है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन):** (क) प्रथम पंच वर्षीय योजना में इस प्रयोजन के लिए धन के लिए कोई उपबन्ध नहीं किया गया था। इसलिए किसी निर्दिष्ट योजना के अन्तर्गत कोई विकास कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका ।

(ख) विभिन्न मीनक्षेत्रों की योजनाओं की प्रगति निम्न प्रकार है :

(१) जुलाई, १९५६ में कलकता से आयात किए गए प्रमुख कार्प्स की 'फ्राई' मछली (बीज) वांगबाल स्थित मछली रोपणी प्रक्षेत्र[34] में अच्छी प्रकार से पनप रही हैं और उन्होंने आंगुलिकों (फिंगरलिंग्स) का रूप धारण कर लिया है। वे जनता को मछली पालन के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं।

(२) उत्तर प्रदेश से लाई गई मिरर कार्प आंगुलिक भी वांगबाल नर्सरी फार्म में अच्छी तरह से बढ़ रही हैं और उनका विस्तृत प्रचार किया जायगा।

(३) अन्तर्देशीय मीनक्षेत्रों में प्रशिक्षण समाप्त करने के पश्चात् दो पदाधिकारी मीनक्षेत्र निरीक्षक और मछली फार्म प्रबंधक, वांगबाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं।

## मनीपुर में टेलीफोन कनैक्शन

†५९८. **श्री ले० अचौ सिंह :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में अभी तक गैर सरकारी व्यक्तियों, सरकारी दफ्तरों और सरकारी पदाधिकारियों के निवास स्थानों को कितने टेलीफोन कनैक्शन आवण्टित किए गए हैं ;

(ख) इम्फाल निवासियों द्वारा नए फोन कनैक्शनों के लिए कितने प्रार्थनापत्र दिए गए ; और

(ग) इस समय कितने प्रार्थना पत्र निपटारे के लिए पड़े हुए हैं और आवश्यक मांग कब पूरी की जायगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) इस समय इम्फाल एक्सचेंज में निम्नलिखित कनैक्शन हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[34]Fish Nursery Farm

| | | |
|---|---|---|
| (१) गैर सरकारी कनैक्शन | | ४५ |
| (२) सरकारी दफ्तरों के कनक्शन | | ३४ |
| (३) सरकारी पदाधिकारियों के निवास स्थानों के कनैक्शन | | १७ |
| | | ९६ |
| जंकशन सरकिट | | ३ |
| | योग | ९९ |

(ख)

| | १९५६-५७ में प्राप्त प्रार्थनापत्र |
|---|---|
| गैर सरकारी | २० |
| सरकारी | १० |
| योग | ३० |

(ग) इस समय लम्बित प्रार्थनापत्र की संख्या :

| | |
|---|---|
| गैर–सरकारी | ३८ |
| सरकारी | ६ |
| योग | ४४ |

हाल में ५० लाइनों की क्षमता का एक दूसरा बोर्ड स्थापित किया गया है। और कनेक्शन भूमिगत तारों के बिछाए जाने के पश्चात् दिए जायेंगे जिसके लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। आवश्यक मांग के ३१–३–५८ तक पूरा किए जाने की संभावना है।

## रेलवे उपकरण समिति[१५]

†५९९. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे उपकरण समिति के प्रतिवेदन पर उचित रूप से विचार एवं उसकी छानबीन की जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो समिति की किन–किन सिफारिशों को सर्वाधिक अग्रमान्यता दी गई है;

(ग) क्या गैर–सरकारी उद्योगपतियों ने देशी साधनों से रेलवे के सामान के निर्माण द्वारा रेलवे की सहायता के लिए कदम बढ़ाया है;

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक; और

---

† मूल अंग्रेजी में

[१५]Railway Equipment Committee:

(ङ) क्या सरकार समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार रेलवे के शेष सामान के निर्माण के लिए स्वयं अपने कारखाने चालू करने का विचार कर रही है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां।

(ख) अधिकांश सिफारिशें कार्यान्वित की जा चुकी हैं और शेष कार्यान्वित की जा रही हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) रेल के माल-डिब्बों और कोचों के फ्रेमों के देश में निर्माण के लिए उनका सहयोग पर्याप्त रहा है। अन्य वस्तुओं के लिए, एक एक वस्तु को लिया जा रहा है और अभी इतनी जल्दी उनके संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता।

(ङ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

## डकोटा की खरीद

†६००. **श्री मुरारका** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक डकोटा विमान नवानगर के जाम साहब से खरीदा गया था; और

(ख) यदि हां, तो वह कितने दाम में खरीदा गया था और यह दाम कैसे निश्चित किया गया था ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). इंडियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन द्वारा नवानगर के जाम साहब से एक डकोटा विमान १,८७,५०० रुपए में खरीदा गया था। दाम का निश्चय विमान की दशा, उसकी उड़ान के घण्टों की संख्या और समान विमान के बाजार भाव पर विचार करने के पश्चात् किया गया था।

## डकोटा की खरीद

†६०१. **श्री मुरारका** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन द्वारा मेसर्स मेटकैरो इंजीनियर्स लिमिटेड से एक डकोटा टूटी-फूटी और अंशतः पूर्ण दशा में खरीदा गया था; और

(ख) यदि हां, तो वह कितने दाम में खरीदा गया था और वह दाम कैसे निश्चित किया गया था ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) वह विमान ३५,००० रुपए में खरीदा गया था। दाम का निश्चय आवश्यक पुर्जों की लागत और उसको चालू हालत में लाने में व्यय होने वाले श्रम प्रभारों पर विचार करने के पश्चात् किया गया था। कार्पोरेशन ने खरीद करने के पूर्व यह निश्चय कर लिया था कि उस पर होने वाला कुल व्यय ऐसे विमान के चालू बाजार मूल्य से काफी कम होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

## किच्छा स्टेशन यार्ड

†६०२. **श्री सिंहासन सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तराई क्षेत्र के बसने के समय से, जिसे सामान्यतः किच्छा के नाम से पुकारा जाता है, पूर्वोत्तर रेलवे के किच्छा स्टेशन के भवनों और यार्ड में कोई विस्तार किया गया है ;

(ख) इस समय किच्छा से खाद्यान्नों और अन्य वस्तुओं से कितना लदान होता है और किच्छा स्टेशन से औसतन कितना बुकिंग होता है तथा वहां कितने यात्री आया करते हैं ;

(ग) क्या स्टेशन की इमारत और कथित स्टेशन की यार्ड की क्षमता के विस्तार और छोटे छोटे बुकिंग के कोटे में वृद्धि के लिये कोई मांगें की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या निर्दिष्ट की गई सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई निर्णय किया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) समीपवर्ती तराई क्षेत्र का बसना प्रारंभ होने के समय से यद्यपि कोई भौतिक विस्तार नहीं किया गया है पर स्टेशन की इमारत और यार्ड का प्लेटफार्म का धरातल ऊंचा करके और उस स्थान में बिजली लगाकर सुधार किया गया है।

(ख) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें जनवरी से जून, १९५७ तक के ६ महीनों में हुआ खाद्यान्नों और अन्य वस्तुओं का लदान अलग अलग दिया गया है। [**देखिय परिशिष्ट २, अनुबन्ध सख्या १३३**] किच्छा स्टेशन से बाहर जाने वाले यात्रियों की औसत दैनिक संख्या ५०० है और आने वालों की ३८० (लगभग)।

(ग) किच्छा स्टेशन पर कुछ सुविधाओं के उपबन्ध और उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों को छोटी–छोटी वस्तुओं के बुकिंग के लिए कोटा बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, परन्तु यार्ड की क्षमता बढ़ाने के लिए कोई मांग नहीं की गई है।

(घ) माल आने वाली सड़कों और यात्रियों को पीने के पानी के संभरण के लिए प्रबन्ध के कार्य समाप्ति पर हैं। १९५८–५९ के कार्यक्रम में गुड्स शेड का विस्तार, पार्सल गोदाम की व्यवस्था और गुड्स शेड क्षेत्र का सुधार सम्मिलित करने का विचार है। डाक तथा तार विभाग को स्टेशन पर एक टेलीफोन लगाने के लिए लिखा गया है। खाद्यान्नों के छोटी वस्तुओं के रूप में बुकिंग के लिए नियमों में कुछ ढिलाई की जा चुकी है।

## रेलवे में क्लर्की सेवा[36]

†६०३. **श्री घोषाल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलों में क्लर्की सेवा के संबध में, जैसा कि केन्द्रीय वेतन आयोग के प्रतिवेदन में उल्लेख है, "दैनिक कार्य"[37] "और" निपटान कार्य"[38] की कोई परिभाषा है;

---

†मूल अंग्रेजी में

[36] Clerical Service on Railways [37] Routine Work [38] Disposal Work

(ख) यदि हां तो वह क्या है ;

(ग) रेलवे के लेखा विभाग के दूसरी-श्रेणी के क्लर्कों के वर्ग में "दैनिक–कार्य" क्लर्कों और "निपटान–कार्य" क्लर्कों का प्रतिशत क्या है ;

(घ) क्या वह केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुरूप है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) से (ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

## यात्री सुविधायें

†६०४. **श्री रामकृष्ण रेड्डी** : क्या **रेलव** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दक्षिण रेलवे में काटपाडी से हैदराबाद तक पाकाला और धर्मावरम् जंकशनों से होकर एक सीधा डिब्बा चालू करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्यों ?

**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी, नहीं।

(ख) यातायात की दृष्टि से उसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि सिकन्दराबाद काचेगुडा से धर्मावरम् से आगे काटपाडी की ओर जाने वाले यात्रियों की संख्या का दैनिक औसत केवल ६ के लगभग आता है।

## राष्ट्रीय राजपथ

†६०५. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला पीलीभीत और बरेली (उत्तर प्रदेश) में राष्ट्रीय राजपथ का कुल मीलयोग कितना है; और

(ख) दूसरी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजपथों में इन जिलों में कोई नई सड़कें सम्मिलित की गई हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)**: उत्तर प्रदेश के पीली भीत जिले से होकर कोई भी राष्ट्रीय राजपथ नहीं निकलता है। बरेली जिले से होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजपथ संख्या २४ (दिल्ली–बरेली–लखनऊ सड़क) की कुल लम्बाई, बरेली नगर-पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली $३^{१}/_{२}$ मील की लम्बाई को सम्मिलित करते हुए ४७ मील है।

(ख) जी, नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

## दक्षिण-पूर्व रेलवे का मिदनापुर-अदरा सैक्शन

†६०६. **श्री सुबोध हासदा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार दक्षिणपूर्व रेलवे में मिदनापुर और अदरा स्टेशन के बीच की लाइनों में'से एक की पटरियों को हटाने का है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस सैक्शन में वह रेल की लाइन सदा के लिए खत्म कर दी जायगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)**: (क) और (ख) बन्कुरा और मिदनापुर के बीच की दो लाइनों में से एक को तोड़ने का कोई विचार नहीं है।

## निद्रा की नई दवा

६०७. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का धयान इस ओर आकर्षित किया गया है कि एक फ्रांसीसी डाक्टर ने एक ऐसी नई दवा का आविष्कार किया है जिससे ३ मिनट के अन्दर साधारण निद्रा आ जाती है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ; और

(ग) क्या भारत में उस दवा के आयात के लिए अनुमति दे दी गई है ?

**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

## दक्षिण-पूर्व रेलवे का पहरा एवं रक्षा विभाग[१९]

†६०८. **श्री सुबोध हासदा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के पहरा एवं रक्षा विभाग में अनुसूचित आदिम जातियों के लिए कोई कोटा निश्चित है; और

(ख) यदि हां, तो क्या गत दो वर्षों के लिए निश्चित कोटा पूरा हो चुका है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

## रेलों में भरती

†६०९. **श्री गणपति राम** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समस्त प्रादेशिक रेलों में तीसरी और चौथी श्रेणियों में १९५६–५७ में कुल कितने व्यक्ति भरती किए गए ; और

---

मूल अंग्रेजी में।

[१९] Watch and Ward Department

(ख) प्रत्येक प्रदेश और प्रत्येक श्रेणी में भर्ती किए गए अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों की संख्या कितनी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय लोक-सभा पटल पर रख दी जायगी ।

**रुद्रपुर-नौतनवा रेलवे लाइन**

†६१०. **श्री विश्व नाथ राय:** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने रुद्रपुर से देवरिया, केसी, पडरौना और खेड्डा होकर नौतनवा तक एक ब्रान्च रेलवे के निर्माण के लिए सर्वेक्षण कार्य के संबंध में कोई कदम उठाए हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : सर्वेक्षण प्रारंभ करना संभव नहीं हो सका । यह परियोजना रेलवे की दूसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं है ।

**सामलकोट रेलवे स्टेशन**

†६११. **श्री ब० स० मूर्ति** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामलकोट (आन्ध्र प्रदेश) में स्टेशन यार्ड में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) अधिक यात्री सुख सुविधाओं का प्रबन्ध करने के लिए १९५६-५७ में क्या सुधार किए गए ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) कोई नहीं ।

(ख) १९५६-५७ के निर्माण कार्य-क्रम में निम्नलिखित यात्री सुख-सुविधा कार्य सम्मिलित किए गए थे और अब उनका कार्य चल रहा है :

(१) उच्च श्रेणी के प्रतीक्षालयों में अधिक अच्छा फर्श बनाने की व्यवस्था ।

(२) शाकाहारी भोजनालय में सुधार ।

(३) प्लेटफार्म पर पानी के नलों का उपबन्ध ।

**केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन**

†६१२. **श्री ब० स० मूर्ति** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री २९ जुलाई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ४१४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेकार घोषित किए गए ट्रैक्टरों द्वारा चालन-कार्य बन्द कर दिये जाने पर कितने व्यक्तियों क बेरोजगार हो जाने की संभावना है; और

(ख) क्या उनके लिए किसी वैकल्पिक रोजगार का प्रबन्ध किया जायगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). जिन ट्रैक्टरों की आर्थिक उपयोगिता समाप्त हो गई है उनक चालन कार्य बन्द करने के परिणामस्वरूप लोगों को नौकरी से अलग किया जाय अथवा नहीं यह प्रश्न भारत सरकार (श्रम मंत्रालय) के समझौता

†मूल अंग्रेजी में

विभाग[40] को निर्दिष्ट किया गया है। यदि उनको अलग करना आवश्यक हुआ तो उनके लिए वैकल्पिक नौकरियां प्राप्त करने का प्रत्येक प्रयत्न किया जायगा।

**आन्ध्र प्रदेश में जलसंभरण योजनायें**

†६१३. **श्री ब० स० मूर्ति :**
**श्री मं० वें० कृष्ण राव :**

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना में पीने के पानी के उपबन्ध के लिए आन्ध्र प्रदेश की सरकार द्वारा प्रस्तुत कोई योजनायें भारत सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि उसे तेलंगाना क्षत्र की जल संभरण योजनाओं के लिए लगभग ९०.५० लाख रुपए की आवश्यकता होगी परन्तु केवल एक योजना जिसकी अनुमानित लागत ५ लाख रुपए है तथा जो निजमाबाद जिले में कमरेड्डी कस्बे के संबंध में है, ३१ जुलाई, १९५७ को प्राप्त हुई थी। किसी भी राज्य की कोई नई योजनायें मंजूर नहीं की जा रहीं है जब तक कि प्रथम पंच वर्षीय योजना की फली हुई योजनायें पूरी न हो जायें।

**अंशदायी चिकित्सा सेवा योजना**

†६१४. **श्री ब० स० मूर्ति :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ६ दिसम्बर, १९५६ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ८७२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अंशदायी चिकित्सा सेवा योजना का केन्द्रीय सरकार के समस्त कर्मचारियों पर विचार करने के संबंध में कोई निर्णय कर लिया गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : इस प्रश्न पर कोई निर्णय नहीं किया गया है।

**इंजन**

†६१५. **श्री दुरायस्वामी गौंडर :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५-५६ और १९५६–५७ में खरीदे गए इंजन प्रत्येक रेलवे जोन के लिए किस तरह से आवण्टित किए गए थे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : एक विवरण लोक-सभा पर रखा जाता है जिसमें आवश्यक सूचना दी गई है **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १३४]**

**चीनी के कारखाने**

†६१६. **श्री का० ना० पांडे :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री एक विवरण लोक–सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्न बातें दी गई हों :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकृत नियंत्रकों द्वारा इस समय चीनी के कौन-कौन से कारखाने चलाए जा रहे हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[40] Concilliation mochinery

(ख) वर्ष १९५६–५७ के दौरान में किन किन चीनी के कारखानों को लाभ हुआ और किन किन को हानि हुई तथा उसका कारण क्या है; और

(ग) क्या यह सच है कि राम लक्ष्मण शुगर मिल्स, मुहीउद्दीन ने, जिसका चालन यद्यपि एक प्राधिकृत नियंत्रक करता है, फैक्टरी अधिनियम के अनुसार श्रमिकों के लिए अभी तक कैन्टीन और विश्राम गृह की व्यवस्था नहीं है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) इस समय निम्नलिखित चीनी के कारखानों का चालन उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए गए प्राधिकृत नियंत्रकों द्वारा किया जा रहा है :

(१) मेसर्स ईश्वरी खेतान शुगर मिल्स लिमिटेड, लक्ष्मीगंज ।

(२) मेसर्स महेश्वरी खेतान शुगर मिल्स लिमिटेड, रामकोला ।

(३) मेसर्स विष्णु प्रताप शुगर वर्क्स लिमिटेड, खड्डा ।

(४) मेसर्स रामलक्ष्मण शुगर मिल्स, मुहीउद्दीन ।

(५) श्री जानकी शुगर मिल्स एण्ड कम्पनी, डोईवाला ।

इनके अतिरिक्त निम्नलिखित दो चीनी के कारखाने अत्यावश्यक पण्य अधिनियम[41], १९५५ के अन्तर्गत सरकार के पर्यवेक्षण नियंत्रण के अन्तर्गत हैं :

(१) मेसर्स सुगौली शुगर वर्क्स लिमिटेड, सुगौली ;

(२) मेसर्स एस० बी० शुगर मिल्स, बिजनौर ।

(ख) चीनी का सीज़न २ नवम्बर से ३१ अक्टूबर तक माना जाता है । इसलिए अभी वर्ष १९५६–५७ के लाभ अथवा हानि का संकेत करना संभव नहीं है ।

(ग) श्रमिकों के लिए कैन्टीन और विश्राम-गृह का उपबन्ध करने के प्रश्न पर प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा विचार किया जा रहा है ।

---

## अत्यावश्यक सेवा संधारण अध्यादेश क प्रतिसंहरण करने के सम्बन्ध में वक्तव्य

†**श्री अ० क० गोपालन** (कासरगोड) : मैं प्रधानमंत्री से एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में प्रार्थना करना चाहता हूं । अब हड़ताल वापस ले ली गई है इसलिये मेरे विचार से तत्सम्बन्धी अध्यादेश तथा विधेयक भी वापस ले लिया जाना चाहिये । प्रधान मंत्री ने अपने भाषण में भी यह बात कही थी कि ऐसी स्थिति में उसका प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी । अतः मैं प्रधान मंत्री से निवेदन करूँगा कि देश में मैत्रीपूर्ण वातावरण पैदा करने के हित में यह अध्यादेश वापस ले लिया जाय और विधेयक पर आगे कोई कार्यवाही न की जाय ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नहरू)** : कुछ समय पहिले मेरे सहयोगी गृह-मंत्री ने राज्य-सभा के पटल पर, अध्यादेश की एक प्रति रखते हुए यह बताया था कि सरकार ने राष्ट्रपति को यह अध्यादेश प्रति संहृत करने की सलाह दी है । आशा है कि राष्ट्रपति एक दो दिन में तत्सम्बन्धी आदेश जारी कर देंगे । इस समय मैं इतना ही कह सकता हूँ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[41] Essential Commodities Act.

# स्थगन प्रस्ताव

## दिल्ली में विस्फोट

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवदी ने मुझे निम्नलिखित स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है: "१० अगस्त १९५७ को बल्लीमारान, दिल्ली म रात के साढ़े आठ बजे हुआ एक बम विस्फोट जिसके फलस्वरूप दिल्ली के नागरिकों में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है।"

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) :** माननीय सदस्य को गलत सूचना मिली है। शनीवार ८।। बजे सायंकाल दिल्ली के बल्लीमारान मोहल्ले के एक मकान के बरामदे में एक पटाखा फूटा। इससे किसी व्यक्ति या सम्पत्ति को कोई हानि नहीं हुई। पुलिस ने तुरंत वहां पहुँच कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। इससे कहीं कोई असुरक्षा की भावना नहीं फली। म माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूँ कि उन्हें अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की सुरक्षा के सम्बन्ध में भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : मैं सभा को केवल यह बताना चाहता हूं कि दिल्ली में पहिला बम २१ जून १९५६ को फटा था उस समय उसे पटाखा कह कर टाल दिया गया, किन्तु जब सितम्बर में इसने यह रूप लिया कि सारा देश इससे अस्थिर हो गया। तब सरकार ने इसकी जाँच करने की आज्ञा दी। आज तक उसका कोई प्रतिवेदन नहीं आया है।

यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि आठ अगस्त को यह घटना उस समय हुई थी जब मोहरम का जलूस उस स्थान से गुजर रहा था। १९५६ में भी बम विस्फोट की घटना ठीक उसी स्थान पर हुई थी। इससे ज्ञात होता है कि पुलिस इस सम्बन्ध में असावधान रही है।

†**पंडित गो० ब० पन्त :** दिल्ली की पुलिस इस सम्बन्ध में बहुत चौकन्नी रही है। उसने पटाखों के फटने के सम्बन्ध में भी कई व्यक्तियों को पकड़ा है और कई व्यक्तियों को न्यायालय से दंड भी मिल चुका है। इसलिये पुलिस पर आरोप लगाना अनुचित है।

मेरे विचार से पटाखों के घड़ाके केवल भय फैलाने के उद्देश्य से किये जा रहे हैं। इस पटाखे के फटने से कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ। इसलिये इस पर स्थगन प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता है। यह नियम वाध्य है।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** क्या मंत्री महोदय यह बात अस्वीकार करते हैं कि १० व्यक्ति घायल हुए है। क्या ८ तारीख को . . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** हमारा इस बात से कोई सम्बन्ध नहीं है कि ८ तारीख को क्या हुआ। जहाँ तक विचाराधीन दुर्घटना का सम्बन्ध ह स्थगन प्रस्ताव में यह नहीं बताया गया है कि कोई व्यक्ति घायल हुआ। इस सम्बन्ध में गृह–मंत्री ने जो वक्तव्य दिया है और समाचार पत्रों से भी जो कुछ ज्ञात होता है, उस से यह पता चलता है कि मामले की जाँच की जा रही है। ८ तारीख को ताजिये के जुलूस के समय जो घटना हुई थी उसके बारे में श्री दी० चं० शर्मा ने सरकार को ध्यान दिलाने की पूर्व सूचना दी है। मैं उसे मंत्री महोदय के पास भेज चुका हूँ। यह मामला इतना गम्भीर नहीं है कि इसके कारण सभा की कार्यवाही स्थगित की जाये। अतः मैं इसको प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

## सभा पटल पर रखे गये पत्र

### राज भाषा आयोग का प्रतिवेदन

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : मैं राज्य भाषा आयोग के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस--१७६/५७]**

### समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**वित्त उपमंत्री (श्री बी० आर० भगत)** : मैं समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम १८७८ की धारा ४३-ख की उपधारा ४ के अन्तर्गत निकाली गई निम्न अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(१) दिनांक २० जुलाई, १९५७ का एस० आर० ओ० २३९४। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस--१७७/५७]**

(२) दिनांक २० जुलाई, १९५७ का एस० आर० ओ० २३९५ जिसमें समुद्र सीमा शुल्क प्रत्याहृत (फ्लोरेसैंट बत्तियों के लिये चोक), नियम, १९५७ दिये हुये हैं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस--१७८/५७]**

(३) दिनांक २० जुलाई, १९५७ का एस० आर० ओ० २३९६। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस--१७९/५७]**

(४) दिनांक २० जुलाई, १९५७ का एस० आर० ओ० २३९७ जिसमें सीमा शुल्क प्रत्याहृत (सैकरीन) नियम, १९५७ दिये गये हैं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस--१८०/५७]**

(५) दिनांक २४ जुलाई, १९५७ का एस० आर० ओ० २३९९। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस--१८१/५७]**

(६) दिनांक २४ जुलाई, १९५७ का एस० आर० ओ० २४०० जिसमें सीमा शुल्क प्रत्याहृत (पटसन का सामान) नियम, १९५७ दिये हुये हैं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस--१८२/५७]**

---

## धन कर विधेयक

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : अपने सहयोगी विधि मंत्री की ओर से मैं यह प्रस्ताव करता हूँ :

"कि धन कर लगाने की व्यवस्था करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये नियत समय १७ अगस्त, १९५७ तक बढ़ा दिया जाये।"

---

मूल अंग्रेज़ी में

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

सभा को यह जानने में दिलचस्पी होगी कि समिति बहुत परिश्रम कर रही है। उनकी अब तक ९ बैठकें हो चुकी हैं और वे ३१ खंड ले चुके हैं। आशा है वे अगले दो दिनों में धन कर विधेयक पर विचार समाप्त कर देंगे। छुट्टियों के बीच में आ जाने से समय को १७ तारीख तक बढ़ाने की माँग की गई है।

**अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव सभा में मतदान के लिये रखा गया और स्वीकृत हुआ।**

---

## व्यय कर विधेयक

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)**: अपने सहयोगी विधि मंत्री की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि व्यय पर कर लगाने की व्यवस्था करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये नियत समय २६ अगस्त, १९५७ तक बढ़ा दिया जाये।"

सभा जानती होगी कि समिति साक्ष्य लेने के लिये अपनी बैठकें कर रही है। उसकी सात बैठकें हों चुकी हैं। अभी उसने खंडवार विचार नहीं किया है। आशा है कि जो समय उसको अब दिया जा रहा है उसमें वह अपना काम समाप्त कर लेगी। इसलिये मैं सभा से इसका समय २६ अगस्त १९५७ तक बढ़ाने की प्रार्थना करूँगा।

**अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव सभा में मतदान के लिये रखा गया और स्वीकृत हुआ।**

---

## अनुदानों की मांगें—जारी

### पुनर्वास मंत्रालय—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब पुनर्वास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा करेगी। इसके लिये निश्चित ८ घंटों में से अब ५ घंटे २१ मिनट अवशेष हैं। मंत्री महोदय ५ बजे से भाषण देंगे और हम ९ बजे तक बैठेंगे।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम): साढ़े पाँच बजे से एक अन्य आधे घंटे की चर्चा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री जी पाँच बजे से भाषण प्रारम्भ कर उसे अगले दिन जारी रखना चाहेंगे या आज ही समाप्त करना चाहेंगे ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : मैं अपना भाषण साढ़े चार बजे से प्रारम्भ कर आज ही समाप्त करना चाहता हूँ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मेरा निवेदन है कि समय बढ़ाने की इस प्रक्रिया को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये। इसका आशय है कि सत्र की अवधि बढ़ जायेगी। प्रति दिन एक या आधा घंटा बढ़ाने का तात्पर्य यह है कि अन्त में कई दिन या सप्ताहों की वृद्धि हो जायेगी। हमें इतना समय कहाँ से प्राप्त होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मेहरचन्द खन्ना :** मैं अपना भाषण ४.१५ से प्रारम्भ कर ५.१५ या ५.३० तक समाप्त कर दूंगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री सरहदी अपना भाषण पुनः प्रारम्भ कर सकते हैं।

†**श्री अ० सिं० सरहदी** (लुधियाना): विभाजन के फलस्वरूप जो बलात् प्रव्रजन हुआ उसमें लगभग एक करोड़ व्यक्ति अपने घर तथा सम्पत्ति छोड़ कर भारत वापस आये। इस हानि का समस्त प्रतिकर देने का दायित्व भारत सरकार को है। हमें यह बताया गया है कि जब तक पाकिस्तान वहाँ छोड़ी गई सम्पत्तियों के इवज में कुछ और राशि नहीं देगा तब तक १८५ करोड़ से अधिक प्रतिकर नहीं मिल सकता है।

एक ओर भारत सरकार १९४८ के समझौते के विरुद्ध पाकिस्तान को पूर्वी नदियों का पानी दे रही है दूसरे पाकिस्तान विस्थापितों की सम्पत्ति का मुआवजा देने से इनकार कर रहा है यह अनुचित है। पुनर्वास मंत्री को अपने सहयोगियों पर इस बात का दबाव डालना चाहिये कि वे सारे प्रश्नों को एक साथ लें और जब तक पाकिस्तान, विस्थापितों द्वारा छोड़ी सम्पत्ति के इवज में कुछ नहीं देता तब तक वे उसे पूर्वी नदियों से पानी न दें। तभी इस प्रश्न का निपटारा हो सकता है।

जहाँ तक मुझे स्मरण है प्रथम पंचवर्षीय योजना में विस्थापित व्यक्तियों के लिये ६६.०८ करोड़ रुपये नियत किये गये थे, जिनमें से केवल ४३.०८ करोड़ रुपये व्यय हुए हैं। अवशेष २३ करोड़ रुपयों को अब विस्थापितों के लाभ के लिये व्यय करना चाहिये।

पश्चिमी पाकिस्तान से लगभग १ करोड़ व्यक्ति भारत आये। वे देश के कोने-कोने में फैल गये और विभिन्न स्थानों में बस गये। वे जहाँ भी गये वहाँ अपनी संस्कृति व भाषा अपने अपने साथ ले गये और उससे दूसरों को प्रभावित किया। बंगाली विस्थापित भी ऐसा कर सकते हैं। कुछ भी हो विस्थापित व्यक्तियों ने देश की आर्थिक उन्नति में सहयोग दिया। उनके आने से भारत सरकार की सम्पत्ति की आय में वृद्धि हुई। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस अनुपार्जित आय में वृद्धि का हिसाब लगाने के लिये एक समिति नियुक्त करें और जो भी वृद्धि हुई हो उसे शरणार्थियों को दें।

अब मैं आपका ध्यान विस्थापित व्यक्ति नियम संख्या ६५ की ओर दिलाता हूं। उसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति का प्रमाणित दावा चार एकड़ या उससे कम का हो तो उसका १०,००० या उससे कम कीमत के मकान का दावा प्रमाणित नहीं किया जायेगा। वस्तुतः पूर्व पंजाब में गांवों में रहने वाले अधिकांश व्यक्ति वाणिज्य या महाजनी इत्यादि करते थे उनके पास जमीन तो बहुत कम थी किन्तु मकान थे। भारत विभाजन के पश्चात् भी वे लोग नगरों में बस गये और व्यापार करने लगे। उनके नाम भूमि दे दी गई तथापि उन्होंने उसका कब्जा नहीं लिया, और उन्हें उसका पता भी नहीं है। अतः मेरा निवेदन है कि विस्थापित व्यक्तियों को अपने प्रमाणित दावे या भूमि दोनों में से एक चुनने की छूट दे दी जाय।

माननीय मंत्री ने यह नियम भी बनाया है कि पंजाब के नागरिक क्षेत्रों में जिन लोगों को कृषि भूमि दी गई है वे उन्हें अपने दावों की राशि से तभी ले सकते हैं जब उस भूमि का मूल्य १० हजार से कम हो। वस्तुतः १०,००० रुपयों में जो भूमि आयेगी वह एक या डेढ़ एकड़ से अधिक नहीं होगी फलतः यह भूमि आर्थिक दृष्टि से हानिकर सिद्ध होगी। अतः इसकी राशि १०,००० से बढ़ा कर ५०,००० कर दी जाय।

---

† मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० सिं० सरहदी]

बहुत से लोग उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्तों के आदिवासी इलाकों से आये हैं । उन से यहाँ अपने दावे प्रमाणित करते समय लिखित प्रमाण मांगा जाता है । उस इलाके में म्यूनिसिपल कमेटियां न होने, मकान कर इत्यादि न होने से उनके पास कोई लिखित प्रमाण नहीं रहता है अतः उनसे कोई लिखित प्रमाण नहीं मांगा जाय । इसका निर्णय दावा अधिकारी के स्वविवेक पर छोड़ देना चाहिये ।

उस क्षेत्र से ४०० परिवार आये हैं। अब तक उनके लिये कुछ नहीं किया गया है। उन्हें नियमित सहायता देने से कहीं अच्छा यह है कि उन्हें कहीं बसा दिया जाय।

सिन्धी शरणार्थियों को जो दावों की राशि इत्यादि दी गई है उसे स्थायी रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। मेरा निवेदन है कि कम से कम ७५१० दावों इत्यादि को स्थायी मान लिया जाय जिससे उन्हें कुछ सुरक्षा प्राप्त हो सके।

कमला मार्केट और किला क्षेत्र के लोगों के सम्बन्ध में पंडित ठाकुर दास भार्गव ने जो कुछ भी कहा है मैं उससे सहमत हूं। अतः इसका निपटारा लागत मूल्य पर ही किया जाना चाहिये ।

जहाँ तक गुरुद्वारों तथा अन्य ऐतिहासिक संस्थाओं और उनसे होने वाली आय का सम्बन्ध है सरकार को इस सम्बन्ध में भ्रांति है। वस्तुतः दृढ़ निश्चय से इसका निपटारा किया जा सकता है। समूचा प्रश्न एक साथ लिया जाय। पाकिस्तान को आंशिक रूप से उसका निपटारा करने की अनुमति न दी जाय। पाकिस्तान धार्मिक संस्थाओं की सम्पत्ति हरन करना चाहता है। अतः सरकार को इस सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही करनी चाहिये। इस प्रश्न के भली भांति निर्णय करने पर ही आपकी प्रतिष्ठा कायम रह सकती है अन्यथा हमारी संतति आपको धिक्कारेगी ।

---

## विशेषाधिकार का प्रश्न

### बीरेन्द्रकुमार मजूमदार द्वारा पररूपधारण

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं सभा में उस व्यक्ति के बारे में एक वक्तव्य देना चाहता हूं जिसने कुछ दिन हुए इस सभा के सदस्य का रूप धारण किया था । सभा को याद होगा कि यह व्यक्ति १५ जुलाई, १९५७ को सभा के सदस्य के रूप में सभा में घुस आया था और उसने सदस्यों की नामावलि पर हस्ताक्षर किये थे। इस प्रकार उसने सभा की मान हानि की थी। सभा ने मुझे उक्त व्यक्ति को एक चिकित्सक बोर्ड के सुपुर्द करने और चिकित्सकों की सलाहनुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का प्राधिकार दिया था। चिकित्सक बोर्ड ने उसकी सब तरह से जांच करके बताया है कि उक्त व्यक्ति विकृत मस्तिष्क वाला है तथा एक प्रकार के पागलपन से पीड़ित है। अतः मैंने निश्चय किया है उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी ।

चिकित्सक बोर्ड के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

# अनुदानों की मांगें--जारी

## पुनर्वास मंत्रालय--जारी

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : पुनर्वास मंत्रालय अपने प्रचार कार्य में बहुत चतुर है। वस्तुतः होता यह है कि हम प्रति वर्ष उन्हीं मांगों को दुहराते जाते हैं और मंत्री महोदय सदैव वही उत्तर देते हैं। इस मंत्रालय ने सदैव गलत नीति अपनाई है और उसने अपनी गलतियों के लिये शरणार्थियों के भाग्य को दोषी ठहराया है। यह बात इनके प्रतिवेदन से ही प्रकट हो जाती है। प्रश्नों के जो उत्तर दिये जाते हैं वे या तो बात टालने वाले होते हैं या बिल्कुल गलत होते हैं। इस मंत्रालय के लिये जिस पर पीड़ितों और उत्थापितों की सहायता का दायित्व है ऐसा करना कहां तक उचित है ?

अभी कुछ ही दिन पहले, २३ जुलाई, १९५७ को श्री मेहरचन्द खन्ना ने श्री हीरेन्द्रनाथ मुकर्जी के एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि सियालदा स्टेशन के प्लेटफार्म और उसके आसपास की भूमि पर कोई भी विस्थापित व्यक्ति स्थायी तौर पर नहीं रह रहा है, और अस्थायी तौर पर ही कुछ प्रव्रजक वहां आ जाते हैं, जिनमें से कई के पास प्रव्रजन के जाली प्रमाणपत्र पाये गये हैं। लेकिन ७ अगस्त के कांग्रेसी पत्र **युगान्तर** ने लिखा है कि सियालदा स्टेशन के प्लेटफार्म पर गत पांच वर्षों से ४,००० शरणार्थी रहते आये हैं, जो भुखमरी और तमाम रोगों के शिकार बने हुए हैं। शरणार्थी पुनर्वास विभाग के कथनानुसार उनमें से अधिकांश व्यक्ति शरणार्थी कैम्पों से भागकर वहां पहुंचे हैं और उनमें से कई के पास प्रव्रजन के जाली प्रमाण-पत्र भी हैं। लगभग १,८५० शरणार्थियों के पास उनके परिचय पत्र नहीं हैं। 'युगान्तर' ने यह भी बताया है कि उनमें से कुछ को डॉक में दो-तीन दिन काम मिल जाता है, लेकिन अधिकांशतः उन्हें भूखों ही मरना पड़ता है। उनके बच्चे यात्रियों से भीख मांगते हैं। मैं यह सब इसलिए बता रही हूं कि सभा इस समस्या के महत्व को समझ ले।

इस विषम परिस्थिति का मूल कारण यही है कि शरणार्थियों का पुनर्वास नहीं किया गया है, उन के लिये जीविका कमाने के साधन नहीं जुटाये गये हैं। लेकिन, शरणार्थी पुनर्वास विभाग इसे स्वीकार नहीं करता, इसीलिये उसने तथ्यान्वेषी समिति के १९५४ के प्रतिवेदन को सार्वजनिक तौर पर प्रकाशित नहीं किया है।

मैं यह तो मानती हूं कि समय बदल गया है। लेकिन, तथ्यान्वेषी समिति ने तो १९५४ में ही स्पष्ट तौर पर कहा था कि वास्तव में शरणार्थियों का बिल्कुल भी पुनर्वास नहीं हुआ है और ११ प्रतिशत शरणार्थियों का भी पुनर्वास नहीं हो सका है।

इस पर भी मंत्रालय अपनी आत्मालोचना या परिस्थिति का पुनर्विलोकन नहीं करना चाहता। वह तो सारा दोष शरणार्थी जनसंख्या की निरन्तर वृद्धि के माथे ही मढ़ देता है।

इस वर्ष के प्रतिवेदन में भी आरम्भ में ही कहा गया है कि प्रव्रजन करने वालों की औसत महावारी संख्या में, गत वर्ष की अपेक्षा, ३५ प्रतिशत वृद्धि हुई है। यह बात तो सही है, लेकिन जो शरणार्थी हमारे यहां १९४७ और १९५४ के बीच आये थे, उनकी ही दशा में कौनसा सुधार हुआ है। उनकी दशा भी उतनी ही विपन्न है।

मैं सभा का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि गत आठ या नौ महीनों के दौरान में हमारे यहां आने वाले शरणार्थियों की संख्या में काफ़ी कमी हो गई है। हमारे यहां गत अगस्त में ४७,०००, सितम्बर में १६,००० और नवम्बर तथा दिसम्बर में से प्रत्येक महीने में २,००० तथा

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

जनवरी में २,५०० शरणार्थी आये थे और मार्च में तो कुल १,२६१ ही आये थे। यह संख्या तो मार्च १९५३ की संख्या से भी कम है। लेकिन उनकी संख्या में कमी होने से, शरणार्थियों के पुनर्वास की स्थिति में कोई भी सुधार नहीं हुआ है।

इतना ही नहीं, कहा यह जाता है कि पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों का पुनर्वास इसलिये नहीं हो पाया है कि वे बंगाल से बाहर नहीं जाना चाहते। लेकिन, पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थी तो बाहर जाने से इंकार नहीं करते, क्या उनका पुनर्वास हो गया है? मैं दिल्ली में उनकी दशा देखती हूं। सरकार उनसे एक क़िस्त में १,८०० रुपये मकानों की लागत के लिये देने को कहती है, और पूरी लागत आठ वर्ष में वसूल करना चाहती है। शरणार्थियों की मांग है कि किस्त ३० रुपये माहवार रखी जाये।

सरकार शरणार्थियों को मकानों के लिये मालवीय नगर और लाजपत नगर में भिन्न-भिन्न निर्धारित करती है और इस प्रकार उनके लिये निर्मित मिकानों से मुनाफ़ा कमाना चाहती है। उनकी मांग उचित ही है कि उन मकानों को बिना किसी मुनाफ़े और बिना किसी हानि के आधार पर बेचना चाहिये।

शरणार्थियों से बहुत अधिक मकान किराया नहीं लेना चाहिये। यह बड़ी उचित मांग है।

पुराना क़िला में रहने वाले शरणार्थियों की दशा का चित्र पंडित ठाकुरदास भार्गव ने किया ही था। प्रत्येक परिवार से १५० रुपये अंशदान लेकर भी उनके लिये कुछ नहीं किया गया है। उनके मकान किराये के सम्बन्ध में जांच करने के लिये, संसद्-सदस्यों की जांच समिति गठित की जानी चाहिये।

दिल्ली के शरणार्थी स्थायी निवास के लिये स्थानों की मांग कर रहे हैं। कमला मार्केट के शरणार्थियों की करुण कहानी भी पंडित ठाकुरदास भार्गव ने सुनाई थी। जब दिल्ली में यह हाल है, तो फिर स्वाभाविक ही है कि दिल्ली से दूर के, पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को जंगलों में, दण्डकारण्य में भेजने की योजना बनाई जाये।

यह भी सही नहीं है कि पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थी दिल्ली से बाहर नहीं जाना चाहते। सरकारी रिकार्डों के आंकड़े बताते हैं कि पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले कुल ५.१० लाख शरणार्थियों में से .०५ लाख ही पंजाब से बाहर गये हैं, जबकि पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले कुल १.६९ लाख शरणार्थियों में से .६२ लाख बंगाल से बाहर गये हैं।

पश्चिमी पास्किातान से आने वाले १९,६२,००० शरणार्थियों में से १६,११,००० पंजाब में, १,६४,००० राजस्थान में और शेष बम्बई में बसे हैं। और दूसरी ओर, पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले २१,६९,००० शरणार्थियों में से १६,१९,००० पश्चिमी बंगाल में, २,२५,००० त्रिपुरा में और २,६७,००० आसाम में बसे हैं। पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले कुल २५,००० शरणार्थी बिहार में और २,६७,००० आसाम में बसे हैं। कैम्पों से शरणार्थियों के भाग निकलने का मुख्य कारण उन कैम्पों की बहुत बिगड़ी हुई दशा ही है। यदि वास्तव में किसी व्यक्ति का पुनर्वास कर दिया जाये, तो वह कभी भी भागना नहीं चाहेगा। इसलिये, मंत्रालय को पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के सम्बन्ध में ऐसा मिथ्या प्रचार नहीं करना चाहिये।

एक प्रश्न के उत्तर में, एक बार प्रधान मंत्री ने भी कहा था कि शरणार्थियों को पश्चिमी बंगाल से बाहर, दण्डकारण्य में बसाया जा रहा है लेकिन वहां शरणार्थियों को बसाने से पहले भूमि और वहां की परती भूमि का पूरी तौर पर मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार यदि हम कृषि-

योग्य भूमि को देश की जनसंख्या में बांटना चाहें, तो भूमि कम पड़ जायेगी । उसका तरीक़ा यही है कि पश्चिमी बंगाल की परती, बंजर और दलदली भूमि का कृष्यकरण किया जाये । तभी शरणार्थी उस पर बसाये जा सकते हैं ।

आज पश्चिमी बंगाल की जनता और पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के बीच कटुता बढ़ती जा रही है । उसका सारा दोष शरणार्थी पुनर्वास विभाग की नीति पर ही है । सभा ने मेरे ठोस प्रस्तावों पर भी ध्यान नहीं दिया है ।

श्री बर्मन ने कहा है कि सुन्दर बन में इसके योग्य भूमि नहीं है । हमें प्रत्येक ज़िले में भूमि तलाशनी चाहिये । उन्होंने यह भी कहा है कि उत्तर बंगाल में कोई भूमि सुलभ नहीं है । वनीय भूमि पर्याप्त मात्रा में सुलभ है । तराई और चाय बागान के क्षेत्रों में भी परती भूमि मिल सकती है । वहां के किसान अर्से से आन्दोलन कर रहे हैं कि छोटे-मोटे किसानों की भूमि न ली जाये । मैं इस सभा में वर्षों से यही मांग करती रही हूं । अब जाकर कहीं माननीय सभा सचिव ने बताया है कि उनकी भूमियां न लेने के लिये आदेश जारी कर दिये गये हैं । यह बड़ी अच्छी चीज़ है ।

साथ ही, हमें मीन क्षेत्रों को भी ले लेना चाहिये । मंत्रालय के कुछ उच्चाधिकारी इसके विरुद्ध हैं । मेरे क्षेत्र में सैकड़ों एकड़ भूमि मीन-क्षेत्रों में है । उनमें काफ़ी बंजर और परती भूमि है, जिसे कृषि कार्यों के लिये प्रयुक्त किया जा सकता है ।

मैं मानती हूं कि यह काम आसान नहीं है, लेकिन आसान तो कोई भी काम नहीं होता । शरणार्थियों को बंगाल से बाहर भेजने का कोई भी विरोध नहीं करता, लेकिन हमें सबसे पहले एक एकीकृत ढंग से तो आरम्भ करना चाहिये । हमें पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में फूट पैदा नहीं करनी चाहिये । यदि हम बंजर भूमि को कृषि योग्य बना सकते हैं, तो उससे स्थानीय जनता और शरणार्थियों दोनों ही को लाभ उठाने देना चाहिये ।

लगभग दो वर्ष पहले मैं पुनर्वास मंत्रणा समिति में थी, तभी मैंने यह प्रश्न पूछा था कि क्या परती और बंजर भूमि का पूरी तौर पर मूल्यांकन किया जा चुका है । तब आश्वासन दिया गया था कि वह किया जायेगा । लेकिन, वह अब तक नहीं किया गया है । विभाजन के पहले इशाक़ प्रतिवेदन में इस पर प्रकाश डाला गया था, लेकिन उसके बाद कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है । फिर, केन्द्रीय सरकार कैसे यह मान कर चलती है कि बंगाल की जनसंख्या भूमि की क्षमता से काफी अधिक बढ़ चुकी है ? यह ग़लत है । सबसे पहले तो हमें यह पता लगाना चाहिये कि पश्चिमी बंगाल में कुल कितनी भूमि है । उसके बाद ही, हम बंगाल के पास के अन्य राज्यों के क्षेत्रों पर ध्यान देंगे । तब हम भी प्रयास करेंगे कि शरणार्थी वहां जाकर बस जायें ।

सभा के प्रश्नोत्तर से प्रकट है कि दण्डकारण्य में भी वास्तव में कोई योजना नहीं है । खन्ना जी को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं है । उन्होंने भरसक प्रयास करने का आश्वासन दिया है । भरसक प्रयास करना तो ठीक है, लेकिन पता नहीं कब और क्या उसका फल निकलेगा; पता नहीं उससे कोई लाभ भी होगा या नहीं । कोरापुत ज़िले के मलकानगिरि ताल्लुके में जंगलों को काट देने और दो-तीन वर्षों में प्राकृतिक नमी के सूख जाने के कारण, वहां की भूमि बेकार सी हो गई है । खाद्य और कृषि संगठन के एक सदस्य श्री जे० एन० सेन गुप्त ने कोरापुत ज़िले के बारे में अपने पत्र में कहा था कि वहां का जंगल नष्ट कर देने से अब वहां पानी भरने लगा है और हवाओं को भी कोई रुकावट नहीं होती और इसलिये वहां की ऊसर भूमि पानी में डूब जाती है । उन्होंने बताया है कि पूर्वी घाट के प्रदेश में भी भारी वृष्टि के कारण भूमि का कटाव होता रहता है । इसलिये, हमें अब पहले परती भूमि का मूल्यांकन करने के बाद ही उस पर राशि व्यय करनी चाहिये । हमें पहले सर्वेक्षण करना चाहिये ।

[श्रीमती ' णु चक्रवर्त्ती]

शहरों के पुनर्वास की दशा भी बड़ी ख़राब है। खन्ना जी ने जनवरी १९५५ में घोषणा की थी कि विभिन्न शहरी क्षेत्रों में आठ औद्योगिक योजनायें आरम्भ की जायेंगी और उनसे ७,००० व्यक्तियों को काम मिल जायेगा। उन पर ३८४ लाख रुपया ख़र्च होना था अक्टूबर १९५५ में इन योजनाओं की संख्या आठ से बढ़ कर १३, और माच १९५६ में ३६ हो गई थी। इन सभी में एक या दो वर्षों में उत्पादन होने लगेगा—ऐसा कहा गया था। लेकिन १९५६–५७ के प्रतिवेदन में भी उनकी कोई उल्लेख नहीं है। एक या दो को छोड़ कर कोई भी योजना कार्यान्वित नहीं की गई है।

तथ्यान्वेषी समिति में ग्यासपुर और तिहारपुर की काफ़ी आलोचना हो ही चुकी है। तीन वर्षों से हम यही सुनते आ रहे हैं कि वहां कताई मिलें आरम्भ होने को हैं। लेकिन अभी तक हुआ कुछ भी नहीं है।

१९५४ में हमसे कहा गया था कि पटरियों पर बैठने वालों की १३३ बस्तियों को विनियमित बनाया जा रहा है। बाद में वह संख्या १५८ कर दी गई थी। ३० बस्तियों का सर्वेक्षण भी १९५४ में हो चुका था। लेकिन १९५५ तक कुल ३ बस्तियों को विनियमित किया गया था। और अभी तक, तीन वर्षों में कुल ३९ बस्तियों को विनियमित किया गया है। हर जगह यही हालत मिलती है।

त्रिपुरा में भी वर्षों पहले मंजूर किये गये ऋण अभी तक नहीं दिये गये हैं।

माननीय मंत्री सदा ही एक न एक कारण बता देते हैं। इससे कोई लाभ नहीं। आश्वासन और वचन दे दिये जाते हैं, लेकिन किया कुछ भी नहीं जाता। चांदीपुर में भी मकानों के निर्माण का वचन अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

मध्यम ग्राम में भी, गत डेढ़ दो वर्षों से लगातार मांग करने पर भी, उत्पादन केन्द्र नहीं खोला गया है। सरकार उस पुनर्वास केन्द्र की कोई सहायता नहीं करती।

सारा काम इसी ढंग से चलाया जा रहा है। जब तक मंत्रालय अपनी असफलताओं को मानने, नई नीति अपनाने और अपने यहां प्रचलित भ्रष्टाचार को रोकने पर कमर नहीं कस लेता, तब तक इसमें कोई भी सुधार नहीं हो सकेगा। मंत्रालय ने इतनी अधिक राशि का अपव्यय करके भी शरणार्थियों का किंचित पुनर्वास भी नहीं किया है। सरकार को अपनी वर्तमान नीति में परिवर्तन करना चाहिये।

†**श्रीमती रेणुका राय** (मालदा) : शायद विदेशों के लोग नहीं जानते कि भारत के पश्चिमी बंगाल और पूर्वी पंजाब में लाखों की तादाद में शरणार्थी आते रहते हैं। यह एक बड़ी समस्या है।

मैं सबसे पहले पश्चिमी बंगाल की भूमि का प्रश्न लेती हूं। सभा में इशाक प्रतिवेदन का काफ़ी उल्लेख किया गया है। इशाक़ प्रतिवेदन का एक अपना निहित उद्देश्य था। उसका उद्देश्य था कि बंगाल के पश्चिमी प्रदेश में मुस्लिमों का बहुमत सिद्ध करके बंगाल का अधिकाधिक भाग पाकिस्तान में शामिल कराया जाये। उसके बाद पश्चिमी बंगाल सरकार ने एक सर्वेक्षण कराया था, जिससे पता चला था कि पश्चिमी बंगाल में कुल बंजर भूमि ५.७८ लाख एकड़ थी, जिसमें से २.४७ लाख एकड़ भूमि कृष्यकरण के योग्य थी। इस भूमि का उपयोग होने लगा है।

सुन्दर बन का भी उल्लेख किया गया है। वहां पहुंचना ही बड़ा कठिन होता है। वहां की परिस्थिति इतनी असहनीय है कि शरणार्थी वहां रह ही नहीं सकते। वहां अधिक शरणार्थियों के लिये स्थान ही नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

वहां बन्दों के निर्माण के बाद भी रहन-सहन की परिस्थिति बड़ी कठिन ही है। यह तो १९५२ में ही स्पष्ट दिखने लगा था कि कृष्यकरण की योजनाओं के बिना, शरणार्थियों का पुनर्वास सम्भव नहीं है। इसीलिये कृष्यकरण की योजनायें आरम्भ की गई थीं। सोनारपुर और बागजोगला आदि जैसे पानी में डूबे रहने वाले दलदली क्षेत्रों पर, काफ़ी राशि व्यय की गई थी। हमने ही शरणार्थियों को उन क्षेत्रों में बसाया था। लेकिन हमने स्थानीय जनता से भी कहा था कि वह भूमि उनकी थी। इसीलिये दोनों में कटुता बढ़ने लगी, टकराव होने लगे।

राज्य सरकार ने यह प्रबन्ध किया था कि स्थानीय जनता में से जिस भी व्यक्ति के पास छैः बीघा जमीन भी न हो उसे भी उस योजना में शामिल कर लिया जाये। लेकिन उससे कटुता कम नहीं हुई। भूमिहीन श्रमिकों की अधिकता होने के कारण, वहां शरणार्थियों और स्थानीय जनता में कटुता बढ़ती ही जाती है।

बांकुरा में भी अभाव की हालत बनी ही रहती है।

इसीलिये, मैं कहती हूं कि आने वाले शरणार्थियों को बसाने के लिये पर्याप्त भूमि नहीं है। और यदि अगले पांच वर्षों तक भी इसी प्रकार शरणार्थी आते रहे, तो पश्चिमी बंगाल में तिल धरने की भी जगह नहीं रह जायेगी।

कुछ लोगों का खयाल है कि पश्चिमी बंगाल के पूर्वी प्रदेशों में पुनर्वास पर बहुत अधिक व्यय किया गया है। मेरे पास जो आंकड़े हैं उनके अनुसार पश्चिमी बंगाल में २.२ लाख शरणार्थियों पर ३८ करोड़ रुपये, अर्थात् ८०० रुपये प्रति परिवार व्यय किये गये हैं। यह रुपया कैसे खर्च हुआ है इसका अन्दाज़ा आप मंत्रालय के आंकड़ों से नहीं कर सकते। यह राशि संविहित सीमा में से बहुत कम है। सांख्यकीय ब्यूरो के 'सांख्यकीय सर्वेक्षण प्रतिवेदन' में वर्ष १९५५ के मध्य काल तक का सर्वेक्षण किया गया है। उससे कई बातों का खुलासा होता है।

प्रतिवेदन के पृष्ठ ४, कंडिका ४ (१) में लिखा है कि जिन प्रवासियों का पाकिस्तान में कब्जा था उनकी संख्या ५,५९,००० थी। उसी प्रतिवेदन के पृष्ठ ६ में लिखा है कि ४१.८ प्रतिशत प्रवासी ५० रुपये तक कमाते हैं और १३.४ प्रतिशत लोग १०० रुपये तक कमाते हैं— शेष लोगों की आय ५० से भी कम की है। यह बात ठीक है कि वहां के लोगों की आय इतनी ही है—उन्हें ठीक ढंग से बसाया नहीं गया है।

प्रतिवेदन के पृष्ठ ३६ पर बताया गया है कि मकान बनाने की सहायता २,८१,००० लोगों को दी गई—कुछ लोगों ने स्वतः, मकान बनाने अर्थात् २७ लाख लोगों में से लगभग २१ लाख लोगों के पास मकान हैं। प्रतिवेदन में मकानों के बारे में सभी प्रकार की जानकारी दी गई है। मैं यह बात भी नहीं समझती कि रुपया बर्बाद कैसे हुआ।

पश्चिमी बंगाल सरकार ने १३ करोड़ रुपये शिक्षा, चिकित्सा सुविधाओं के लिये दे दिये गय हैं। शिक्षा सम्बन्धी सांख्यकी सर्वेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार विस्थापित व्यक्तियों के बच्चे अधिक संख्या में शिक्षा प्राप्त करते हैं।

**[श्री मोहम्मद इमाम पीठासीन हुए]**

प्रतिवेदन के पृष्ठ ३७ पर लिखा है कि पश्चिमी बंगाल की सरकार पर इस समस्या से पर्याप्त भार पड़ा है। प्रवासियों के कारण बेकारी में वृद्धि हुई है जिससे १०८ करोड़ रुपये की हानि हो गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती रेणुका राय]

क्योंकि प्रवासी रोजगार की तलाश हताश होकर करते हैं इस कारण उस राज्य की प्रति व्यक्ति आय घट गई है।

उस समय के ३३.४५ करोड़ रुपये के समस्त व्यय में से १९.३५ करोड़ रुपये मकान बनाने के लिये दिये गये थे—आज तक कुल व्यय ३३.६० करोड़ रुपये का हो चुका है।

इस समय यह तो असम्भव है कि मैं यहां सारा प्रतिवेदन पढ़ूं—मैं चाहती हूं कि इसकी प्रतियां संसद् सदस्यों में बांटी जायें। उससे प्रकट होगा कि पुनर्वास के लिये अपर्याप्त रकम दी जा रही है।

लोग वहां ५० रुपये प्रति मास भी इसी कारण कमा पा रहे हैं क्योंकि सरकार ने जहां भी सम्भव हुआ विस्थापितों को पहले नौकरी दी। १९५४ में पश्चिमी बंगाल वालों को कहीं भी नौकरी नहीं मिलती थी—इसलिये स्थानीय जनता के लिये भी कार्यवाही करनी पड़ी।

यह बात गलत है कि पश्चिमी बंगाल वाले विस्थापितों से सहानुभूति नहीं रखते। किन्तु कटु सत्यों का सामना तो करना ही पड़ता है। आज पश्चिमी बंगाल की आर्थिक व्यवस्था दबी हुई है।

माननीय सदस्य ने उत्तर-बंगाल के बारे में कहा—यदि वह वहां जाकर स्थिति देखें तो स्वयं ही समझ जायेंगे। कूच बिहार में हजारों प्रवासी बिना प्रमाण पत्रों के चले आ रहे हैं।

१९५२ में राज्य सरकार ने कहा था कि जमीन को खेती योग्य बनाने की बड़ी बड़ी योजनायें आरम्भ की जायेंगी। किन्तु जब १९५४ में विस्थापित व्यक्ति धड़ाधड़ आने आरम्भ हुए तब वहां की सरकार ने यह निर्णय किया कि उन्हें कैम्प में रखा जाये। किन्तु यह तरीका भी न चल सका क्योंकि विस्थापित अत्यधिक संख्या में आये।

इन लोगों पर जो कैम्पों में थे यह कहा जा सकता है जो व्यय हुआ वह लाभदायक नहीं था। वैसे केन्द्रीय पुनर्वास मंत्री ही अकेले इस समस्या का हल नहीं कर सकते—इस कार्य में दूसरे राज्यों की सहायता की भी आवश्यकता है।

दण्डकारण्य योजना के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है। इस योजना में देर लगेगी—इस कारण दूसरी योजनायें भी चाहियें। मैं चाहता हूं कि दिल्ली के निकट भी पूर्वी बंगाल के विस्थापितों के बारे में कोई योजना बनाई जाये। इस प्रकार लोग उन विस्थापितों को ठीक तरह समझेंगे।

पूर्वी बंगाल के विस्थापितों के अपनाने के स्वभाव के बारे में गलत धारणायें ैली हुई हैं। पश्चिमी बंगाल में २२ लाख विस्थापितों को ऋण दिये जा चुके हैं और ४१ प्रतिशत लोग वहां बस चुके हैं। जिन लोगों ने पाकिस्तान में कुछ न कमाया था वह अब गुजारे लायक कमा रहे हैं।

पूर्वी पंजाब में तो जमीन थी जो किसानों को दे दी गई, किन्तु बंगाल में ज्यादा जमीन नहीं थी जिस पर सभी को बसाया जाता।

जो लोग पहले आये उन्हें बसा दिया गया। किन्तु पिछली बाढ़ में उन्हें फिर हानि हुई। लेकिन वह मेहनत से फिर बस गये।

इसी कारण मैंने यह सुझाव दिया था कि दिल्ली के निकट उन्हें बसाने की कोई योजना बनाई जाय। इससे जनता उनको समझेगी और जो गलत धारणायें उनके बारे में हैं वह दूर हो जायेंगी।

इस समस्या का हल केन्द्रीय पुनर्वास मंत्रालय नहीं कर सकता। पाकिस्तान अल्प संख्यक जनता को बलपूवक वहां से निकाले जा रहा है। काश्मीर तथा नहरी पानी के झगड़ों का शोर मचाता है किन्तु इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा जाता कि वहां पूर्वी बंगाल में अल्पसंख्यक जातियों के साथ न्याय व्यवहार हो रहा है।

वहां पर सरकार को योजनाबद्ध तरीके पर पुनर्वास का काम करना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करती हूं।

**श्री राधा रमण** (चांदनी चौक) : सभापति महोदय, मैं पुनर्वास मंत्रालय के सम्बन्ध में चन्द एक बातें इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। मुझे अपने पुनर्वास मंत्री महोदय से बड़ी हमदर्दी है क्योंकि जब से पुनर्निवास का काम उनके ज़िम्मे पड़ा है, बहुत सारी बातें जो शुरू शुरू में शरणार्थियों या पुरुषार्थियों के लिए की जा रही थीं, वे करीब करीब बन्द कर दी गई हैं। आगे के लिए भी पुनर्वास मंत्रालय की जो पालिसी है वह अधिकतर यही है कि पुनर्वास के काम को जहां तक हो सके समेटा जाए। यह मंत्रालय अब इस कोशिश में है कि उन शरणार्थियों को जिन्हें कि मुआवज़ा देना है या जिन्हें इसे बसाना है उसको जल्दी से जल्दी किया जाए और इस कार्य को समाप्त किया जाये। लेकिन फिर भी मैं यह अपना कर्तव्य समझता हूं कि उन बातों का यहां पर ज़िक्र करूं जिनका सम्बन्ध दिल्ली के आसपास बसे हुए शरणार्थी भाइयों से है।

सबसे बड़ी बात जो इस मंत्रालय से सम्बन्धित है वह आसपास के इलाकों में बसे हुए शरणार्थियों की जरूरियात जिन्दगी है। आज हिन्दुस्तान का विभाजन हुए करीब दस बरस हो गए हैं और यहां दिल्ली के आसपास शरणार्थियों के लिए काफी टाउनशिप बने हैं, काफी कालोनीज़ बनी हैं और वहां हज़ारों की तादाद में इन आदमियों को आबाद किया गया है। जिन इलाकों में इन लोगों को बसाया गया है, उनके बारे में मुझे बड़े दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि जिन तकलीफों की ओर यहां पर बार बार इस मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया जाता है, उनको दूर करने की ओर जो इस मंत्रालय के कदम बढ़ते हैं वे बहुत हल्के बढ़ते हैं। मेरा इशारा इस ओर है कि शरणार्थियों को बसाने के लिए हमने जिस वक्त इन कालोनीज़ को बनाया था उस वक्त हमने पूरे तौर पर नहीं सोचा था कि आया इतने लोग जो आबाद होंगे उन्हें वहाँ किन किन चीज़ों की जरूरत होगी और आया वे यहां पर मुहैया भी हो सकेंगी या नहीं। हमने इन कालोनीज़ को जल्दी में बनाया और इन लोगों को इन कालोनीज़ में जल्दी में बसाया। इन कालोनीज़ को बने आज करीब पांच छः साल हो चुके हैं और हर साल यह सवाल हमारे सामने आता है कि आया वहां पर बिजली का, पानी का, सड़कों का और मदरसों इत्यादि का या डिसपैंसरीज़ का पूरा पूरा इन्तिज़ाम है या नहीं और हर बार यह कहा जाता है कि इस ओर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी आज कई ऐसी कालोनीज़ हैं जो कि अंधेरे में पड़ी हुई हैं या जिन में वह समान जिन्दगी नहीं है कि जो कम से कम एक इंसान के लिए जरूरी होते हैं। बार बार इस ओर हम अपने मंत्री महोदय का और इस मंत्रालय का ध्यान दिलाते हैं लेकिन जिस रफ्तार से यह चीज़ हो रही है वह बहुत ही सुस्त रफ्तार है और इस रफ्तार को तेज करने की जरूरत है। कुछ इलाके ऐसे हैं जोकि शहर से बहुत दूर हैं और एक बहुत जरूरी चीज़ जो कि वहां पर बसने वालों के सामने आती है वह आने जाने की होती है। हालांकि डी० टी० एस० ने कुछ इन्तिज़ाम किया है और सरकार ने भी ऐसी कालोनीज़ में रेल चलाने का बन्दोबस्त किया है लेकिन ये बिल्कुल काफी नहीं है और शरणार्थियों को और खास तौर से उनको जिनके कि बच्चे पढ़ने जाते हैं या जिन को रोज़ शहर आना जाना होता है, बहुत तकलीफ आने जाने में होती है। आने जाने की तकलीफ को तो आप छोड़ दीजिये। इसके अलावा भी मैंने देखा है कि कई इलाकों में अच्छा पीने का पानी भी नहीं मिलता है। हालांकि बार बार इसकी तरफ तवज्जह दिलाई जाती है और यह कहा भी जाता है कि इसका इंतिज़ाम

[श्री राधा रमण]

हो रहा है लेकिन होता नहीं है। कई कई इलाकों में तो बिजली भी नहीं है और कुछ इलाके ऐसे भी हैं कि जिन के अन्दर गन्द पड़ा रहता है और इस गन्द को उठवाने का और फिकवाने का कोई बन्दोबस्त नहीं है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर कि किसी भी म्युनिसिपल कमेटी द्वारा कोई इन्तज़ाम नहीं किया गया है और न कोई म्युनिसिपल कमेटी इसको अपने जिम्मे लेने को ही तैयार है। सरकार ने इन इलाकों के बारे में इंटेरिम अरेंजमेंट किया हुआ है जो कि बिल्कुल नाकाफी है और उसका इंतिज़ाम जब तक पूरे तौर पर नहीं होगा या उस तरीके पर नहीं होगा कि जिस तरीके पर एक म्युनिसिपल कमेटी करती है, लोगों की तकलीफें दूर नहीं हो सकेंगी। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें। इस पर सरकार को गौर करते करते काफी अर्सा गुज़र चुका है और यह इतना अर्सा है कि जिस अर्से में बड़े बड़े शहर आबाद हो जाते हैं। ये कालोनीज़ जो इतने सालों से आबाद हैं और सरकार ने लोगों को जगह जगह से निकाल कर पांच पांच और सात सात मील दूर आबाद किया है लेकिन उनके लिए उन जरूरियात का जो एक इंसान के लिए पहली जरूरियात होती हैं अभी तक पूरा बन्दोबस्त नहीं किया है। मंत्री महोदय की ओर से हमेशा ही यह कहा जाता है कि जहां तक रुपये पैसे का ताल्लुक है हमारे पास इसकी कोई कमी नहीं है। जब ऐसी बात है तो समझ में नहीं आता है कि इन सहूलियात को मुहैया करने में इतनी देरी क्यों की जा रही है। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वह इस ओर ध्यान दें।

अब मैं चन्द बातें शहरी इलाकों के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूं। आज से तकरीबन दस बरस पहले हिन्दुस्तान का बटवारा हुआ था और उस वक्त हज़ारों मकान दिल्ली के अन्दर ऐसे थे जो कि मसमार कर दिये गये थे आपसी झगड़ों की वजह से और उनमें जो लोग रहते थे वे इधर उधर भाग गए थे। उन मसमार मकानों के अन्दर अब भी कुछ लोग पड़े हुए हैं और उनकी हालत इतनी दर्दनाक है, इतनी खराब है कि उसे देख कर हैरानी होती है और समझ में नहीं आता है कि सरकार उनकी तरफ क्यों ध्यान नहीं देती है। ऐसे हज़ारों मकान हैं कि जिनको मसमार कर दिया गया है और उनमें से बू उठती है, पेशाब, पाखाना वहां किया जाता है, उनमें से गन्द उठता है और इनके आसपास लोग रहते हैं। इनकी जो हालत होती होगी उसका आप सहज ही अन्दाज़ा लगा सकते हैं। इन मिसमार मकानों को न बेचा जाता है और न ही इनको किसी के हवाले किया जाता है। आप इस बात को जानते ही हैं कि शहरों के अन्दर आबादी की क्या हालत है। हज़ारों लोगों को मकान नहीं मिल पा रहे हैं और उनको शाहदरा, गाज़ियाबाद इत्यादि में जाकर रहना पड़ रहा है। इन लोगों को आने जाने में जितनी तकलीफ उठानी पड़ती है, उससे आप परिचित ही हैं। अगर इन तमाम मकानों को सरकार किसी तरह से किसी एक कारपोरेशन के हवाले कर दे या कोई और ऐसी स्कीम निकाले कि इन तमाम मकानों को फिर से बना दिया जाए और उन लोगों को जो कि तकलीफ पा रहे हैं चाहे वे शरणार्थी हों या उसी इलाके के रहने वाले हों, उनको दे दिया जाए तो ये मकान बहुत सारे लोगों की जरूरत पूरी कर सकते हैं कितने ही सालों से वे इसी हालत में पड़े हुए हैं। वे खंडहर हो गए हैं। बोसीदा हो गए हैं। लोग इनमें नहीं रह सकते हैं। कोई ज़माना था कि लोग जब भाग कर आये थे तो वे इनमें बस गए थे। आज उनकी हालत यह है कि किसी की छत नहीं है, किसी की छत टूटी हुई है, किसी की दीवार टूटी हुई है और जो लोग इन में रह रहे हैं वे एक प्रकार का खतरा मोल लेकर रह रहे हैं। इनको सरकार बेचती है और बेचे जाने पर जब कोई इनको खरीद लेता है और जिस रोज़ वह खरीदता है, उसी रोज़ से वह उन आदमियों को जो उनमें रहते हैं निकालने की कोशिश करने लग जाता है। जो खरीदता है वह भी अपने आपको मुसीबत में डालता है और जो रहता है वह भी अपने आप को मुसीबत में पाता है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस ओर तवज्जह दे। हज़ारों मकान ऐसे हैं जो बोसीदा हालत में हैं। मैं मंत्री महोदय की खास तौर पर तवज्जह उन मकानों की ओर दिलाना चाहता हूं जो कि मुहल्ला करोड़ और बंदूक वाली गली में हैं। ये दिल्ली गेट और अजमेरी गेट स्कीम से लगते हैं। सभी मकान ऐसे हैं कि जो इवैक्वी

प्रापर्टी में आते हैं और इन सबका आपके मंत्रालय से वास्ता है। अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि इन मकानात में जो लोग रहते हैं वे बड़ी मुसीबत में हैं और हर साल इन मकानों में से दो तीन मकान गिर भी जाते हैं। अगर हम कस्टोडियन के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि इन मकानों की रिपेयर करायें तो उसके लिए वह तैयार नहीं होते हैं और कहते हैं कि वे इनको बेचने की फिक्र में हैं। बेच करके भी क्या हालत होगी ? मैं यह कह सकता हूं कि जो लोग इनको खरीदेंगे वे भी मुसीबत में पड़ेंगे और जो लोग उन मकानात में रह रहे हैं वे आज भी मुसीबत में हैं और आयन्दा भी उन मकानात के बिकने के बाद भी मुसीबत में रहेंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों नहीं एक स्कीम पुनर्वास मंत्रालय निकालता जिस के कि मातहत उन गलियों के तमाम मकानात को एक सिरे से ढाकर दुबारा नये सिरे से तामीर किया जाय और उन लोगों को दिये जायं जो कि उनमें बसे हुए हैं, फर्स्ट प्रिफरेंस उनको दिया जाय, लेकिन अगर उनका आलटरनेट अरेंजमेंट हो गया है और वह वहीं पर रहना चाहते हैं तो दूसरे व्यक्तियों को ऐलाट कर दिये जायं। ऐसा होने से जो रात दिन उन मकानों में रहने वालों को खतरा बना रहता है वह दूर हो जायेगा। मैंने मंत्री महोदय का ध्यान कई बार इस ओर दिलाया है और मैं समझता हूं कि इसकी तरफ तवज्जह दी जानी बहुत ज़रूरी है और इसका एक इलाज यह हो सकता है कि उन इलाकों के मकानों को पुनर्वास मंत्रालय से हाउसिंग मिनिस्ट्री खरीद ले और खरीदने के बाद उनको मिसमार करके दूसरे मकानात स्लम क्लिएरेंस के नाम पर बना दे और जो लोग पुराने उन मकानात में रहते हैं उनको फर्स्ट प्रिफरेंस देकर दुबारा बसाना चाहिए और अगर वे न रहना चाहें तब दूसरे लोगों को वे मकानात दिये जायं। उन वोशीदा मकानात में से उन लोगों को निकाल कर कहीं ऐसी कालोनीज़ में भेज दें जहां वे आराम से रह सकते हों ताकि उनकी दिक्कतें खत्म हों और जो जान माल का खतरा आये दिन बना रहता है वह दूर हो। पिछले साल भी उन्हीं इलाक़ों के अन्दर एक मकान गिरा था और उसमें एक बच्चा मर गया था और कई आदमियों को चोटें आई थीं। वहां से कुछ लोगों को निकाला गया और कुछ को बाक़ी छोड़ दिया गया। वहां कई और मकान गिरे हैं, यह तो खैर हुई कि उन मकानों के गिरने से कोई आदमी नहीं मरा लेकिन रात दिन का यह खतरा तो बना हुआ है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय ऐसे बोशीदा मकानात की तरफ़ खास तौर से तवज्जह दें। मैं समझता हूं कि उन मकानों को दूसरे आदमियों को बेच करके यह मसला हल नहीं हो सकता है बल्कि उससे दिक्कत और बढ़ती है। इससे बेहतर यह है कि उन तमाम मकानात को हाउसिंग मिनिस्ट्री के हवाले कर दिया जाय और उनसे यह कहा जाय कि जितना रुपया पुनर्वास मंत्रालय को देना हो वह मंत्रालय दे दे और उनको अपने क़ाबू में करके उनको मिसमार करके जो लोग वहां रहते हैं उनको कहीं टेम्परेरी तौर पर शिफ्ट करके या परमानेंट तौर पर दूसरी जगहें देकर उन तमाम इलाकों को साफ़ करके नये सिरे से मकानात तामीर करायें और यह जो दिल्ली शहर के अन्दर लोगों के रहने की तंगी है, उसको किसी हद तक दूर करें।

मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह देखा गया है कि पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बीच में कुछ समझौता उन बैंकों के मुताल्लिक़ था जो कि डिस्प्लेस्ड बैंक हैं। पाकिस्तान से समझौता होने पर बहुत सारा रुपया हमारे पुनर्वास मंत्रालय ने पाकिस्तान से वसूल किया और उस वसूल की हुई रक़म को डिस्प्लेस्ड बैंक्स को देने में देर लग रही है जिसकी कि वजह से उन बैंकों के जो ग्राहक हैं और जिनका कि रुपया उनमें जमा था उनको उन बैंकों से रुपया मिलने में आज बेहद दिक्कत हो रही है। सभापति महोदय, आप जानते हैं कि जिस वक्त हमारे यह पुरुषार्थी भाई पाकिस्तान से हिन्दुस्तान में आये तो बहुत सारा रुपया अपना उन बैंकों में छोड़ आये थे, जायदाद और अपनी प्रापरटी तो सब गंवा कर आये थे ही और यहां आने पर और पास में रुपया न होने से उनकी हालत बहुत खस्ता थी ही और यह आप बखूबी समझ सकते हैं कि जब किसी का बैंक में रुपया जमा हो और वह रुपया पाकिस्तान से मिल जाय और मिलने के बाद अगर रुपया मिलने में दिक्कत हो और देर लगे तो उसको कितनी तकलीफ

[श्री राधा रमण]

होगी। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस ओर तवज्जह दें और जबकि उनको पाकिस्तान से रुपया वसूल हो गया है तो लोगों को उन डिस्प्लेस्ड बैंकों से रुपया मिलने में देरी न होनी चाहिए। मेरे पास बहुत काफ़ी लोग इस क़िस्म के आये हैं जिन्होंने यह कहा है कि हमारा रुपया डिस्प्लेस्ड बैंकों में जमा था और हुकूमत हिन्द को पाकिस्तान से इस सिलसिले में कुछ रुपया वसूल हो गया है, लेकिन उनको उसके मिलने में देर लग रही है और आनाकानी की जा रही है। मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

अभी हमारी एक मोहतरमा बहन ने बतलाया कि पुनर्वास मंत्रालय ने कुछ मार्केट्स के बारे में यह फ़ैसला किया है कि उनको बेचा न जाय। यह कहा जाता है कि उन मार्केट्स की ज़मीनें खास वजह से हमको नहीं मिल सकतीं, इसलिए हम उनको नहीं बेच सकते। मैं समझता हूं कि इस सिलसिले में गवर्नमेंट की एक कौंसिसटेंट पालिसी होनी चाहिए। कहीं पर किसी मार्केट की दुकानें एलौटीज़ को बेच दी जाती हैं और यह जो भिन्न भिन्न मार्केटों में भिन्न भिन्न ढंग अपनाया जाता है, यह मेरी समझ में काफ़ी असन्तोष उन लोगों में पैदा करता है। उचित यह होगा कि हम तमाम मार्केटों के बारे में एक ही पालिसी रक्खें और उसी पर अमल किया जाये और इस तरह मैं समझता हूं कि आज हमारे बहुत से पुरुषार्थी भाइयों के दिलों में जो एक असन्तोष की भावना पाई जाती है वह दूर हो सकती है।

मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि आज बहुत सारी छोटी छोटी कौलोनीज़ में जो पुरुषार्थी बसे हुए हैं, जैसे लाल क़िले के आस पास और उससे आगे चल कर जमना बाज़ार में, हालांकि उनको अभी तक वहां से हटाया नहीं गया है लेकिन रात दिन उनको नोटिस आते रहते हैं। कभी डिमौलिशन स्कैण्ड जाकर उनकी हट्टियों को गिरा भी देता है और इस तरह वह उस से भी महरूम हो जाते हैं। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें और जितने भी पुरुषार्थी भाई हमारे बसे हुए हैं उनको इस तरह की दिक्क़त पेश न आये क्योंकि एक ओर तो वह शायद नई पालिसी के मातहत नये एलाटमेंट नहीं कर रहे हैं और दूसरी ओर उनको इस तरह से तंग किया जाय और ऐसा करना मैं समझता हूं इंसानियत के साथ खेलना होगा अगर उन लोगों को आराम की ज़िन्दगी न दी जाय तो कम से कम जिन्दगी उन्हें मयस्सर है वह उन्हें मिली रहे। मैं खास तौर पर उन इलाक़ों की बाबत मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं जो कि रेडफोर्ट के आसपास हैं और जहां के बाशिंदों को रेडफोर्ट नोटिफाइ एरिया कमेटी की तरफ से नोटिस आते हैं और जिसकी वजह से वहां के रहने वालों को बहुत दिक्क़त का सामना करना पड़ता है।

एक चीज़ मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट की पालिसी के मातहत मैं यह देखता हूं कि हज़ारों मकानों को आप आहिस्ता आहिस्ता नीलाम कर रहे हैं.....

**श्री मेहरचन्द खन्ना** : वे सैकड़ों भी नहीं हैं और आप हज़ारों का जिक्र करते हैं।

**श्री राधा रमण** : जो आप नीलाम कर चुके हैं या जो नीलाम करने बाक़ी हैं, मैं उनका ज़िक्र कर रहा हूं। उन नीलामकर्दा मकानों को जिनको कि नीलाम करना है, उनके अन्दर काफ़ी तादाद में मेरा अन्दाज़ा है कि क़रीब क़रीब १ लाख आदमी बसते हैं और उनमें काफ़ी तादाद हमारी माइनारिटी की है जो मुसलमान लोग वहां पर आबाद हैं, मैं यह देख रहा हूं कि जो मकान बिके हैं और हालांकि २ साल का प्रोटेक्शन उनको मिला है लेकिन वह दो साल होने नहीं पाते और उन मकानों के खरीदे जाने के फ़ौरन बाद ही उन माइनारिटी के लोगों को उन मकानों से निकालने के तरह तरह के तरीक इस्तेमाल किये जा रहे हैं .....

**श्री मेहर चन्द खन्ना :** आप कोई मिसाल दे सकते हैं ?

**श्री राधा रमण :** जी हां, मैं दे सकता हूं। फर्राशखाने और बल्लीमारान में कुछ मकान ऐसे बिके हैं कि जिन मकानों के वाशिन्दों को रात दिन तंग किया जाता है, कभी नोटिस दिया जाता है, कभी कुछ हिस्सा उनका ले लिया जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको स्क्वीज़ किया जाता है और मैं ऐसे केसेज़ की फ़ेहरिस्त भी मंत्री महोदय को दे सकता हूं। इस बात की सख्त ज़रूरत ह कि सरकार इस चीज़ को देखे कि अगर दो साल के प्रोटेक्शन के बाद भी ६० हजार आदमी एक दफ़ा में एफेक्टेड होते हैं और उनको मकानों से निकाला जाना आपके क़ानून के मुताबिक़ होता है तो वह कौनसी दिल्ली है जो ६० हज़ार आदमियों को आबाद कर सकेगी और उन लोगों की जगह मुहैय्या कर सकेगी। अगर आप आज इस मसले पर और नहीं करेंगे तो कल आपको और ज्यादा दिक्कत उठानी पड़ेगी। मैं तो समझता हूं कि मकान आप बेचना चाहते हैं या बेच चुके हैं उन मकानों को अगर गवर्नमेंट ले लेती और उन्हीं मकानों से किराया वसूल करती या उन्हीं पुराने किरायेदारों को ऐलाट कर देती और उनको मुनासिब कीमत लेकर बेच देती तो इस तरह का इन्तशार और इस तरह की गड़बड़ शहर के अन्दर पैदा होने के इमकान न रहते। आज मैं देखता हूं कि उसके कारण लोगों के अन्दर बहुत काफ़ी हैज़ान पैदा हो रहा है और इसका नतीजा मुझे यह नज़र आता है कि वह दिन बहुत जल्द आने वाला है जब आप देखेंगे कि बहुत से लोगों को काफ़ी परेशानी और दिक्क़त का सामना करना पड़ेगा और उसकी वजह से आपको भी काफ़ी परेशानी होगी।

मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने चन्द एक बातें जो दिल्ली के सिलसिले में हाउस के सामने रक्खी है, उन बातों पर मंत्री महोदय ध्यान देंगे और ख़ास तौर से यह जो कौलोनीज़ में एमेनेटीज़ प्रोवाइड करने का सवाल है, उसके देने में काफ़ी देर लग रही है, जैसे पानी, बिजली और सड़कों का बनाना, ताकि जो लोग यहां से वहां भेजे गये हैं और इस उम्मीद से भेजे गये हैं कि नई जगह पर उनकी जिन्दगी खुशहाल होगी, वह पूरी हो सके ताकि हमें यह कहने का मौक़ा मिल सके कि इस मंत्रालय ने जिस जगह से उठा कर उनको दूसरी जगह पर भेजा, तो दूसरी जगह पहली जगह से बहतर है।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** श्रीमान्, मैं प्रार्थना करता हूं कि माननीय सदस्य जो अभी बोले हैं इस सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी दें। उन्होंने शिकायत की कि अभी बल्लीमारान तथा फर्राश-खाना में कुछ मकानों की नीलामी हुई। सामान्य संरक्षण के अतिरिक्त २ वर्ष का विशेष संरक्षण भी दिया गया है ताकि किराये दार निकाले न जा सकें। मैं आपको धन्यवाद दूंगा यदि आप उन से कहेंगे कि वह उन मकानों का पता दें। मैं उनकी जांच कराऊंगा।

†**श्री राधा रमण :** मैं ने यह कहा है कि दो वर्ष से पहले ही लोगों को निकाला जा रहा है। मैं ऐसे लोगों के नामों की सूची देने को तैयार हूँ।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** उसका मतलब वही है। इस सभा द्वारा बनाये गये कानून तथा मुआवजे नियमों के अधीन आदि कोई किरायेदार किराया देता रहा है, तो उसे कानून का विशेष संरक्षण मिलता है। अर्थात दो वर्ष के लिये उसे संरक्षण मिलता है। उसके बाद संरक्षण सामान्य कानून के अधीन रहता ही है। मैं प्रार्थना करता हूं कि माननीय सदस्य उन लोगों के नाम ही भेज जिन्हें नोटिस दे दिया गया है। मैं इस की जांच कराऊंगा। यह एक बहुत बड़ा आरोप है।

†**सभापति महोदय :** मुझे आशा है कि श्री राधा रमण आवश्यक जानकारी माननीय मंत्री को देंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री घोषाल (उलूबेरिया) : श्रीमान्, देश के बंटबारे के बाद विस्थापितों की समस्या आरंभ हुई । पश्चिमी क्षेत्र में तो यह समस्या हल हो गई–किन्तु पूर्वी क्षेत्र में गंभीर हो गई । आज बंगाल की हालत बहुत खराब है । लाखों रुपये का व्यय हुआ है–किन्तु वास्तव में विस्थापितों के हाथों आधा रुपया ही पहुंचा है ।

अभी अभी एक पुनर्वास मंत्री जिसे बंगाली सभी खराबियों का जिम्मेदार कहते हैं बोले और उन्होंने सरकारी नीति का समर्थन किया । साधारण लोग यही समझते हैं कि इस विभाग ने ही सारी खराबी की है ।

पूर्वी बंगाल के विस्थापितों की शोकातुर स्थिति को वर्णन करना इस समय लाभदायक नहीं है । यह लोग स्टेशनों के प्लेटफार्मों तथा सड़कों पर पड़े हुए हैं। इनकी हालत का वर्णन नहीं किया जा सकता है । सरकार ने इनकी ओर ध्यान नहीं दिया ।

वास्तविक समस्या यह है कि कैम्पों में पड़े हुए विस्थापितों की हालत बिगड़ती जा रही है । समस्या यह है कि इन कैम्पों को कैसे समाप्त किया जाये । लगभग सभी कैम्पों में बराबर की सी खराब हालत है । वेतिया आदि कैम्पों के बारे में न कहना ही उचित है । एक कैम्प के व्यापारी विस्थापितों को कहा गया था कि वह अपनी छोटी मोटी दुकाने खोल सकेंगे । उन्हें ऋण दिये गये किन्तु दुकानें चार वर्ष के बाद तैयार हुईं तब तक वह रकम व्यय हो चुकी थी ।

इसी कारण ये विस्थापित लोग कैम्पों से निकल कर पश्चिमी बंगाल जा रहे हैं वहां भी ये लोग कैम्पों में रहना नहीं चाहते ।

कैम्पों के उत्सादन के बारे में मैं सुझाव देना चाहता हूँ । पहले तो इस विभाग का दोहरा नियंत्रण समाप्त किया जाये । कुछ बातें राज्य सरकार के अधीन हैं और कुछ केन्द्रीय सरकार के । यह सब व्यर्थ की बात है । इस काम की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार को अपने ऊपर ले लेनी चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि उन लोगों के व्यवसायों की जांच दोबारा कराई जाये । आते समय सभी लोगों ने अपने आप को व्यापारी लिखाया था–क्योंकि उस समय व्यापारियों को नकद ऋणादि मिलता था । वास्तव में उन में बहुत से लोग कृषक हैं ।

तीसरा सुझाव यह है कि पुनर्वास योजना को व्यापक बनाया जाये ।

चौथे पूर्वी बंगाल के विस्थापितों को दूर न बसाया जाये–बल्कि पश्चिमी बंगाल के साथ लगने वाले राज्यों में ही इन्हें बसाया जाये ।

मैं भूमि के कृष्यकरण की योजना का भी समर्थन करता हूँ ।

इन लोगों को बसान के लिये नये उद्योग खोले जायें । वर्तमान कारखानों में भी इन लोगों को खपाया जाये । मेरे निर्वाचनक्षेत्र में ही ९ पटसन के नथा तीन कपास के कारखान हैं वहां ४०,००० लोग काम करत हैं–यहां भी विस्थापितों को स्थान दिया जा सकता ह । मने यह सुझाव भी दिया था किन्तु सरकार न इस ओर ध्यान ही नहीं दिया । वहां कारखानों में पास के राज्यों के लोग रख जात हैं । मैं यह कह रहा हूं कि बजाय इसके कि इन विस्थापितों का बोझ पड़ौसी राज्यों पर डालें– हमें चाहिय कि इन्हीं कारखानों में जगह दें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दूसरा तरीका यह है कि नये कारखाने लगाये जायें । प्रतिवेदन से पता चलता है कि सरकार कुछ कारखानों को विस्तार करने की आज्ञा देती है यदि वह कुछ निश्चित विस्थापित व्यक्तियों को अपने यहां नौकरी दे । हमारे यहां दासनगर के भारती काटन मिल के मालिक श्री भलामोहन दास जो जो कि श्रम अधिनियमों के अधीन दोषी रह चुके हैं ने सरकार से इसी बात पर कर्जे लिये हैं किन्तु ६०० में से केवल ८३ लोगों को ही नौकर रखा है । हम जानते हैं कि कुछ समय बाद इन्हें भी निकाल दिया जायेगा । मेरा सुझाव यह है कि इस प्रकार कारखानेदारों की सहायता करने की बजाये सरकार को स्वतः नये कारखाने लगाने चाहिये ।

अब दामोदर घाटी निगम की बिजली हावड़ा तक पहुंच गयी है— इस बिजली का पूरा फायदा नहीं उठाया जा रहा है । इससे कुटीर उद्योग चालू किये जा सकते हैं ।

सरकार अब औद्योगिक सम्पदायें स्थापित कर रही हैं । उसे चाहिये कि पहले वहां विस्थापितों को ही लिया जाये ताकि वह लोग अपना निर्वाह कर सकें ।

मैं यह भी कहूंगा कि मकान बनाने के लिये दिये जाने वाले ऋण बन्द कर दिये जायें । सरकार को यहां पंजाब वाला सिद्धान्त अपनाना चाहिये । मकान सरकार को खुद ही बनवाने चाहिये ।

यदि सरकार इन सुझावों पर ध्यान दे तो मैं समझता हूं कि विस्थापितों की शिकायतें बड़ी सीमा तक दूर हो जायेंगी ।

**लाला अचित राम (पटियाला)** : माननीय सभापति जी, मैं मंत्री जी को मुबारकबाद देता हूं इस बात के लिये कि उन्होंने पिछले बजट मौके के पर एक बात कही थी कि जो नुक्ता चीनी होगी उसको वह वेलकम करेंगे, और उन्होंने उस बात को खूब निभाया है । जब भी उनकी नुकता चीनी होती है वह हमेशा खन्दा पेशानी रहते हैं और जहां तक हो सकता है उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं, बजाए इस के कि उस पर नाराज हों । यह चीज उन से गैरमुतवक्को है क्योंकि आखिर वह पठान हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इस चीज को अच्छी तरह निभाया है ।

दूसरी चीज जो मैं समझ रहा हूं वह यह कि बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से अभी हमारे मंत्री पूरी तरह से कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बने हैं इस लिये उतने एफेक्टिव नहीं हो पाये हैं । अक्सर यह होता है कि कोलीग्ज भी उन की नुक्ता चीनी करते हैं । इस तरह का एक स्टेटमेंट (वक्तव्य) राज्य सभा में हुआ ।

तीसरी बात यह है कि हालांकि इस मामले में बहुत कुछ हुआ है लेकिन जितना चाहिये उतना रुपया नहीं दिया गया । यह खुशी की बात है इस काम में काफी रुपया लगाया गया है, लेकिन फिर भी रुपये की दिक्कत हुई है । जब तक दूसरे डिपार्टमेंट का खर्च कम न हो तब तक इस को रुपया ज्यादा नहीं मिल सकता । फिर दूसरे डिपार्टमेंट का कोआपरेशन भी बहुत जरूरी है । इन सब बातों के होते हुए ढाई वर्षों के अन्दर जो कार्रवाई हमारे मंत्री जी ने की है, मैं नहीं कहता कि उस पर नुक्ता चीनी नहीं करनी चाहिये लेकिन उस का रेकार्ड काफी अच्छा है । यह नहीं कहा जा सकता कि यह कोई ऐसी बात है जिस पर जिरह की जाए ।

इस के बाद मैं चन्द बातें रिहैबिलिटेशन के मसले पर कहूंगा । इस डिबेट का मकसद ही यह है कि कुछ ऐसी बातें हैं जिन की तरफ गवर्नमेंट की तवज्जह दिलाई जाए और लोगों को फायदा पहुंचाया जाय । सब से पहली बात तो यह है कि कोई ९० लाख आदमी रिफ्यूजी बन कर हिन्दुस्तान में आए हैं और उनकी तीन किस्में हैं । एक वह रिफ्यूजी हैं जो ईस्ट पाकिस्तान से आये हैं जिन की गिनती ४१ लाख के करीब है, दूसरे वह रिफ्यूजी हैं जो वेस्ट पाकिस्तान से आये हैं जिनकी गिनती ५० लाख के करीब है, और तीसरे रिफ्यूजी पाकिस्तान-हेल्ड टेरिटरीज से आये हैं, उन की गिनती

[लाला अचित राम]

करीब डेढ़ लाख के है । जो ४० लाख रिफूयूजी ईस्ट पाकिस्तान से आये हैं, उन में से कभी दो लाख आये, कभी चार लाख आये, कभी कुछ और आये । कुछ पता नहीं कि कब दस लाख आ जायें और कब पांच लाख आ जायें । वह बिल्कुल अनसटेर्न है । लेकिन साथ ही जो वेस्ट पाकिस्तान में पालिसी थी वही ईस्ट पाकिस्तान में भी है कि माइनारिटी कम्यूनिटी के लोगों को किसी तरह से स्क्वीज आउट किया जाये । यह चीज हमारे सामने है । लेकिन इन मुश्किलात के बावजूद भी उन को रिहैबिलिटेट करने के लिये स्कीमें बनाई गई और और भी तैयार की जा रही है । इस रिहैबिलिटेशन के मामले के अन्दर जो मेरे कम्यूनिस्ट भाई हैं, उन से मेरा एख्तलाफ बहुत कम रहा है, पिछले दस सालों के अन्दर । लेकिन आज पहली दफा मुझे उन से एख्तलाफ हो रहा है । यहां पर एक बात उठाई गई कि जो ईस्ट पाकिस्तान के रिफूयूजी हैं वह वेस्ट बंगाल से बाहर जाने के लिये तैयार हैं । यह बात बिल्कुल गलत है । मैं समझता हूं कि इस चीज को यहां पर पेश करना मुनासिब नहीं है । आखिर दंडाकारण्य की स्कीम क्यों बनाई गई, बिहार के अन्दर क्यों स्कीम बनाई गई, उड़ीसा के अन्दर क्यों बनाई गई ? यह बात मान ली गई है कि ईस्ट पाकिस्तान के रिफूयूजीज ऐसे हैं जो बाहर जा सकते हैं जाने के लिये तैयार हैं । तभी तो स्कीम बनाई । इस वास्ते मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को इस बात के लिये ऐक्यूज करना कि वह ईस्ट पाकिस्तान से आये हुए लोगों को मदद नहीं करना चाहती और इसी बिना पर वह अपनी स्कीमें तैयार करती है, मुनासिब नहीं है । हां, यह बात ठीक है कि जिस हद्द तक ईस्ट बंगाल के रिफूयूजियों को वेस्ट बंगाल में जगह मिल सके, वह देनी चाहिये । मैं कल यह सुन कर खुश हुआ कि एक भाई ने कहा कि मिदनापुर में और बर्दवान के अन्दर जगह खाली है। इस लिये गवर्नमेंट ने जो बड़ा भारी फैसला किया वह यह था कि प्रायरिटी कैटेगरीज बनाई जायें । जो भी प्रायोरिटी कैटेगरीज में आ जाये, उन को जगह मिलनी चाहिये। यह फैसला उस ने बहुत सोच समझ कर किया और में समझता हूं कि उस का असर भी हुआ । पाकिस्तान में कोई भी पालिसी अमल में आई हो, लेकिन गवर्नमेंट आफ इंडिया ने जो पालिसी इस मामले में बरती है उस का असर जरूर होगा । लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जिन बजूह पर गवर्नमेंट आफ इंडिया ने फैसला किया है, उन को जरा वजाहत के साथ लोगों के सामने पेश करना चाहिये । आज लोग समझ नहीं सके हैं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने क्यों यह पालिसी अपनाई । इस पालिसी को पूरा करना बहुत जरूरी है और कोई वजह नहीं है कि उस को क्यों न चलाया जाय । मैं समझता हूं कि जो यह पालिसी बनाई गई है वह बहुत ही समझ बूझ कर बनाई गई है और उस से फायदा भी हुआ है ।

इस के अलावा जो बड़ा भारी फैसला गवर्नमेंट आफ इंडिया ने किया वह यह था कि किसी को रिहैबिलिटेशन के राइट का बेनिफिट नहीं मिलेगा जो वेस्ट बंगाल में सैटिल होगा । मैं समझता हूं कि यह पालिसी भी इस लिये ठीक है कि आज वहां पर बहुत कजेशन है । वेस्ट बंगाल के अन्दर सैचुरेशन प्वांइट आ गया है और आज रिफूयूजी दूसरी जगह पर जाने के लिये तैयार भी हैं । इस वास्ते यह स्कीम बनाई गई है । लेकिन साथ ही मैं यह भी समझता हूं कि अगर ऐसे एरियाज वेस्ट बंगाल में है जहां पर रिफूयूजीज बसाये जा सकते हैं, तो गवर्नमेंट आफ इंडिया का फर्ज है कि उन पर वह उन को बसाए । जैसे लोग कहते हैं बर्दवान में जगह मिल सकती है, मिदनापुर में जगह मिल सकती है, मार्केट प्राइस पर, गवनमेंट मामूली प्राइस न दे, मार्केट प्राइस दे, २०० रु०, ३०० रु० बढ़ा दे, यह देख लिया जाये कि यह ट्रैंजेक्शन रिफूयूजीज के फायदे के लिये है, और सरकार को उस रकम के भुगतान करने में हिचकिचाना नहीं चाहिये । जो जमीन मिलती है उसे लेना गवर्नमेंट का फर्ज है । चूंकि इस तरह स्कीमें रेफ्यूजीज के फायदे के लिये बन सकती है, इस लिये मैं कहूंगा कि अगर इस मामले को रिएग्जामिन करने की जरूरत हो तो भी गवर्नमेंट इस को करे और जो भी जमीन मिल सकती हो, उसे ले ।

मैं समझता हूं कि ईस्ट बंगाल से जो एग्जोडस हो रहा है, वह बड़ा अननैचुरल है । मैं ने पहले भी कहा था कि यह मामूली बात नहीं है कि एक मुल्क के नैशनल अपने मुल्क से निकाले जायें और वह दूसरे मुल्क में जा कर बसें । दुनियां के अन्दर कहीं भी इस तरह का कायदा है ? अगर इसी तरह से होता रहा कि एक मुल्क के लोग दूसरे मुल्क में चले जायें तो दुनियां में अमन कहां रहेगा ? जहां आप तमाम प्रश्न यू० एन० ओ० के पास भेजते हैं, में बड़े अदब से कहूंगा, आप इस चीज को भी ले जा कर वहां पेश कीजिये । यह मामला मामूली नहीं है । आप सुन रहे हैं कि पाकिस्तान काश्मीर का मामला यू० एन० ओ० में ले जाने वाला है, मैं पूछूंगा कि क्या यह मसला ऐसा नहीं है जिसे आप वहां ले जायें । मेरा ख्याल है कि यह निहायत ही जस्ट मसला है । हम सोचते थे कि शायद पाकिस्तान को एक बरस में समझ आ जाये, दो बरस में समझ जा जाये, तीसरे बरस में समझ आ जाये, लेकिन इस वक्त तक दस बरस हो गये हैं । आज भी कहते हैं कि दो हजार आदमी हर महीने आ रहे हैं । मैं इस वक्त इस सवाल के प्रोस ऐंड कांस में नहीं जाना चाहता, लेकिन यह जरूर समझता हूं कि इस पर गौर करना चाहिये ।

**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो चुका है ।

**लाला अचिंत राम** : मैं अभी तक किसी भी चीज पर नहीं बोला हूं, न रेलवे पर और न बजट पर । यह तो मेरा स्पेशल सब्जेक्ट है । मैं कह रहा था कि इस मामले को भी सामने लाया जावे । हालांकि यह मसला गवर्नमेंट आफ इंडिया का है, लेकिन मैं रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री से भी दरखास्त करता हूं कि इस तरफ थोड़ी तवज्जह दी जाये ।

इस के बाद जो सजेशन मुझे देना है वह पाकिस्तान हेल्ड टेरिटरी के बारे में है । पाकिस्तान-हेल्ड टेरिटरी जो है उस से डेढ़ लाख आदमी आये । मुझे खुशी है कि जो भी रिफ्यूजी वहां से आये, उन को रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री ने तमाम सहूलियात दीं । यह खुशी की बात भी है । वह खुद रिफ्यूजी हैं और उनके दिल में वही दर्द है जो कि एक रिफ्यूजी के दिल में होना चाहिये । लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वह अभी तक क्लेम्स का मसला क्यों हल नहीं कर पा रहे हैं । गवर्नमेंट आफ इंडिया ने यह फैसला किया है कि जो लोग वेस्ट पाकिस्तान से आये हैं उनको पूरा कम्पेन्सेशन देने की हमारी जिम्मेवारी नहीं है । मेरी समझ में नहीं आता कि हिन्दुस्तान में करोड़पति रह सकते हैं, लखपति रह सकते हैं लेकिन जो आदमी पाकिस्तान से आया है और जिसकी दस लाख की प्रापर्टी वहां रह गयी है उसको क्यों पूरा कम्पेन्सेशन नहीं दिया जाता । मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट अपनी पालिसी के बारे में कोई पैम्फलेट जारी करे ताकि हम भी लोगों को बतला सकें कि गवर्नमेंट की यह दलील है ।

दूसरी बात यह है कि आप उन ३० हजार आदमियों के क्लेम नहीं लेते हैं जो कि पाकिस्तान में कबजे वाले इलाके से आये हैं । ईस्ट पाकिस्तान से जो लोग आये हैं वे तो अपनी जायदाद बेच बाच के आये हैं पर इन बेचारों ने क्या गुनाह किया है जो उनके क्लेम नहीं लिये जाते । ये तो अपनी सारी जायदाद छोड़ कर आये हैं । आप इन लोगों को कम्पेन्सेशन नहीं देना चाहते । आपने अभी तक कुल ४,६३,००० क्लेम लिये हैं । लेकिन अभी २० हजार और लोग बाकी हैं जो कि पाकिस्तान आकुपाइड एरिया से आये हुये हैं । इन को काश्मीर में जगह नहीं मिली । इसमें इनका क्या कुसूर था । यह तो काश्मीर गवर्नमेंट का फर्ज था कि इनको जमीन देती । मैं कहूंगा कि इन लोगों के साथ सरीहन बेइंसाफी हो रही है । मैं चाहता हूं कि मंत्री बहैसियत मंत्री के इन की तर्फ तवज्जह दें । मैं जानता हूं कि किसी कदर उनके भी हाथ बंधे हैं लेकिन फिर भी इन लोगों के साथ आपको जस्टिस करनी चाहिये ।

[लाला अचिंत राम]

तीसरी बात यह है कि जो वेस्ट पाकिस्तान से ५० लाख आदमी यहां आये उनके आने से यहां जायदादों की कीमतें बढ़ गयीं । लेकिन आपको याद रखना चाहिये कि इन लोगों ने देश की आजादी के लिये इतनी कुर्बानी की है । इनकी कुर्बानी की वजह से ही आज हम इस देश को आजाद देश और भारत कह सकें हैं । लेकिन दस बरस हो गये पर इनको कम्पेन्सेशन नहीं मिला । आपने अभी तक ४,६३,००० के क्लेम लिये हैं । एक लाख क्लेम और मेहरबानी करके लिये हैं । इस तरह कुल तादाद ५,६३,००० हो गई है । लेकिन जो क्लेम्स का कम्पेन्सेशन मिलने में देरी हो रही है । इसका कारण क्या है यह देखना चाहिये । अभी तक जो क्लेम वैरीफाई हुए हैं वह १.७२ लाख हैं जिनमें से ८० हजार क्लेम ऐसे हैं जिनको इंटेरिम कम्पेन्सेशन दिया गया है । कुल क्लेम्स जिनका पूरा कम्पेन्सेशन दिया है वह ८५ हजार या ९० हजार हैं । तीन हजार क्लेम्स का एक महीने में फैसला होता है । जो आदमी क्लर्कों का हाथ गरम कर देता है उसका क्लेम जल्दी तै हो जाता है ।

आपने कहा था कि कुछ क्लेम प्रायरिटी कैटेगरी के हैं जिन में विडोज़ भी आती हैं । उन के क्लेम वरीफाई नहीं होते । मैं कहूंगा कि इस तरफ ध्यान दिया जाये । मैं जानता हूं कि आप कोशिश कर रहें हैं लेकिन यह सीरियस बात है । जिस रफतार से आप चल रहे हैं उससे तो इस काम के पूरा होने में तीन चार पांच बरस लग जायेंगे । अगर किसी को १५ बरस बाद क्लेम मिलेगा तो वह क्या कर सकेगा ।

आपने कहा था कि जिनको क्लेम देने हैं उनको तो जायदाद पहले ही दी जा चुकी है । लेकिन मैं कहूंगा कि मुझे यह दलील बहुत मजबूत नहीं मालूम देती । आपने चूंकि क्लेम सैटिल नहीं किया है इस लिये जो मकान उस आदमी के पास है न वह उसको गिरवी रख सकता है और न बेच सकता है । इस तरह से अभी तक उसको कुछ नहीं मिला । मकान मिला सो उसका किराया दिया । दस परसेंट आपने डिप्रिसियेशन में काटा । अब अगर १३ साल बाद आप उसका क्लेम सैटिल करेंगे तो उसको क्या मिलेगा ।

इसके अलावा और भी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं । मसलन पोलीटिकल सफरर्स का मामला है । मैं समझता हूं कि आपके दिल में उनके लिये दर्द है । विडोज़ का मामला है । सन् ३७ से पहले के कानून के मुताबिक उनको सिर्फ मेनटिनेन्स एलाउंस मिल सकता था लेकिन अब जो कानून बना है उसका उनको पूरा फायदा मिलना चाहिये ।

एक छोटी सी बात और है सब्स्टेंशियल प्रापर्टी के बारे में । आप कहते हैं कि जिनकी, प्रापर्टी का एक यूनिट दस हजार या २० हजार से ज्यादा नहीं है उसको गिना नहीं जायेगा । लेकिन हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि जिसकी कुल प्रापर्टी मिल कर दस हज़ार या बीस हजार होगी उसको सबस्टेंशियल माना जायेगा । मैं कहूंगा कि रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इन्तजार न करे और इस चीज़ को रिफ्यूजीज़ के हक में फैसला कर दे ।

इवेक्वी प्रापर्टी के मुताल्लिक मैं कहना चाहता हूं कि हमारे लोग वैस्ट पाकिस्तान में ५००० करोड़ की जायदाद छोड़ कर आये और यहां पर जो जायदाद छोड़ी गयी वह १००० करोड़ की थी । हम इस मामले को क्यों न यू० एन० ओ० के सामने ले जायें । और उनसे फैसला करायें । जब हमारा आपस में फैसला नहीं हो सकता तो हमको यह मामला यू० एन० ओ० के सामने ले जाना चाहिये । इसमें कोई लड़ाई की बात नहीं है । हमको यू० एन० ओ० से कहना चाहिये कि हमारे पड़ोसी के पास हमारी इतनी जायदाद रह गयी है । अगर हमारी तरफ कुछ निकलता हो तो हमको देना चाहिये और अगर हमको कुछ मिल सकता है तो वह हमको दिया जाना चाहिये । मैं समझता हूं कि ऐसा करना इंसाफ की बात होगी ।

**सेठ अचल सिंह** (आगरा ) : इस पुनर्वास मंत्रालय ने, जिसको गवर्नमेंट आव इंडिया ने दस बरस पहले मुकर्रर किया था, बहुत उपयोगी काम किया है । जब हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का बटवारा हुआ था उस वक्त लाखों डिस्प्लेस्ड परसन्स पाकिस्तान से हिन्दुस्तान आये और इस हालत में आये कि उनका खाने का कोई ठीक नहीं था, पहनने का कोई ठीक नहीं था और रहने का कोई ठीक नहीं था । वे वहां पर अपना सारा सामान छोड़ कर यहां आये थे । यहां पर तमाम हिन्दुस्तान के लोगों ने, और खास तौर पर उत्तर प्रदेश, दिल्ली और ईस्टर्न पंजाब के लोगों ने उनके रहने और खाने पीने का प्रबन्ध किया । बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस काम को अपने हाथ में लिया और इसकी व्यवस्था शुरू कर दी । यह खुशी की बात है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने इस काम को अंजाम दिया वह दुनिया में एक मिसाल है । यूरोप में भी इस किस्म की समस्या पैदा हुई थी लेकिन वहां इतनी संख्या में आदमियों के लिये व्यवस्था नहीं करनी थी फिर भी इतने कम संख्या में लोगों की व्यवस्था नहीं हो सकी । लेकिन यहां पर तो चालीस पचास लाख आदमी एक साथ आये । उनकी व्यवस्था करना मामूली बात नहीं थी । लेकिन गवर्नमेंट आव इंडिया ने इस काम में पूरा योग दिया । उनको रहने, खाने, धन्धे आदि की हर तरह की सहूलियत दी । दस बरस से यह समस्या चल रही है । इस पर इस समय तक करीब साढ़ तीन सौ करोड़ रुपया खर्च हो चुका है । मुझे खुशी है कि जो आदमी वैस्ट पाकिस्तान से आये थे उनमें से ८० या ९० फीसदी बसाये जा चुके हैं और उनके काम धन्धे के लिये अच्छा इन्तिजाम किया गया है और वे काम में लग गये हैं । उन के खाने पीने का इन्तज़ाम ठीक प्रकार से हो गया है और वे अब अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं । थोड़े से लोग अब भी रह गये हैं, लेकिन सरकार की ओर से उन के लिये भी प्रयत्न किया जा रहा है । यह बड़े दुख की बात है कि ईस्ट बंगाल से लाखों की तादाद में लोग भारत में निरन्तर आ र हैं और उन के लिये मुनासिब इन्तज़ाम नहीं हो रहा है । पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बुरी और निंदनीय-नीति अपना रखी है, जिस के अन्तर्गत वे लोगों को दबाते हैं, उन को तरह तरह की मुसीबतों डालते हैं और उनके दिलों में उन को तरह तरह की मुसीबतों में डालते हैं और उन के दिलों में डर पैदा करते हैं, जिस की वजह से मजबूर हो कर उन को हिन्दुस्तान आना पड़ता है, इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि भारत सरकार को पाकिस्तान गवर्नमेंट से कहना चाहिये कि ईस्ट बंगाल से लाखों की तादाद में जो लोग आ रहे हैं , उन को बसाने के लिये वह ज़मीन दे या वह अपने प्रदेश में ऐसा बातावरण पैदा क ें कि वे लोग अपने घरों को छोड़ कर भारत में न आयें । भारत सरकार को ईस्ट बंगाल के डिस्प्लेस्ड पर्सन्ज़ को बसाने के लिये पाकिस्तान से कुछ ज़िले हासिल करने चाहिये : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह समस्या बड़ी विकट है । हमारी इकानोमिक हालत खराब हो रही है । इस अवस्था में लाखों आदमियों का ईस्ट बंगाल से वैस्ट बंगाल में आना देश के लिये बहुत घातक है और इससे बहुत दिक्कत पैदा हो रही है । वैस्ट पाकिस्तान के लोगों पर सरकार ने लाखों रुपये उन के पुनर्वास के लिये खर्च किये और अब वे करीब करीब बस चुके हैं । लेकिन ईस्ट पाकिस्तान से आने वाले लोग बड़ी दिक्कत और परेशानी में हैं । यह ठीक है कि उनके लिये कैम्प खोले गये हैं और उन को सहायता दी जा रही है, लेकिन अभी इस सम्बन्ध में बहुत कुछ करना बाकी है ।

आगरा में करीब पचास साठ हज़ार डिस्प्लेस्ड पर्सन्ज़ आये—करीब तीस हजार पंजाब से और करीब तीस हज़ार सिंध से : यह बड़ी खुशी की बात है कि वे लोग अब बस चुके हैं सरकार ने उन को मकान, दुकान, कर्ज़ा, शिक्षा के लिये स्कूल इत्यादि दिये हैं । मुझे बड़े अफ़सोस के साथ यह कहना पड़ता है कि इमरजेन्सी के समय में बहुत से रेफ्यूजी भाइयों को सड़कों की पटरियों पर दुकानें खुलवा दी थीं, लेकिन वे लोग आल्टरनेटिव एकामोडेशन दिये जाने के बावजूद वहां से

[सेठ अचल सिंह]

हट नहीं रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां की सड़कें बहुत तंग हैं और पटरियों पर दुकानें होने की वजह से वहां आना जाना मुश्किल हो जाता है और एक्सिडेंट होते हैं। आगरा एक पुराना शहर है और बहुत कनजेस्टिड है, अगर लोग इस तरह पटरियों पर बैठे रहें, तो सड़क पर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिये उन लोगों को वहां से हटाना आवश्यक है। मैं जानता हूं कि दिल्ली में भी इसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा था और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पटरियों पर बैठे लोगों को हटा कर दूसरी जगह व्यवस्था की और वे लोग हट गये। आगरा में भी उन लोगों को आल्टरनेटिव एकामोडेशन दी जा रही है, लेकिन वे लोग नहीं हट रहे हैं। मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह इस की व्यवस्था करें।

हमारे देश में डिस्प्लेस्ड पर्सन्ज़ के लिये जो काम किया गया है, उस का दुनिया भर में बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा है। गवर्नमेंट ने अस्सी, नव्वे लाख आदमियों को किस प्रकार बसाया है, उसकी दुनिया प्रशंशा करती है।

इन शब्दों के साथ मैं इस डिमांड (मांग) का समर्थन करता हूं।

**श्री स० म० बनर्जी**(कानपुर) : सभापति महोदय, रीहैबिलिटेशन के बारे में जो किताब हमारे सामने है, उस को पढ़ने से कम से कम यह मालूम होता है कि रीहैबिलिटेशन का सवाल तकरीबन हल हो चुका है। पंजाब से हमारे जो साथी आये हैं, उन के बारे में यह कहा जाता है कि वे बस चुके हैं और जहां तक पूर्वी बंगाल के लोगों का सवाल है, कहा जाता है कि वह इस लिये हल नहीं होता है कि वे लोग मोबाइल नहीं हैं। बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से मैं खुद एक बंगाली हूं और इतना मोबाइल हूं कि बंगाल से चल कर पंजाब गया और पंजाब से चल कर उत्तर प्रदेश गया और उत्तर प्रदेश से मैं नान-बंगालियों के वोट्स से जीत कर यहां आया हूं। इस लिये अगर हम यह कहें कि हमारे बंगाली भाई किसी दूसरी जगह रहना नहीं चाहते हैं, वे होम-सिक हैं, इसलिये जहां उन को भेजा जाता है, वे वहां से चले जाते हैं, तो यह शायद सही न हो। मैं मानता हूं कि हमारे बंगाल के भाई और बहनें बंगाल से मुहब्बत करते हैं। उन को अपनी जबान से मुहब्बत है। वे अपने बंगाल के बारे में—उस शस्यश्यामला भूमि के बारे में—सोचते और सुनते हैं और कभी कभी यह ख्याल करते हैं कि अगर हम बंगाल में रहते, तो उस की जमीन में हमें कोई स्थान मिलता। इसलिये यह मानना कुछ ठीक न होगा कि वे मोबाइल नहीं हैं।

पहले मैं अपने पंजाब के भाइयों के बारे में दो चार सवालात माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। उन के सामने सब से बड़ा सवाल है देहाती और शहरी पुरुषार्थियों में भेदभाव—डिस्क्रिमिनेशन। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि अगर आप डिस्प्लेस्ड पर्सन्ज क्लेम्ज एक्ट, १९५० को देखें, तो आप को मालूम होगा कि वह डिस्क्रिमिनेशन उस में रखा गया है : उस एक्ट के मातहत १९५० में एक नोटिफिकेशन निकाला गया, जिसमें एक्ज़ीक्यूटिव (कार्यपालिका) को इस बात का पूरा राइट दिया गया कि पार्लियामेंट में जो एक्ट पास हुआ है, उस को वह जिस तरह चाहे—चाहे अपने हक में और चाहे रेफ्यूजीज के हक में—अमल में लाये। हाई कोर्ट के जस्टिस खोसला ने, जहां तक कम्पेन्सेशन का सवाल है, देहाती पुरुषार्थियों के हक में फैसला दिया। सवाल यह है कि अगर एक प्रापर्टी बीस हजार की नहीं है, या दस हजार की नहीं है, लेकिन तीन प्रापर्टीज हैं और टोटल यूनिट बीस हजार से ज्यादा है, तो उस को क्यों शामिल न किया जाये मैं आप की मारफत माननीय मंत्री जी से, जो कि शायद खुद भी पुरुषार्थी हैं, यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह डिस्क्रिमिनेशन नेचुरल जस्टिस (स्वाभाविक न्याय) के खिलाफ नहीं है। हम समझते हैं कि देहाती पुरुषार्थियों को नेचुरल

जस्टिस मिलना चाहिये। वह उन को नहीं मिला है। हम चाहते हैं कि इस मसले पर विचार करने के लिये एक कमीशन नियुक्त किया जाये। तकरीबन सत्तर हजार क्लेम्ज--हो सकता है कि यह फिगर गलत हो, शायद साठ हजार क्लेम्ज--इस आधार पर रिजेक्ट किये गये हैं कि उन को एक प्रापर्टी बीस हजार या दस हजार की नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि हम हर स्फीयर आफ लाइफ में डिस्क्रिमिनेशन को दूर कर रहे हैं। तो फिर रेफ्यूजी और रेफ्यजी के बीच में यह डिस्क्रिमिनेशन न रखा जाये। यह कहा जाता है कि जो मकान देहातों में हैं, जो प्रापर्टी देहातों में है, उस की कोई रेन्टल वेल्यू नहीं है--रेजिडेंशियल वैल्यू नहीं है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आखिर वे मकानात हमारे पुरुषार्थी भाइयों ने कोई हवाखोरी के लिये नहीं बनाये हैं। आज-कल जिस तरह शहरों का एक्सपेंशन हो रहा है और शहरों का इलाका देहातों में जा रहा है, उस को देखते हुए, अगर देश का बंटवारा न हुआ होता, तो उन मकानों की रेंटल वैल्यू भी हो जाती। लिहाजा मैं समझता हूं कि इस बारे में कुछ इन्साफ से काम नहीं लिया गया है। जैसा कि हमारे मुअज्जिज दोस्त लाला अचित राम ने कहा है, इस के बारे में फैसला होना चाहिये।

दूसरा सवाल नान-क्लेमेंट्स के लोन्स का है। कानपुर में, जहां से कि मैं चुन कर आया हूं गोविन्दनगर का एक इलाका है। माननीय मंत्री जी उस को जानते हैं, क्योंकि वह अक्सर वहां जाते रहते हैं। वहां पर कम से कम पांच छः सौ केसिज ऐसे हैं, जिनकी तमाम पर्सनल प्रापर्टी अटैच करने के आर्डर्ज इशू कर दिये गये हैं। वे नान-क्लेमेंट हैं। वे लोन अदा नहीं कर सकते हैं। उन को कहा गया है कि अगर सात दिन में अदा नहीं करोगे, तो कुर्की कर दी जायेगी। एक कानून निकाला गया था जिस का हम ने स्वागत किया था, कि जिसका तीन सौ रुपये तक लोन है, वह माफ कर दिया जायेगा लेकिन अगर लोन ३०१ रुपये हो, तो वह देना पड़ेगा। मैं माननीय मंत्री जी और इस सदन के सामने गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर किसी का लोन ३०५ रुपये है, तो उस को भी कुछ एग्जेम्प्शन (छूट) मिलना चाहिये। अगर किसी का लोन ५०० रुपये है, तो ३०० रुपये तो आप एग्जेम्प्ट कर ही चुके हैं, इसलिये उससे सिर्फ २०० रुपये मांगें जायें और वे भी ईजी इन्स्टालमेंट्स (आसान किस्त) में। पुरुषार्थियों के बारे में यह कहना कि वे रीहैबिलिटेट कर दिये गये हैं, उनके कोई सवाल नहीं हैं, ठीक नहीं होगा। मैं आप से कहना चाहता हूं कि वे लोग जो पाकिस्तान से इधर आये, वे छोटे छोटे बच्चे, वे हमारी मातायें तथा हमारी बहनें तथा हमारे भाई जो इस देश के अन्दर आये इन्होंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, कभी किसी से भीख नहीं मांगी। इस चीज को देख कर वह कौन शख्स होगा जिसको खुशी न हुई होगी। जब कभी किसी मासूम बच्चे को, एक हंसते खेलते हुए बच्चे को, जो कि ट्रेन में बिस्कुट या दूसरी चीजें बेचता फिरता है, कभी कोई ऐसे ही पैसा देता है, तो उसके मुंह से यह उत्तर निकलता था कि मैं भीख नहीं चाहता, मैं बेच कर के मेहनत मजदूरी कर के, अपना पेट भरना चाहता हूं। कितनी अच्छी चीज है यह। इस वास्ते मैं आप से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप कम से कम कोई आर्डर्स इशू कीजिये जिस से कि उनका सामान कुड़क न हो।

आपने क्वार्टर्स बनाये हैं, मालवीयनगर में और दूसरी जगहों पर। इनके बारे में मुझे मालूम हुआ है कि उनसे यह कहा गया है कि वे बीस फी सदी फोरन इंस्टालमेंट का रुपया दें। एक मकान की जितनी कीमत होती है उस के हिसाब से यह रकम एक डेढ़ हजार के करीब बैठती है। किस तरह से वे इतना रुपया दे सकते हैं, इस पर आपको विचार करना चाहिये। आज उनकी ऐसी हालत नहीं है कि वे इतना रुपया दे सकें। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि प्रापर रिहैबिलिटेशन हो, तो आप को किरायों में कमी करनी होगी। जितना किराया आपने फिक्स किया है, उतना किराया वे आज दे नहीं सकते हैं। जितना किराया उन्होंने दिया है, उसको एकाउंट में ले कर आप औसत निकालें और उसको आप एडजस्ट करें और उसके बाद इंस्टालमेंट्स को इस तरह से फिक्स करें कि एक को बीस तीस रुपये से ज्यादा न देना पड़े। उन लोगों को वहीं रहना है और कहीं उनको

[श्री सा० म० बनर्जी]

जाना नहीं है। आपको इस तरह से कार्य करना चाहिये कि उनको कोई तकलीफ न हो। आज उन मकानों की जिन्दगी खत्म हो चुकी है। उनको शायद छः साल की जिन्दगी आपने रखी थी। इसको आप जाने दीजिये। लेकिन जो समस्या आज उनके सामने है, उसको तो आप दृष्टि से ओझल न होने दें। आज हालत यह है कि वे दे नहीं सकते हैं उतना रुपया जितना आप उन से मांगते हैं। इस वास्ते मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप मेहरबानी कर के इस समस्या को उन के हित को दृष्टि में रखते हुए हल करें ताकि उनका प्रापर रिहैबिलिटेशन हो सके और जो उनकी आर्थिक दशा है, वह सुधार सके।

अब पुराने किले की जो कहानी है, उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पुराने किले जब मैं घूमने गया तो मैं ने जब इसका पता किया तो मुझे मालूम हुआ कि सन् १९४७ में जब लोग पाकिस्तान से आये तो वहां मकान तो नहीं लेकिन कैम्प था, थैच्ड हाउसिज़ थे। जब वहां पर आग लगी उस वक्त रिहैबिलिटेशन के वजीर मोहन लाल सक्सेना साहब थे। उन्होंने कहा कि हम इनको रिपेयर करना चाहते हैं और यह भी कहा कि कंस्ट्रक्शन का जो चार्ज हो वह वे दें और जो मैटीरियल का खर्चा हो, उसको वे देंगे। वहां के हर भाई ने तकरीबन डेढ़ सौ रुपये दिये। तकरीबन ६०,००० रुपये उन से आये। उसके बाद कमिश्नर साहब का एक नोट निकलता है जिस में कहा जाता है कि मकानात का किराया उन से नहीं लिया जायेगा। लेकिन इस के बाद सब मकानों का किराया बढ़ना शुरू हो जाता है, ढाई रुपये, पांच रुपये, सात रुपये के हिसाब से। आज हालत यह है कि उनका बारह रुपया किराया है। मुझे मालूम नहीं कि उन मकानों की कीमत आज क्या रह गई है, जिन को कि पांच छः सौ रुपये फी मकान की लागत से बनाया गया था। वहां पर बाजार है, वहां पर स्कूल है, वहां पर सोशल लाइफ है, वहां पर जितने भी साधन हो सकते हैं, मौजूद हैं। लेकिन किराया जो उन से लिया जाता है वह बारह रुपये महीना है। क्या वे इतना अधिक किराया देने के काबिल हैं? हरगिज नहीं हैं। अगर वे डैमन्स्ट्रेशन करते हैं तो आप जानते हैं कि क्या कहा जाता है। कहा जाता है ये जो वामपक्षी हैं ये इन लोगों को भड़काते हैं और यही सब आन्दोलनों के पीछे हैं। अगर पोस्ट एंड टेलिग्राफ की हड़ताल होती है तो भी हमी को दोष दिया जाता है। तमाम हिन्दुस्तान में जो कुछ भी इस गवर्नमेंट के खिलाफ होता है, उस सब के लिये हमारे पर ही अरारोप लगाये जाते हैं। लेकिन ईमानदारी से आप ही बताइये कि क्या बारह रुपये महीने किराया वाजिब है? इतना अधिक किराया उन से किस आधार पर लिया जा रहा है? उनको प्रापरली रिहैबिलिटेट करना हमारे मिनिस्टर साहब का फर्ज है। मैं मांग करता हूं कि एक कमेटी इस पार्लियामेंट के मैम्बरों की बनाई जाये, जिसमें इस तरफ बैठने वाले मैम्बर भी हों और कांग्रेस की तरफ बैठने वाले मैम्बर भी हों, जो इस सारे मामले की जांच करें और यह देखें कि आया यह बारह रुपये जो किराया इन लोगों से लिया जा रहा है, वाजिब है या नहीं है।

अब मैं थोड़ा सा इंडस्ट्रियल यूनिट्स के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। आपने कुछ इंडस्ट्रियल यूनिटस बनाये हैं जिन का जिक्र कि आप ने प्राग्रेस रिपोर्ट में किया है। आप ने कहा है कि छोटे छोटे कारखानों के रूप में इनको चलाया जा रहा है। इस रिपोर्ट में आप ने गोविन्दनगर जो कि कानपुर के पास है, उसका नाम भी दिया हुआ है। जो बहनें रिफ्यूजी हो कर पाकिस्तान से आई हैं वे वहां पर धागे बाटने का काम बहुत अच्छी तरह से करती हैं। अगर वहां पर इस धागे बाटने के काम को काटेज इंडस्ट्री के तौर पर चलाया जाये तो अच्छा रहेगा।

ईस्ट बंगाल से आये हुए रिफ्यूजीज़ का भी सवाल हमारे सामने है। उनको बसाने के लिये भी यह कहा जाता है कि बहुत बड़ी स्कीम हमारे पास है। यह कहा गया है कि दंडकारण्य की स्कीम के पूरा होने पर हजारों की तादाद में रिफ्यूजियों को बसाया जा सकेगा। आपने एरियल सर्वे तो

कर लिया है लेकिन जमीन पर सर्वे नहीं किया है। मैं इस बात को मानता हूं कि हमारे मंत्री महोदय उनकी समस्याओं को हल करने के अच्छे तरीके ढूंढ़ सकते हैं बजाय इसके कि हम ढूंढ सकते हों। अगर आपकी किताब के अनुसार सारे मसले हल हो गये हों तो मैं कहूंगा कि रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री को डिसाल्व (समाप्त) कर दिया जाये। अगर कोई मसले बकाया नहीं रह गये हैं तो इस मिनिस्ट्री का क्या काम है ?

**डा० सुशीला नायर** (झांसी) : सभापति महोदय, यह रिहैबिलिटेशन का सवाल, जैसे कि कई भाई बहनों की तरफ से यहां कहा जा चुका है, एक बहुत बड़ा ह्यूमन प्राब्लैम है और मुझे कहना चाहिये कि इस ह्यूमन प्राब्लैम को एक ह्यूमन ऐंगल से देखने की, एक मनुष्य की दृष्टि से और सहानुभूति पूर्ण दृष्टि से देखकर के उसको सुलझाने की बड़ी शानदार कोशिश हमारी सरकार ने की है। इस सिलसिले में मैं मंत्री महोदय को मुबारिकबाद देना चाहती हूं। उन्होंने रिहैबिलिटेशन एडवाइजर की हैसियत से बहुत शानदार काम किया है और उसके बाद मंत्री हो कर वह बंगाल में जा कर बैठे हैं और वहां की समस्या को सुलझाने का हर सम्भव प्रयत्न कर रहे हैं।

बंगाल की समस्या बहुत टेढ़ी है और बहुत ही कठिन है। इस समस्या को हल करना कोई आसान काम नहीं है। हम लोग अच्छी तरह से उस दुःख दर्द को जानते हैं जिस में से हमारे ईस्ट बंगाल के शरणार्थियों को गुजरना पड़ रहा है और जिस का उनको आज भी सामना करना पड़ रहा है। उस दुःख दर्द के बारे में हमारे कुछ भाइयों ने यहां पर रोशनी भी डाली है।

हम इस बात को भी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस समस्या को हल करना कठिन है क्योंकि यह एक चालू समस्या है। यह निश्चित नहीं है कि इतने लोग आ गये हैं और इनको किस तरह से बसाया जाये, यह तय करना आसान है। यहां तो हर रोज, हर महीने और हर साल नये लोग आ रहे हैं, उनको किस तरह से बसाना है, किस तरह से उनकी समस्याओं को हल करना है, यह एक पेचीदा सवाल है। जाहिर है कि भाषा, जलवायु इत्यादि की दृष्टि से जहां उनकी अनुकूलता है, वहां रहना वे ज्यादा पसन्द करते हैं। त्रिपुरा वगैरह से वे लोग नहीं आये हैं जैसा कि मेरी बहन रेणु चक्रवर्ती ने कहा। उसका कारण यह है कि वहां बंगाल की तरह आबोहवा है, बंगाल जैसा वहां रहनसहन है इसलिये वे वहां से उठ कर नहीं आयेंगे। लेकिन जहां पर अनुकूलता नहीं है, वहां से वे चले जाते हैं। तो मैं समझती हूं कि इस ओर खास तवज्जह देने की आवश्यकता है कि ऐसी जगह ढूंढी जाये जहां की जलवायु, और जमीन वगैरह उनकी रुचि के अनुरूप हो और वहां वे लोग आसानी से रह सकेंगे। मुझे बताया गया है कि इसी दृष्टिबिन्दु से यह दंडकारण्य की स्कीम की तरफ तवज्जह दी गई है और हकूमत इस बारे में आवश्यक कारवाई कर रही है। मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि वह अपने भाषण में हमें बतलायें कि क्या कनक्रीट स्टेप्स लिये गये हैं इस स्कीम को सफल बनाने के लिये और हकूमत इस बारे में कितनी तेजी से कार्य कर रही है और कब इस स्कीम को अम्ल में लाया जा सकेगा।

इसी प्रकार कुछ भाइयों ने सवाल के रूप में यहां पर कहा कि एंडमान (अडंमान), में बंगाली लोग ज्यादा अच्छी तरह और खुशी से रहते हैं। मुझे मंत्री महोदय के जवाब से निराशा हुई जब कि उन्होंने यह कहा कि इस सवाल को होम मिनिस्ट्री की डिबेट में उठाया जाये। सच बात तो यह है कि इस देश के रहने वालों को इस चीज से कोई खास मतलब नहीं है कि किस मिनिस्ट्री के साथ किसी छोटी बड़ी चीज के किसी छोटे या बड़े पहलू का ताल्लुक है। कैबिनेट की मिली जुली रिस्पांसिबिलिटी होती है। रिहैबिलिटेशन मिनिस्टर महोदय का यह फर्ज हो जाता है कि वह देखें कि कौन सी जगह पर इन रिफ्यूजीज को आसानी से बसाया जा सकता है। और अपने केबिनेट के साथियों से बात करने की जरूरत हो तो वे खुद बात कर लें और योजना बना लें। जब स्कीम मंजूर हो जाये तो जिस तरह भी

[डा० सुशीला नायर]

वह उचित समझें उस स्कीम को सफल बनायें और जितनी तेजी से हो सके, उतनी तेजी से उन लोगों को बसायें ।

**श्री मेहर चन्द खन्ना** : अन्दमान भेजे जाने वाले व्यक्तियों में पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थी ८० प्रतिशत होते हैं । २० प्रतिशत शेष भारत के होते हैं ।

**डा० सुशीला नायर** : मेरा इतना ही निवेदन है कि इस प्रकार की जितनी भी सम्भावनायें हैं, जहां जहां वे समझते हैं कि इन को बसाया जा सकता है और जहां पर ये खुशी से रह सकते हैं वहां की स्कीम को ज्यादा से ज्यादा जांच कर उसको सफल बनाने का प्रयत्न किया जाना चाहिये ।

उसके साथ ही साथ मेरा बंगाल के भाई बहनों से भी निवेदन है कि हर समय उनका इस चीज पर जोर देना कि बंगाल में ही पूर्वी बंगाल के लोग रह सकते हैं, बाहर नहीं रह सकते, कुछ मुनासिब नहीं लगता । मेरी बहन श्रीमती इला पालचौधरी ने तो कहा है कि उनके लिये डाक्टर भी बंगाली होने चाहियें । अब यह तो मैं समझती हूं कि भाषा की दिक्कत न हो और उनकी भाषा समझने वाले डाक्टर हों लेकिन मैं यह नहीं समझ पाई कि अगर मैं जा कर उन की सेवा करने लगूं तो मुझे वह नामंजूर कर दें । और कहें कि नहीं हमारे लिये बंगाल का ही डाक्टर होना चाहिये । हमारे पश्चिमी पाकिस्तान के भी बहुत से लोग दूसरे दूसरे प्रान्तों में गये हैं ।

[श्री पट्टाभिरामन पीठासीन हुए]

हमारी बहिन श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती ने जो फीगर्स दी हैं कि वेस्टर्न पाकिस्तान के बहुत लोग पंजाब में बसे हैं, उस में मुझे कुछ थोड़ी सी गलती लगती है । जहां तक मुझे मालूम है जहां २५ लाख के करीब पंजाब में बसे हैं वहां १५, १६ लाख लोग पंजाब से बाहर बसे हैं । मेरा ऐसा ख्याल है कि अगर बंगाल के भाई बहिन इस बात पर बहुत जोर न दें कि पूर्वी बंगाल से आने वालों को बंगाल में ही रहना चाहिये तो पूर्वी बंगाल के लोग भी बंगाल से बाहर जा कर बसने के लिये तैयार हो जायेंगे ।

इस के साथ ही साथ मुझे यह भी कहना चाहिये कि जो लोग कैम्पों से भाग आते हैं वे खाली इसलिये नहीं भाग आते कि वे वहां पर रहना नहीं चाहते । अक्सर हमारी सरकार द्वारा 'पुटिंग दी कार्ट विफोर दी हौर्स' वाली बातें की जाती हैं । कैम्पों में बसाने के लिये लोगों को ले जाते हैं लेकिन वहां उनके रखने के लिये तैयारी नहीं होती है । यह अव्यवस्था केवल बंगाल में ही नहीं है बल्कि हमारे दिल्ली नगर में भी उन कौलोनीज में जिनकोकि चीप कौलोनीज कहते हैं यह अव्यवस्था देखने को मिलती है । उन कौलोनीज में हम लोगों को यह सोच कर ले गये कि जल्दी ही वहां पर सड़कें बन जायेंगी, ड्रेनेज हो जायेगा और स्ट्रीट लाइटिंग हो जायेगी लेकिन आज ६, ६ और ७, ७ वर्ष हो गये हैं, यह सुविधायें वहां के लोगों को नहीं मिली हैं । खैर यह ऐसी चीजें हैं कि इनके न रहने से भी लोग रो धो कर किसी तरह अपना गुजर बसर कर सकते हैं लेकिन अगर आप उनको एक ऐसी जमीन पर बसाने ले जायें जो कि पत्थर जैसी हो और आप उस को तोड़ कर खेती लायक बना कर उनको यदि न दें तो आप ही बतलाइये वे बेचारें वहां जा कर क्या करेंगे ? सिवाय वहां से भाग आने के दूसरा उसके पास चारा ही क्या है ; मैं चाहती हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिये । जहां आप लोगों को बसाने के लिये ले जाते हैं वहाँ उनके रहने का भी प्रबन्ध हो और रोजगार का भी फिर वे वहां से नहीं भागेंगे ।

मैं यह कहना चाहती हूं कि यह तमाम काम अकेले पुनर्वास मंत्रालय का है, ऐसा मैं नहीं मानती । मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान बनने के समय एक कैबिनेट कमेटी बनी थी सारे रिहैबलिटेशन प्राब्लम को देखने के लिये । उसी तरह से कोआर्डिनेशन आज भी होना चाहिये । आपका यह

रिहैबलिटेशन का सवाल फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के ग्रो मोर फूड के साथ सम्बन्धित है। जाहिर है कि अगर आप नई जमीनों को ठीक कर के वहां पर लोगों को बसायेंगे तो देश का अन्न उत्पादन बढ़ेगा।

इसी तरीके से आज हम कम्पेंसेशन दे रहे हैं, वह देना चाहिये। कम्पेंसेशन के बारे में मुझे और भी कहना है लेकिन इस वक्त में इतनी ही बात के लिये उसका जिक्र कर रही हूं कि अगर उस कम्पेंसेशन के साथ एक कोआर्डिनेटिड तरीके से आपकी कामर्स एंड इंडस्ट्रीज वाले बैठ कर एक योजना बनायें ताकि उधर से कम्पेंसेशन के रूप में जो पैसा उनको मिल रहा है वह आपकी स्मौल स्केलइंडस्ट्रीज और देश की दूसरी प्रोडक्टिव स्कीम्स में लग सके तो यह आपके सेकेंड फाइव इयर प्लान में बैठ सकता है। इस तरीके से अगर आप एक साथ मिल कर बैठें और इस मुआविजे की रकम को इस तरह लगाने में मदद दें तो देश की ओवरआल एकोनमिक समस्या के हल होने में कुछ मदद मिल सकेगी। इसके अलावा लोगों को काम भी (स्थायी) तौर पर रिहैबिलिटेट करने में आसानी होगी। इसीलिये मैं यह महसूस करती हूं कि ओवरआल कोआर्डिनेशन बहुत आवश्यक है।

एक्सटरनल एफेयर्स मिनिस्ट्री को ईस्ट पाकिस्तान की सरकार पर यह जोर दे कर कहना चाहिये कि वे अपने वहां अल्पसंख्यक लोगों को ठीक प्रकार से रक्खें और उन के सुख सुविधा का ख्याल रक्खें ताकि उनको वहां से इधर भाग कर आना न पड़े। आज चूंकि हमारे भाइयों को वहां पर ठीक प्रकार से नहीं रक्खा जाता है इसलिये वे वहां से भाग भाग कर इधर आते रहते हैं। मुझे याद है कि शुरू शुरू में जब एक मर्तबा बहुत बड़ा एक्सोडस हुआ था तब लियाकत अली और सरदार पटेल के बीच में बात-चीत हुई थी और सरदार पटेल ने उनको, साफ कह दिया था कि अगर आप अपने वहां पर ऐसे हालात पैदा नहीं करते जिससे अल्पसंख्यक लोग वहां पर रह सकें और परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि वे वहां से भागने पर विवश होते हैं, तो आपको वहां से भाग कर आये हुए भाइयों को बसाने के लिये पाकिस्तान का कुछ इलाका हमें देना होगा क्योंकि हमारे वहां जो मुसलमान बस रहे हैं उनको हम निकालना नहीं चाहते और हम एक्सचेंज आफ पापुलेशन नहीं चाहते लेकिन जितने लोगों को आप अपने वहां से निकाल रहे हैं उनको यहां पर बसाने के लिये उतनी जमीन आपको देनी ही पड़ेगी। इसका बहुत अच्छा असर हुआ था।

आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान के प्रधान मंत्री श्री सुहरावर्दी आये दिन, हमारे प्राइम मिनि-स्टर साहब को गालियां देते रहते हैं और हम बैठ कर के सुनते रहते हैं। हर एक बात के ऊपर हम देखते हैं कि उनकी ओर से ज्यादती होती है और मजा यह है कि उनके द्वारा ज्यादती और जुल्म होने पर भी वे हमको गालियां देते हैं और दुनियां में यह बताने की कोशिश करते हैं कि भारत द्वारा उन पर जुल्म और ज्यादती हो रही है जब कि हकीकत बिलकुल उलटी है। हम लोग हमेशा उनकी हर बात को और ज्यादती को शान्ति से बर्दास्त करते जाते हैं। यह तो ठीक है कि हम उनको बर्दाश्त करें क्योंकि हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना चाहते, हम उनकी स्तर पर उतर कर अपने को जलील नहीं कर सकते और हमें करना भी नहीं चाहिये लेकिन उस के साथ साथ हमें यह चीज अवश्य देख लेनी चाहिये। कि दुनिया के सामने तस्वीर बिल्कुल साफ तौर पर मौजूद रहनी चाहिये कि वास्तव में हकीकत क्या है। आज वह तस्वीर और हकीकत पूरे तौर से जैसे पेश होनी चाहिये वह पेश नहीं हो रही है, ऐसा मुझ को लगता है। सही तस्वीर दुनिया के सामने पेश होना चाहिये।

अब मुझे थोड़ा सा क्लेम्स् के बारे में और विशेष रूप से विधवाओं के क्लेम्स् के बारे में कहना है। इस वक्त जो कम्पेंसेशन का कानून बना है और १९३७ के पहले का जो विधवाओं के हक के बारे कानून है उसमें बहुत फर्क है। पहले के कानून के मुताबिक तो विडोज को कुछ मिलता ही नहीं ऐसा कहूं तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी और उसको मिटाने की जरूरत है। आज आप के सामने

[डा० सुशीला नायर]

उड़ीसा हाईकोर्ट और मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की रूलिंग है कि जो आपका जो हिन्दू सक्सेशन बिल पास हुआ है उसके आधार पर आपको यह सारे अधिकार विधवाओं को देने चाहियें। अगर आज एक ज्वाइंट फैमिली के पास २० हजार रुपये का क्लेम है और उस ज्वाइंट फैमिली में दो बेटे हैं, एक बेटी है और एक विडो है तो आप दो बेटों का ही हिस्सा लगाते हैं लेकिन अब हिन्दू सक्सेशन बिल पास हो जाने के बाद उस २० हजार के क्लेम के आप को चार हिस्से करने चाहियें, ५, ५, हजार के, जितना बनता है आप हिसाब लगा कर उन चारों को दीजिये, जो प्रोपोर्शन आपने इसके लिये तय किया है उसके मुताबिक दीजिये लेकिन ऐसा न कर के विडोज को मेंटेनेंस शेयर देना बहुत नामुनासिब और अनुचित बात है और ऐसा न होना चाहिये। यह तो औरतों के हक को पूरी तरह से कुचलने की बात होगी। इसलिये मैं बड़े अदब से मंत्री महोदय से कहना चाहती हूं कि इस चीज को उन्हें दुरुस्त कर लेना चाहिये।

इसके अलावा मुझे यह कहना है कि जो हमारी बहनें आज कैम्प्स में पड़ी हुई हैं, उनके अलावा कई एक बहनें जो बड़ी मुसीबत में हैं, वे बाहर हैं कैम्पों में नहीं गई हैं, उनकी ओर ध्यान दिया जाये। एक इसी तरह की मुसीबत जदा बहिन मेरे पास आई थी और वह कह रही थी कि मैं अपनी अर्जदाश्त ले कर कल या परसों मंत्री महोदय के पास पहुंचूंगी ....

**श्री मेहर चन्द खन्ना** : आज सुबह पहुंच गयीं हैं।

**डा० सुशीला नायर** : वह बेचारी नहीं जानती थी कि क्लेम दिया जाता है, उसने अर्जी नहीं दी। जब मेरे पास वह आई तो मैं ने उस की बात को सुना और कागज वगैरह ले कर मंत्री महोदय के पास भेजा। उन्होंने शायद डिपार्टमेंट के पास भेज दिया होगा। मेरे पास एक रुटीन जवाब आ गया कि उस पर अब गौर नहीं किया जा सकता। अगर मुझे यह रुटीन जवाब ही लेना था, तो मंत्री जी को पत्र लिखने की क्या आवश्यकता थी। मंत्री महोदय ने खुद मुझे यह सबक पढ़ाया था जब कि मैं रिहैबिलिटेशन मिनिस्टर थी और वह रिहैबिलिटेशन ऐडवाइजर थे, कि अगर मामूली रुटीन का जवाब पाना था तो तुम्हारे पास आने की किसी को क्या जरूरत थी, सेक्रेटरी के पास जा सकते थे। आज मैं मंत्री महोदय को उन की ही बात याद दिलाना चाहती हूं। तो जो इस किस्म के हार्ड केसेज हों उन को सहानुभूति से देखना चाहिये। मैं समझती हूं कि जो दूसरे लोग हैं उन के क्लेम्स को चाहे आप एंटरटेन करें या न करें,, लेकिन जो विडोज हैं और जिन के क्लेम रह गये हैं, जो कि अपने अनजानपन में क्लेम नहीं रख सकीं, उन को आप को जरूर ऐंटरटेन करना चाहिये।

इसी तरह से सक्सेशन का सवाल है। उस के बारे में आप कह सकते हैं कि वह जा कर मुकदमा लड़ें, कोर्ट से इस चीज को दुरुस्त करवायें। वह बेचारियां कहां से जा कर मुकदमा लड़ें। उन के पास पैसा नहीं, साधन नहीं। और फिर अगर हकूमत ने क्लेम की जांच पुराने ढंग से रिअसेस करवा भी लिया तो वह कोई ब्रह्म वाक्य तो नहीं हो गया। मैं तो कहती हूं कि आप के दफ्तर में फाइलें पड़ी हैं, उन को आप फिर से देखिये, रिअसेस कीजिये, और जो कुछ हक से उस का बनता है वह दीजिये।

आप जो प्रापर्टी वगैरह आक्शन कर रहे हैं, मैं जानती हूं कि दस हजार से नीचे के आप नहीं कर रहे हैं लेकिन जो कर रहे हैं, उन के दाम आप अपने ही असेसमेंट से चार चार गुने और पांच पांच गुने ज्यादा ले रहे हैं। तो जो पैसा आयेगा उसे आप सरकारी तिजोरी में ला कर रखियेगा या रिफ्यूजीज को दीजियेगा ? मेरा नम्रता से निवेदन है कि इस तरह के जो हार्ड केसेज हों उन के क्लेम को ज्यादा करने में आप इस पैसे को खर्च करें, उस को सरकारी खजानें में डालने की बात न सोंचें। अगर आप ऐसा करेंगे तो यह रिफ्यूजीज के साथ न्याय की बात नहीं होगी। अन्याय की बात होगी।

इसी तरह से जो लोग दस हजार रुपये से कम के दुकानों में बैठे हैं उन को वे दुकानें ऐलाट करने का सवाल है। जैसे दिल्ली में ही कुछ मार्केट्स हैं। मंत्री महोदय ने एक सवाल के जवाब में कहा। जहां दुकानें रोड के पास हैं, जैसे कुतुब रोड है, दूसरी सड़कें हैं वह किसी को नहीं दे रहे हैं, उन की बात मैं समझ सकती हूं लेकिन जो दुकानें रोड के पास पर नहीं हैं, जैसे कमला मार्केट है, दूसरी जगहें हैं, अगर उन को आप रिफ्यूजीज को नहीं देंगे तो यह इन्साफ की बात नहीं है, यह मैं स्पष्टता से कहना चाहती हूं। यह कहना कि रामलीला कमेटी की जमीन है, इस के कोई माने नहीं हैं।

**श्री मेहर चन्द खन्ना** : रामलीला ग्राउंड की बात है।

**डा० सुशीला नायर** : भले ही रामलीला ग्राउंड की हो, लेकिन वहां रामलीला तो चल नहीं सकती जब कि वहां दूकानें बन गई हैं। वह दूकानें आखिर आप किसी और को देंगे। अगर उन को आप रिफ्यूजीज को देंगे तो मैं समझती हूं कि ज्यादा अच्छा होगा। हक की बात तो यह है कि जो रिफ्यूजी वहां बैठे हैं, उन को भी आप को देखना चाहिये। खान मार्केट में जिस बिना पर आप ने दिया उसी बिना पर आप को कमला मार्केट में भी देना चाहिये। इन दोनों में फर्क करना मुनासिब नहीं है, यह बात जितनी जोर से मैं कह सकती हूं, कहना चाहती हूं।

इसी तरह कई विडोज वगैरह इधर उधर पड़ी हुई हैं, बुड्ढे लोग पड़े हैं। मैं झांसी में गई। वहां एक बुड्ढा और बुड्ढी लकड़ी टेकते हुए आये। भूखों मर रहे हैं उन को पन्द्रह रुपये मिल रहे हैं, लेकिन पन्द्रह रुपये में स्त्री पुरुष दो कैसे गुजारा करें आज के जमाने में ? उन का कोई नहीं। आज सवेरे एक बुड्ढा मेरे पास आया, वह सुनार था, उस का अच्छा घर था, आज उस का बच्चा बेचारा मरने जैसा बीमार पड़ा है, उस के पास एक कौड़ी नहीं थी। खैर, जो मदद हो सकती थी, करके, उसे भेजा, जिस दरवाजे पर भेजा जा सकता था वहां भी भेजा। उस का आखिर क्या होगा, मैं नहीं जानती हूं। तो इस तरह के जो रोज बरोज केसेज आते रहते हैं उन की तरफ आप को ध्यान देना चाहिये। आप कह सकते हैं कि आम पब्लिक में भी तो ऐसे केसेज हैं। ठीक है, आम पब्लिक में भी हैं लेकिन हिन्दुस्तान में एक ज्वाइंट फैमिली का हमारा सोशल सिक्योरिटी का सिस्टम था। आज दूसरे देशों में सरकार की तरफ से सोशल सिक्योरिटी होती है, यहां हिन्दुस्तान में यह था कि कोई कोई बीमार पड़ा तो गांव चला गया, अगर नौकरी छूट गयी तो गांव चला गया, पति मर गया तो विधवा और बच्चे गांव चले गये। अपने घर के लोग, भले ही वह बहुत अच्छी तरह से न रक्ख लेकिन सड़क के ऊपर तो नहीं पड़ने देते थे। कुछ न कुछ उन का बन जाता था। लेकिन आज यह लोग बीमार पड़ें तो किस के दरवाजे पर जायें ? तो जरूरी है कि सरकार की तरफ से उन की सोशल सिक्योरिटी का इन्तजाम हो। जो होम्स बने हैं, उन में किसी को दाखिला नहीं मिलता। मैं तो कहती हूं कि साहब, आप अपनी स्कीम्स को आगे बढ़ाइये। आप यह मत सोचिये कि इन होम्स को बन्द कर दिया जायेगा आप को यह सोचना चाहिये कि आज की जो परिस्थिति बन गई है, पाकिस्तान बनने के बाद आप के करोड़ों लोगों का नार्मल पैटर्न आफ सोशल सिक्योरिटी (सामान्य सामाजिक सुरक्षा) टूट गया है, ऐसी स्थिति में उन की सोशल सिक्योरिटी का इन्तजाम गवर्नमेंट को करना होगा और इस के लिये आप को फेसिलिटीज बढ़ानी होंगी, आप उन को कम करने की नहीं सोच सकते हैं। बुड्ढों के लिये आप को क्या करना है, विधवाओं के लिये आप को क्या करना है, यतीमों के लिये क्या करना है आप यह तय करें। वे आज भटक रहे हैं चारों तरफ, और आप सोच रहे हैं कि जो होम्स बने हुए हैं उन्हें भी हटा देना है ? यह नहीं हो सकता। यह कोई इंसाफ की बात नहीं है, यह ह्यूमन प्वाइंट आफ व्यू से देखने की बात नहीं है। आज हम अपने देश को एक वेलफेयर स्टेट कहते हैं। तो वेलफेअर स्टेट में हम को वेलफेअर ऐक्टिविटीज की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा। वेलफेअर ऐक्टिविटीज की तरफ ध्यान देने के लिये हमें सोचना होगा कि हम किस तरह से इस रिहैबिलिटेशन विभाग

का संशोधन करें, इस को किस तरह से अधिक से अधिक सोशल वेलफेअर का रूप दें, यह बन्द करने का सवाल नहीं है, हमारे सोशल वेलफेयर की दृष्टि से इस का कुछ रूपान्तर होने की जरूरत है।

एक बात मैं और कहना चाहती हूं जो वेस्टर्न पाकिस्तान के बारे में है। मंत्री महोदय जब रिहैबिलिटेशन ऐडवाइजर थे, तो उन्होंने इत्तिफाक किया था मेरे साथ कि जिन लोगों ने कानून तोड़ कर जबरदस्ती घरों का कब्जा नहीं किया धर्मशालाओं, स्कूलों, घरों और पब्लिक बिल्डिंग्स में जा कर नहीं घुस सके, ऐसे लोग जो शराफत में आ कर अपने किसी दोस्त या किसी रिश्तेदार के घर में न कहीं न कहीं सर छिपा कर पड़ गये, और जिस को ऐसे पड़े बरसों हो गये हैं, उन के वास्ते भी कुछ न कुछ होना चाहिये। उन की इतनी ही खता है कि उस वक्त उन्होंने कानून तोड़ कर जबरदस्ती कब्जा नहीं किया। उन के लिये मंत्री महोदय ने मकान बनाने की एक स्कीम बनाई थी। उसके मुताबिक उन्होंने कुछ लोन्स दे कर और जमीनों की कुछ मदद दे कर उन को बसाने की बात कही थी वह स्कीम कहां चली गई, मैं नहीं जानती। मुझे पता है कि कुछ लोग कहते हैं कि बम्बई में भी तो लोग सड़क की पटरियों पर सोते हैं, पाकिस्तान से आने वाले भी सो गये तो क्या हुआ? लेकिन यह बहुत निर्दयता की बात है। मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि बम्बई में कोई सड़क की पटरियों पर आ कर सो सकता है, लेकिन उस के पास कोई न कोई घर है, जरूरत के वक्त वहां वह जा सकता है, बीमारी में घर जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान से आये हुये लोगों के पास ऐसी कोई जगह नहीं है, आज दस बरस हो गये, और उन को कोई राहत नहीं दी गई हैं। फिर कई लोग कहते हैं कि उन में से कई के पास पाकिस्तान में कहां जायदादें थीं? अरे, वह जो डिस्पैरिटी थी, जो अनईक्वालिटी थी, उसको निकालने की बात हो रही है। हमारा सारा टैक्सेशन स्ट्रक्चर इस की मिसाल है कि डिस्पैरिटी खत्म हो और अन्डरडाग को ज्यादा से ज्यादा मदद हम दे सकें। अगर पहले किसी के पास मकान नहीं था, और आज हो जाता है, तो इस में बुरा मानने की बात नहीं है, यह तो हमारे खुश होने की बात है क्योंकि इस रिहैबिलिटेशन की मार्फ़त हमारा सोशलिस्ट पैटर्न आगे बढ़ता है।

अन्त में मैं माननीय मंत्री महोदय से बहुत नम्रता से निवेदन करना चाहती हूं कि वह इस चीज की तरफ फिर से तवज्जह दें और इस स्कीम को फिर से सामने लायें जिन बेगुनाहों ने कानून नहीं तोड़ा वह भी आप की मदद के हकदार हैं, उन की तरफ भी आप का कुछ फर्ज है। विडोज के बारे में और सोशल वेलफेअर के बारे में मैं ने जो निवेदन किया है उस की तरफ भी आप जितनी तवज्जह दे सकेंगे देंगे, ऐसी मुझे आशा है।

**श्री च० कृ० नायर** (बाह्य दिल्ली): माननीय सभापति महोदय, मैं दिल्ली का नुमाइन्दा हूं, इसलिये रिफ्यूजी प्राब्लेम के बारे में बोले बगैर मैं नहीं रह सकता। आप जानते हैं कि दिल्ली में सब से ज्यादा रिफ्यूजी आबाद हैं। दिल्ली में कम से कम पांच या छः लाख रिफ्यूजी हैं, जितने देश के किसी भी दूसरे हिस्से में नहीं हैं। इन छः लाख आदमियों में सब के सब ईस्ट पंजाब के शहरों में रहने वाले हैं, लाहोर, रावलपिण्डी, गुजरात वगैरह। जब पाकिस्तान बना तो वे लोग छोटे कस्बों में नहीं गये, क्योंकि वह खेती नहीं कर सकते थे। वह ईस्ट पंजाब में भी इसी लिये नहीं गये, वहां वे करते भी क्या? अब चंकि यह दिल्ली में आ कर बसे, उन को कई बड़ी बड़ी समस्यायें हैं। मैं उन में से केवल चन्द बातों की तरफ मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहता हूं।

हमारे मंत्री जी ने रिहैबिलिटेशन के बारे में जो काम किया है, उस को किसी को बताने की जरूरत नहीं है, उन्होंने बहुत बड़ा और शानदार काम किया है, और वह भी अपनी पर्सनैलिटी की वजह से; उन के पहले भी मंत्री रह चुके हैं लेकिन असली काम करने वाले तो तब भी यही

थे। आखिर में यह काम जाहिर तौर पर उन के हाथ में आ गया। उन्होंने इस सवाल को बहुत हिम्मत के साथ और दिलेरी के साथ, बल्कि मैं तो कहूंगा कि बड़ी हमदर्दी के साथ किया। दूसरे लोग कभी कभी तरह तरह की बातें भी कहते रहे, तो भी वह बहुत हमदर्दाना तरीके से काम करते रहे। पठान होने की वजह से कभी कभी कड़वी पर सच्ची बात भी सुनाते हैं लेकिन उनके दिल में सब के लिये हमदर्दी है, इस में कोई शक नहीं। उन के बड़े बड़े कामों में सब से बड़ा काम, मैं समझता हूं, दिल्ली का ही रिहैबिलिटेशन है। दिल्ली में करोड़ों रुपये खर्च करके २० से ज्यादा कालोनीज बनाई गई, ८० से ज्यादा मार्केट्स बनाई गई। इस तरह से उन्होंने बड़ा शानदार काम किया है। मैं समझता हूं कि इनके तमाम काम में सबसे बड़ा तुर्रा दंडकारण्य का पुनरुद्धार होगा। अगर दंडकारण्य को अच्छी तरह से डेवेलप किया जाये तो बंगाली रिफ्यूजियों की समस्या हल हो सकती है। जैसा कि मेरे पूर्ववक्ता डा० सुशीला नायर ने कहा सचमुच में इस काम को तो पहले ही हाथ में लेना चाहिये था। इसको डेवेलप करने में दो तीन साल लगेंगे लेकिन हमें इस काम को करना है और हिम्मत के साथ करना है। इसलिये मैं एक तजवीज़ करूंगा कि इस काम को बढ़ाने के लिये हमें फौज की मदद लेनी चाहिये। डिफेंस डिपार्टमेंट की मार्फत इस प्लान को डेवेलप कराया जाये तो यह काम बहुत जल्दी हो सकता है। उनकी मार्फत बड़े बड़े ट्रैक्टर भी आसानी से लाये जा सकते हैं और इस काम को वार फुटिंग पर पूरा किया जा सकता है। ईस्ट बंगाल से इतना बड़ा इनफ्लक्स होता आ रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों हम इस काम को वार फुटिंग पर हैंडिल न करें। इसके अलावा जहां तक हो सके एन० सी० सी० और ए० सी० सी० के कैम्प भी वहां पर कंसेंट्रेट किये जायें। इस प्रकार बहुत पैसा भी बच जायेगा और हमारे नौजवानों को इस रिहैबिलिटेशन के काम में हाथ बंटाने का मौका भी मिलेगा।

अब मैं दिल्ली की तरफ आता हूं। पहली बात तो मुझे यह कहनी है कि गवर्नमेंट आठ नौ मार्केट्स को अपने हाथ में रखना चाहती है। मैं इसमें कोई अक्लमन्दी नहीं देखता। अंग्रेजी हुकूमत में जरूर यह होता था कि सरकार ज्यादा से ज्यादा जायदाद अपने हाथ में अलग रखना चाहती थी। पर अब इसकी क्या जरूरत है। अंग्रेज तो केंटोनमेंट्स को भी अलग रखना चाहते थे क्योंकि उनका हिन्दुस्तान पर मिलिटरी आकुपेशन था। वह छावनियों को भी जनता से दूर रखना चाहते थे। लेकिन आज वह चीज़ नहीं है। अब तो हमें छावनियों का प्रबन्ध भी आम जनता के प्रतिनिधियों को साथ मिला कर करना चाहिये। गवर्नमेंट जब चाहे कोई भी चीज़ ले सकती है। लेकिन यह जो इन मार्केट्स को अपने कब्जे में लेकर किराये पर देने का गवर्नमेंट का इरादा है इसको मैं एक छोटा खयाल समझता हूं। मैं नहीं समझता कि हमारे वजीर साहब जो कि पठान हैं उनके दिमाग में यह चीज़ आ सकती है। यह तो और कहीं से निकली है और उन्होंने इसको डिट्टो कर दिया है। मैं समझता हूं कि इस विषय में वजीर साहब को कुछ मैगनेनीमस सी सोचना चाहिये।

दूसरी बात जो मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं वह कुछ कालोनीज़ के बारे में है जैसे मोती नगर और रमेश नगर। साउथ और वेस्ट दिल्ली के पास कई कालोनीज़ हैं। उनमें अमेनिटीज़ के लिये मंत्री महोदय ने बहुत काम किया है लेकिन अभी भी उस काम में कोआर्डिनेशन की कमी है। वहां के काम को न म्युनिसिपैलिटी ही करती है और न रिहैबिलिटेशन विभाग करता है। मैं चाहता हूं कम से कम सैनिटेशन वगैरह के काम को म्युनिसिपैलिटी के सुपुर्द कर दें और जो पैसा इस काम के लिये रिहैबिलिटेशन विभाग के पास हो वह उसको ट्रांस्फर कर दें जिससे कि वह काम ज्यादा सुचारू रूप से ही हो सके। इसके अलावा भी वहां कई और चीजें करने की हैं। वहां पर अभी अंडरग्राउंड्स सीवेज नहीं बना हुआ है, सड़कों और गलियों में भी खामियां हैं। रमेश नगर में एक अच्छा अस्पताल बना हुआ है लेकिन अभी तक वहां काम शुरू

[श्री च० कृ० नायर]

नहीं हुआ है । वह अस्पताल तीन साल से इसी तरह पड़ा हुआ है । मेरी समझ में नहीं आता कि कब वहां काम शुरू किया जायेगा और वह काम किसके सुपुर्द होगा । इसके बारे में भी गवर्नमेंट को तहकीकात करनी चाहिये और उस काम को जल्दी करना चाहिये ।

एक और बहुत अहम चीज़ है । दिल्ली में लाखों आदमियों को बसाया गया है लेकिन कुछ फैमिलीज़ अब भी पटरियों पर पड़ी हुई हैं । एक खास तारीख के बाद जो आदमी आये हैं उनको रिहैबिलिटेशन का हक नहीं मिला है । मैं समझता हूं कि इस वक्त जब कि रिहैबिलिटेशन के आखिरी हिस्से में से हम गुजर रहे हैं, तो उन लोगों को बसाने का प्रबन्ध भी करना चाहिये ।

इसी प्रकार जो बहुत से दूकानदार पड़े हैं और जो रेड़ी चलाने वाले हैं उनके बारे में भी आखिरी फैसला आपको करना चाहिये ताकि रिहैबिलिटेशन का काम सम्पूर्ण हो जाये ।

एक चीज़ बहुत जरूरी है । उसके बारे में भी मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं । यह सवाल क्लेमेंट्स का सवाल है । आपने क्लेमेंट्स की कई कैटेगरीज़ बनायी हैं जिनको पहले पहले पेमेंट किया गया । लेकिन छोटे क्लेम वालों की इनमें बारी नहीं आयी । मैं समझता हूं कि इस पर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिये । कम से कम पांच हजार से कम या दस हजार से कम जितने क्लेमेंट्स हैं उनका कम्पेन्सेशन जल्दी से जल्दी दिया जाना चाहिये ।

मैं मंत्री जी का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इंस्टालमेंट का जो बड़ा आन्दोलन चल रहा था उसको शान्त कर दिया और तीन के बजाये आठ इंस्टालमेंट कर दिये । लेकिन इसमें एक छोटी सी तरमीम करनी है । आप पहले इंस्टालमेंट में २० परसेंट मांग रहे हैं । मैं समझता हूं कि आठों इंस्टालमेंट आप बराबर कर दें यानी हर इंस्टालमेंट साढ़े १२ पर सेंट कर दिया जाये । इससे इन गरीबों को कुछ राहत मिल सकती है ।

इन शब्दों के साथ मैं रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री की डिमांड्स की ताईद करता हूं ।

**श्री अजित सिंह** (भटिण्डा—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : सभापति जी, मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आखिरकार आप ने मुझे टाइम दे ही दिया । मैं चार पांच पायंट्स माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं और ज्यादा वक्त न लेता हुआ मैं शिड्यूल्ड कास्ट्स और उन लोगों के बारे, में, जो कि मुल्क के पार्टीशन के वक्त फौज में थे, कुछ कहना चाहता हूं ।

जसा कि सुशीला जी ने कहा है, यह बात सच है कि कई विडोज़ (विधवा) वक्त पर अपने क्लेम्ज़ दाखिल नहीं कर सकीं और अब उन के क्लेम्ज़ एन्टरटेन नहीं किये जाते हैं । इसी तरह शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग अनपढ़ होने की वजह से अपने क्लेम दाखिल नहीं कर सके । बेशक कानून में उन के लिये कोई गुंजायश नहीं है, लेकिन मैं इल्तजा करूंगा कि अगर ऐसे कोई केसिज़ आ जायें—अव्वल तो पाकिस्तान में हरिजनों में कोई अमीर आदमी थे ही नहीं, जो यहां आ कर क्लेम दाखिल करते, लेकिन अगर कुछ लोग वक्त पर ऐसा न कर सके हों — तो उन पर हमदर्दी के साथ ग़ौर किया जाय ।

अब मैं सर्विंग सोल्जर्ज़ के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूं । उस वक्त जो सिपाही, हवलदार या ज० सी० ओज़० एक्टिव सर्विस पर थे, वे इस वजह से अपने क्लेम्ज़ दाखिल नहीं कर सके कि वे उस वक्त मुल्क से दूर थे—बाहर थे । मैं इल्तजा करना चाहता हूं कि अगर कानून में उनके लिए कोई प्राविज़न बना कर उन के क्लेम्ज़ को एन्टरटेन किया जाय,

तो यह कन्ट्री और डिस्प्लेस्ड पर्सन्ज़ की बहुत कुछ खिदमत और मदद होगी। इन को बसाने के लिए मैं कुछ सजेशन्ज देना चाहता हूं।

दिल्ली में या और शहरों में जो नान-क्लेमेंट रेफ्यूजी हैं, उन को व मकान दिए जाते हैं, जिनकी कीमत दस हज़ार से कम होती है। पिछले बजट के मौके पर हम ने इस सिलसिले में जो सजेशन्ज़ (सुझाव) दिए थे, गवर्नमेंट ने बेशक उन को काफी हद तक मन्जूर कर लिया। उस वक्त हम लोगों ने बड़े जोर शोर से कहा था कि चार किस्तों के बजाय बीस किस्तें रखी जायें। मैं मशकूर हूं रीहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री का कि उसने बीस किस्तें नहीं तो आठ किस्तें तो मुकर्रर कर दीं, लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ये आठ किस्तें थोड़ी हैं, इनसे रिफ़्यूजियों को उतना रिलीफ़ नहीं मिलेगा, जितना कि मैं चाहता था। मैं चाहता हूं कि बीस नहीं तो पन्द्रह किस्तें कर देना चाहिये, जिससे डिस्प्लेस्ड पर्सन्ज़ को कुछ सहूलियत मालूम हो।

मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं। गवर्नमेंट ने वह अस्सी हज़ार एकड़ ज़मीन रिकवर कर ली है, जो कि ग़लती से या लोगों की ठगबाज़ी से रेफ्यूजियों को दो दो वार एलाट कर दी गई थी। मैं अर्ज़ करूंगा कि यह ज़मीन गांवों के उन लोगों को दे दी जाय, जो कि हरिजन—शैड्यूल्ड कास्टस के हैं और जो नान-क्लेमेंट हैं। इस तरह काफ़ी लोगों की रीहैबिलिटेशन हो सकती है।

मैं मुस्लिम इवकुई प्रापर्टी के बारे में कुछ लफ्ज कहना चाहता हूं। पंजाब में गांवों में मुसलमानों की ज़मीन थी और उस ज़मीन को गवर्नमेंट ने अपने चार्ज में ले लिया है। आज-कल उस ज़मीन की नीलामी हो रही है। मेरा सुझाव यह है कि उस ज़मीन को सिर्फ हरिजन रेफ़्यूजियों और सर्विंग सोलजर्ज़ के बीच में, जिन्हों ने क्लेम्ज़ नहीं दिए हैं, नीलाम किया जाय, ताकि वे लोग भी दूसरे सिटिज़न्ज की तरह अपना गुज़ारा कर सकें।

शहरों म जो नान-क्लेमेंट हरिजन बसते हैं, मैं उन के बारे में भी अर्ज़ करना चाहता हूं कि उन लोगों को एविक्शन (बेदखली) आर्डर न दिए जायें। मैं देख रहा हूं कि आज-कल करनाल में, भटिन्डा में और दूसरे शहरों में—शहरों में ही नहीं, बल्कि गांवों में भी—जो हरिजन मकानों में रहते थे, उन को निकाल दिया जाता है और लैंडलार्डेज़—ज्यादा ज़मीन वाले—स्टाफ़ वालों को रिश्वत दे कर उन मकानों को अपने नाम एलाट करा लेते हैं—चाहे उन के पास पहले ही चार चार मकान क्यों न हों। मैं ऐसे कई केसिज़ पेश कर सकता हूं।

फुल कम्पेन्सेशन (पूरे प्रतिकर) के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट की पालिसी यह है कि उस ने दो लाख तक के क्लेम्ज़ को मंजूर करने का बयान दिया है और ऐसा होता भी है। मैं चाहता हूं कि पचास हज़ार रुपये तक जो कम्पेन्सेशन है, वह पूरा दिया जाय और उस में कोई कटौती नहीं होनी चाहिये, क्योंकि मिडल क्लास के लोगों को अगर बहुत कम दिया जायगा, तो उन्हें गुज़ारा करने में बहुत मुश्किल होगी। मिनिस्टर साहब कहेंगे कि यह पैसा आयगा कहां से। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि पिछले फ़ाइव ईअर प्लेन में हम ने रीहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री पर ६६,८,००,००० रुपये खर्च करने के लिये रखे थे, लेकिन खर्च हुए सिर्फ ४३,८,००,००० रुपये। हमारे पास इस तरह २३ करोड़ रुपये बच जाते हैं। इस रकम को अगर हम इवैकुई पूल में डाल दें, तो मैं समझता हूं कि अगर सारे के सारे पचास हज़ार रुपये वाले डिस्प्लेस्ड पर्सन्ज़ को नहीं तो ७५ परसेंट लोगों को जरूर फुल कम्पेन्सेशन मिल सकता है।

[श्री अजित सिंह]

इस के बाद मैं उस इमतियाजी सलूक के बारे में कुछ अर्ज़ करना चाहता हूं, जो कि देहात और शहर के लोगों से किया जाता है। देहात में जिस आदमी को तीन सौ रुपये तकावी के तौर पर दिए गए, गवर्नमेंट आफ़ इंडिया उस से वह रकम वसूल कर रही है, लेकिन शहरों में तीन सौ रुपये जो दिए गए हैं, वे वापिस नहीं लिये जा रहेहैं—उन को माफ़ कर दिया गया है। मैं उस के खिलाफ नहीं हूं। मैं खुश हूं कि गवर्नमेंट ने शहर वालों को माफ़ कर दिया है, लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी अर्ज़ करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने जिन गांवों वालों को तीन सौ रुपये तक तकावी के तौर पर कर्ज़ दिया है, उन को भी माफ़ कर दिया जाय और इस सिलसिले में कोई डिस्क्रिमिनेटरी सलक नहीं होना चाहिये, जिस से कि देहात और शहर वालों में फ्रिक्शन पैदा हो।

अब मैं गुरुद्वारा ननकाना साहब के मुताल्लिक अर्ज़ करना चाहता हूं। वहां पर एक ननकाना साहब ट्रस्ट था, जिस के पास तकरीबन अस्सी लाख रुपया था। उस के एवज़ में सारा पैसा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी—एस० जी० पी० सी०—को दिया जाये। मुझे यह भी मालूम है कि कुछ ज़मीन लीज़ के तौर पर एस० जी० पी० सी० को दी गई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वह ज़मीन लीज़ के तौर पर नहीं बल्कि पर्मानेंट एलाटमेंट के तौर पर उस को दी जाय।

पिछले सैशन में मैं ने अर्ज़ किया था कि जो मुसलमान पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान नहीं गए, गवर्नमेंट ने उन की प्रापर्टी पर भी कब्ज़ा कर लिया। वे लोग कहीं गए नहीं, लेकिन उन की प्रापर्टी को इवैकुई पूल में डाल कर दूसरे लोगों में बांट दिया गया। ऐसी बात नहीं होनी चाहिये। मैं निहायत आजिज़ाना तौर पर रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर इस तरह की कोई शिकायत हो, तो मिनिस्टर साहब उस पर गौर करें।

**श्री मेहरचन्द खन्ना :** कोई केस अगर आप की नज़र में हो, तो मेरे पास भिजवा दीजिए।

**श्री अजित सिंह :** मैं जनाब का धन्यवाद करता हूं। मैं ऐसे केसिज़ बहुत दे सकता हूं।

आखिर में मैं खन्ना साहब का धन्यवाद करता हूं कि उन्हों ने पिछले बजट के मौके पर दी गई हमारी बहुत सी सजेस्शन्ज़ को मान लिया इसी वजह से गरमी से बोलने की हमारी हिम्मत नहीं होती। मुझे उम्मीद है कि जिस हमदर्दी और नरमी के साथ वह रेफ़यूजीज़ के मसलों पर गौर करते हैं, वह उस को आगे भी जारी रखेंगे।

†**श्री सुबिमल घोष** (बर्दवान) : श्रीमान्, शरणार्थियों की समस्यायें वैसे तो बहुत सी हैं परन्तु मैं केवल उनके पुनर्वास के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। मैं शरणार्थियों के दुखों को यहां बता कर आप का समय लेना नहीं चाहता। पश्चिमी बंगाल के निवासी भूखे मरने तथा अकाल मृत्यु के आदी हो चके हैं और उन की तकलीफ़ों को बार बार यहां बताना बेकार सा ही है। मेरा निवेदन तो यह है कि लोग भूख की आग को तो बर्दाश्त कर सकते हैं परन्तु क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि एक १७ वर्ष की युवती सियालदा के स्टेशन प्लेटफार्म पर खुले में एक बच्चे को जन्म दे। यह एक सच्ची घटना है जो ४ अगस्त को वहीं पर हुई। शरणार्थियों की तकलीफ़ें और उन की समस्यायें अभी दूर नहीं हुई हैं। इन को हल करने में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

शरणार्थियों के पुनर्वास के बारे में बहुत सी बातें कही गई और बहुत से सुझाव दिए गए जिन में से एक आजकल दण्डकारण्य योजना भी है। दण्डकारण्य योजना के बारे में मंत्री महोदय ने एक छोटी सी पुस्तिका निकाली है जिसमें बताया गया है कि भूमि भाग तीन राज्यों में फैला हुआ है। मंत्रालय ने कहा है कि वहां परिवहन और संचार के कोई साधन नहीं हैं। सब से मज़ेदार बात उस में यह बताई गई है कि इस काम के लिये ज़ोर पकड़ने में मंत्रालय को दो, तीन वर्ष लगेंगे। जब ज़ोर पकड़ने में सिर्फ़ तीन वर्ष लगेंगे तो मैं नहीं समझता कि यहां पुनर्वास किस प्रकार की व्यवस्था की जायेगी। मैं यही जानना चाहता हूं कि तब तक ये बेचारे शरणार्थी कहां रहेंगे। इस सम्बन्ध में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि पश्चिमी बंगाल के पुरुलिया जिले में इतनी भमि है जिसमें थोढ़ा धन व्यय कर के शरणार्थियों को बसाया जा सकता है। इस के अतिरिक्त यदि पुरुलिया ज़िले की भूमि कम पड़े तो धालभूम और सन्थाल परगना में इतनी भूमि बेकार पड़ी है जिसका इस के लिये उपयोग किया जा सकता है। जो कठिनाइयां दण्डकारण्य में पुनर्वास के लिये हमारे सामने आती हैं वह इन भूमि भागों में शरणार्थियों का पुनर्वास करने में नहीं आती हैं।

मेरे द्वारा बताये गये क्षेत्रों में शरणार्थियों का पुनर्वास कर देने पर यह प्रश्न उठता है कि दण्डकारण्य की भूमि को कृषि योग्य बना कर उस का क्या किया जाये। उस के लिये मेरा सुझाव है कि शरणार्थी अधिक संख्या में आ रहे हैं और आते रहेंगे सरकार को पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों की भारी संख्या का प्रबन्ध करने के लिये तैयार रहना चाहिये। यह सोचना ग़लत होगा कि इनका आना बन्द हो गया है या बन्द हो जायेगा। इस लिये इस भूमि को तैयार कराके भविष्य में आने वाले शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये रखा जाये।

अन्त में, मैं यही कहूंगा कि मंत्रालय को पता होना चाहिये कि शरणार्थियों की आज की हालत की जिम्मेदारी उन पर और उन के कार्यों पर है। उन के लिये ठीक व्यवस्था करना सरकार का परम कर्तव्य है। इस लिये ऐसा कोई काम अब नहीं किया जाना चाहिये जिस से शरणार्थियों को और अधिक कठिनाइयां उठानी पड़ें।

†**श्री दो० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : सभापति महोदय, मैंने इस मंत्रालय की सर्वदा आलोचना की है परन्तु गत छः वर्षों से इस सभा में चर्चा सुनते सुनते मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि हमें इस मंत्रालय के सम्बन्ध में कुछ उदारतापूर्वक विचार करना चाहिये। आप प्रथम महा युद्ध के शरणार्थियों की ओर देखिये उनको पूरी तरह आज तक नहीं पुनर्वासित किया जा सका है। परन्तु अपने इस मंत्रालय ने शरणार्थियों को पुनर्वासित करने में पर्याप्त सफलता प्राप्त की है। यद्यपि कुछ थोड़ी सी कमियां यहां वहां हो सकती हैं। इस मंत्रालय ने शरणार्थियों के लिये मकान बनवाये, कुमारी लड़कियों के विवाह में दहेज़ का बन्दोबस्त किया, और कुटीर उद्योग आदि योजनाओं के लिये छात्र-वृतियां दीं। फिर भी मैं नहीं जानता कि इस मंत्रालय की प्रशंसा के लिये दो शब्द भी किसी सदस्य ने क्यों नहीं कहे। मैं उन की प्रशंसा न होने का कारण यह समझता हूं कि उनका मंत्रालय अंग्रेज़ी ज़माने की नौकरशाही के आधार पर ही काम कर रहा है और जनता को अपना विश्वास पात्र नहीं समझता है। सभी समस्याओं को अपने विभाग में तय करता है क्योंकि वह समझता है कि विभाग के अधिकारी सब कार्यों में पारंगत हैं। अन्य मंत्रालय संसद् सदस्यों को विश्वासपात्र समझकर, समस्याओं को निबटाने के लिये गैर सरकारी समितियां नियुक्त करते हैं परन्तु पुनर्वास मंत्रालय अपने पदाधिकारियों के अतिरिक्त किसी को भी इस योग्य नहीं समझता जो शरणार्थियों आदि की समस्याओं के हल ढूंढ सकें। यदि वह मंत्रालय भी एक गैर सरकारी समिति नियुक्त करे तो बहुत से ऐसे सुझाव आ सकते हैं जिन से

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दी० चं० शर्मा]

इस मंत्रालय के कार्यों पर प्रकाश पड़ सकता है। मेरा पुनर्वास मंत्री से नम्र निवेदन है कि वह इस सभा के सदस्यों का विश्वास प्राप्त करें और उन्हें अपनी समस्याओं के हल करने में सहयोगी बनायें तो निश्चित रूप से जो काम उन्हों ने किया है उस की जानकारी होने पर सभा के सदस्य उनकी प्रशंसा करेंगे ।

इस मंत्रालय की बहुत सी समस्यायें हैं जिन में से एक पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों की है । इस सम्बन्ध मे मैं कहना चाहता हूं कि हमारा मंत्रालय दूरदर्शिता से और सतर्कता से इन को बसाने का काम नहीं कर रहा है। पाकिस्तान की हालत आज कुछ ऐसी है जिस में वहां पर एक भी हिंदू का रहना बड़ा कठिन है । इसी लिये मंत्रालय को पहले से ही इस सम्बन्ध में तैयार रहना चाहिय जिस से जब वह भाग कर आयें तो उन को उचित स्थान पर पुनर्वासित किया जा सके। हमने इस सम्बन्ध में कछ योजनाय बनाई हैं जैसे दण्डकारण्य योजना। परन्तु दण्डकारण्य योजना के पूरा होने से पहले ही हमें कोई और योजना बना लेनी चाहियें जिस से दण्डकारण्य के भर जाने पर शरणार्थियों को वहां बसाया जा सके ।

हम सब पाकिस्तान के साथ बातचीत की चर्चा कर र हैं । हमारे मंत्री प किस्तान से बातचीत करते रहे हैं और मेरे विच र से वह इन बात चीतों में अन्य विषयों पर बातचीत की अपेक्षा इतने असफल नहीं रहे हैं। अभी हम बहुत सी बातें तय करनी हैं। बहुत से मामले जैसे घरेलू सामान का मामला, बन्दूकों आदि का प्रश्न; लाकर और सेफ डिपोज़िट आदि के मामले बहुत दिनों से यूंही पड़े हैं और कोई प्रगति नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि जो पदाधिकारी इन बातचीतों में भाग लेते हैं उनको इस पर अधिक ध्यान देना चाहिये जिस से मामले शीघ्र सुलझाये जा सकें। जैसा कि मैं ने ारम्भ में कहा यह मंत्रालय काफ़ी अच्छा काम कर रही है। जहां तक पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों का प्रश्न है मेरा सुझाव है कि हमें सभा के सभी वर्गों की एक समिति बनानी चाहिये जिस से हमें उन सभी कामों की पूरी जानकारी हो जाये जो हम इस समय कर रहे हैं अथवा जो कुछ हम भविष्य म करना चाहते हैं ।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** अब से ढाई वर्ष पूर्व, प्रधान मंत्री ने मुझे पुनर्वास मंत्रालय का कार्य संभालने के लिये आमंत्रित किया था। यद्यपि मेरा सम्बन्ध पुनर्वास मंत्रालय से लगभग प्रारम्भ से ही है परन्तु पूर्वी क्षेत्र में पुनर्वास और सहायता की समस्याओं के सम्बन्ध में मुझे बहुत कम जानकारी थी क्योंकि मैं अधिकांशतः पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास में लगा था। समस्या को पूरी तरह समझने के लिये मैं ने प्रधान मंत्री से प्रार्थना की थी कि मुझे अपना मुख्य कार्यालय कलकत्ते ले जाने की अनुमति दीजिये। उन्हों ने कृपा करके मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी । श्रीमान् जैसा आप जानते हैं पुनर्वास मंत्रालय दिल्ली में स्थित है और उसके मुख्य मंत्री का कार्यालय कलकत्ते में। पूर्वी पाकिस्तान से आये अपने दुखी भाइयों की सेवा के लिये मैं वहां गया परन्तु वहां पहुंचने के तुरन्त ही बाद मुझे पत लग गया कि वहां की समस्या पश्चिमी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों की समस्या से भिन्न प्रकार की है। वहां हम पूर्णतः पाकिस्तान की राजनैतिक स्थिति पर निर्भर थे। जो हिन्दू वहां थे और जिन्हों ने पाकिस्तान के गणतन्त्र के प्रति वफादारी की शपथ ले ली थी वह भी नहीं जानते थे कि भविष्य में उन की स्थिति क्या होगी ।

पश्चिमी क्षेत्र में ४७ से ४८ लाख शरणार्थी हैं और पूर्वी क्षेत्र में ४१ से ४२ लाख । संख्या लगभग एक ही है। मैं श्री दलियास को विशेष तौर पर एक बात बताना चाहता हूं कि जो १० या

†मूल अंग्रेजी में

१२ लाख मुलसमान भारत के पश्चिमी बंगाल, आसाम और त्रिपुरा से पाकिस्तान गये वह सभी नेहरू लियाकत करार के अधीन लौट आये और उन को उन की सम्पति वापस दिला दी गई है। परन्तु पाकिस्तान के इलाके में क्या हुआ । यद्यपि श्रीमती रेणु चक्रवर्ती का मेरे से बहुत सी बातों में मतभेद हो सकता है परन्तु वह भी कम से कम इस बात को ज़रूर मान लेंगी कि पश्चिमी बंगाल से एक भी हिन्दू पूर्वी पाकिस्तान नहीं गया और किसी को भी सम्पत्ति वापस नहीं दिलाई गई है ।

वर्ष १९५५–५६ में पश्चिमी बंगाल में प्रति मास २०,००० व्यक्ति आ रहे थे । उस समय शिवरों में कोई १·४ लाख व्यक्ति थे । मैं पाकिस्तान जाकर वहां के राष्ट्रपति से मिला परन्तु उसका कोई लाभ नहीं हुआ और अगले वर्ष में यह संख्या २०,००० से २७,५०० हो गई। दो वर्षों में लगभग ६ लाख व्यक्ति आये । शिवरों के भी व्यक्तियों की संख्या १·४ लाख से ३·५ लाख हो गई ।

मुझे इस का बड़ा ही दुख है कि शुक्रवार को मेरे एक अन्यतम मित्र ने, जो कि वित्त मंत्रालय से संबंधित रहे हैं, मुझ पर अपव्यय करने के आरोप लगाये और मुझे रुपया बरबाद करने का दोषी ठहराया । परन्तु म अपने शरणार्थी भाइयों को कलकत्ते में बेघर बार भूखे प्यासे नहीं देखना चाहता था ; मैं ने उन्हें रहन के लिये मकान और खाना दिया और उन के बच्चों के लिये शिक्षा की व्यवस्था कराई । क्या यह एक अपव्यय था ? क्या कोई व्यक्ति अथवा सरकार विभाजन के सताये हुए व्यक्तियों को सड़कों पर मरने देना पसन्द करेगी ? आप इन व्यक्तियों पर व्यय किये गये धन को अपव्यय कह सकते हैं ? मानवता के लिये यह व्यय करना ही पड़ा था और यदि पुनः ऐसी ही आवश्यकता हुई तो मैं इस पर और धन व्यय करने में नहीं हिचकिचाऊंगा ।

श्री घोष ने दो बातें कहीं एक तो यह कि पूर्वी पाकिस्तान के लिये पर्याप्त धन आवंटित नहीं किया गया है ।

†**श्री बिमल घोष** (बैरकपुर) : मैं ने यह नहीं कहा ।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : किसी और ने कहा होगा । दूसरी बात यह कही गई कि गत दो वर्षों में उन के लिये कुछ नहीं किया गया है ।

सभा को यह बताने से पूर्व कि क्या किया गया है, मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि १ अप्रैल, १९४८ से ३१ मार्च, १९५७ तक अर्थात् लगभग ९ वर्षों में लगभग १०५ से ११० करोड़ रुपया पूर्वी क्षेत्र के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये व्यय किए गए हैं । मैं बंगाल के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं क्योंकि ऐसा कहा गया है कि पश्चिमी क्षेत्र पर अधिक व्यय धन किया गया है और पूर्वी क्षेत्र के लिये पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है । मैं अपने से पहले मंत्रियों के सम्बध में कुछ नहीं कहूंगा । मैं अभी कह चुका हूं कि पूर्वी क्षेत्र के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास से मेरा सम्बन्ध नहीं रहा था ; मेरा सम्बन्ध इन के अतिरिक्त विस्थापित व्यक्तियों से था। परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि १९५५–५६ और १९५६–५७ के दो वर्षों में जब से मैं इस मंत्रालय का प्रभारी हूं ३६ करोड़ रुपये पूर्वी बंगाल क्षेत्र पर व्यय किए गए हैं । इस से पहले सात वर्षों में औसतन ९ करोड़ रुपये प्रति वर्ष व्यय किये गये । मेरे कार्य संभालने के पहले वर्ष में १६ करोड़ और गत वर्ष २० करीड़ रुपपये व्यय किये गये जिनका औसत लगभग १८ करोड रुपये आता है। कुल आवंटित धनराशि का लग भग ३० से ४० प्रतिशत गत दो वर्षों में पूर्वी क्षेत्रों के पुनर्वास की समस्या पर व्यय किया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

अब मैं संक्षेप में बताता हूं कि गत दो वर्षों में हमने क्या क्या काम किये हैं । मुझे प्रसन्नता होगी यदि मेरे आंकड़ों में कोई गलती बताई जाये। परन्तु उस से पहले एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि पश्चिमी बंगाल, आसाम, त्रिपुरा अथवा अन्य किसी राज्य में जो भी काम हम ने सफलता पूर्वक किए वह हम ने अपने साथियों के सहयोग से किए । यह प्रश्न ही नहीं उठता कि केन्द्र ने निधियां दे दी और फिर खर्च की जिम्मेदारी से वह अलग हो गई। हमें योजनायें भेजी जाती हैं। हम उन की जांच करते हैं और पूरी जांच के पश्चात् वह स्वीकार की जाती हैं। उनकी कार्यान्विति करना राज्य सरकार का काम है। परन्तु मैं ने स्वय जा कर स्थिति देखी है। पूर्वी क्षेत्र में शायद ही ऐसा कोई राज्य होगा जिसे मैं ने गत दो वर्षों में न देखा होगा। मैं ने पश्चिमी बंगाल में बहुत ही बस्तियां देखी हैं। संभवतः जहां तहां कुछ त्रुटियां हों । जिस किसी भी प्रशासन में १८ करोड़ रुपये प्रति वर्ष तक का व्यय हो वहां ऐसा होना संभव है। यदि इस पर विचार करे तो यह कोई छोटी राशि नहीं है।

सर्व प्रथम मैं आवास समस्या को लेता हूं। हम ने गत दो वर्षों में ३१४ लाख रुपये की लागत पर ५००० घर बनाने की मंजूरी दी है और लगभग १५०० घर तैयार हो चुके हैं । इस के अतिरिक्त हमने अपंग विस्थापित व्यक्तियों और निराश्रित महिलाओं के लिये १०,००० घर बनाने के हेतु लगभग एक करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।

इस के बाद मैं विकास को लेता हूं । ४० बस्तियों के विकास की योजनाओं की मंजुरी दी दी गई है जिस पर लग भग १७८ लाख रुपया व्यय होगा । कार्य हो रहा है । ग्रामीण लोगों के पुनर्वास के संबंध में यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ६२,००० परिवार मुख्यत: कृषि और सहायक काम धन्धों में ६·५ करोड़ रुपया व्यय कर के बसाये गये हैं।

अब मैं नागरिक पुनर्वास को लेता हूं। लगभग २४,००० नागरिक परिवारों को ३ करोड़ रुपये के ऋण दिये गये थे ताकि वे व्यापार और विभिन्न व्यवसाय आरम्भ कर सकें। प्रशिक्षण केन्द्र के उत्पादन के लिये ११० लाख रुपये के व्यय की योजनायें की मंजूरी दी गई है जिन के अधीन १५,००० विस्थापित व्यक्तियों को प्राविधिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस के अतिरिक्त इन शरणार्थी बस्तियों में २·७ करोड़ रुपये की लागत के बिचले दर्जे के उद्योग स्थापित कर रहे हैं। श्री विमल घोष न गुरुवार को अविदार्शिक समीक्षा ले कर उस में से कुछ पृष्ट पढ़ कर सुनाये और यह बताया कि कुछ भी नहीं किया गया। उन्होंने ताहिरपुर की बात कही थी। मैं उन से सर्वथा सहमत हूं। हमें कोई सफलता नहीं मिली। इस में हमारा अपराध नहीं। अनुज्ञप्ति दी जा चुकी थी । यदि आप चाहें तो मैं नाम बता सकता हूं, वे श्री भट्टाचार्य हैं। उन्हें ताहिरपुर में २५,००० तकलों वाली मिल के लिये अनुज्ञप्ति दी गई है। बिजली की आवश्यकता थी उस का वचन दिया गया। फिर आवश्यक आर्थिक सहायता का वचन दिया गया । पानी के खर्चे में कुछ सहायता देने का वचन दिया गया। परन्तु कुछ मास पश्चात् उस ने इस काम को हाथ में लेने से इन्कार कर दिया। उस ने मुझे विश्वास में ले कर यह कहा कि मैं मिल स्थापित करना नहीं चाहता। आप जब मुझे शरणार्थी बस्ती में भेज रहे हैं तो वहां मुझे एक विशेष प्रकार के लोगों से व्यवहार करना पड़ेगा । अतः वहां मिल स्थापित करने में लाखों रुपये की पूंजी लगाते हुए मुझे कई बार सोचना पड़ता है।

मुझे खेद है कि इस में मैं असफल हुआ हूं और यह सर्वथा मेरा अपराध है । मैं जानता था कि यह प्रश्न सभा में खड़ा होगा और दिल्ली आने से कुछ ही दिन पूर्व मैं ने स्वयं वहां जा कर स्थिति को देखा था। मैं श्री घोष, श्री गुह और बहन श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

को निमंत्रण देता हूं कि सत्र समाप्त होने पर वे मेरे साथ चलें। मैं स्वयं उन्हें उद्योगिक बस्तियों में ले कर जाऊंगा जहां ये औद्योगिक योजनायें कार्यान्वित हो रही हैं। देश के समक्ष जो कठिनाइयां हैं उन के होते हुए हम कोई बहुत असफल नहीं हुए। आप इसे डालर की कठिनाई कहें या स्टर्लिंग की, मशीनरी के आयात की कहें या कुछ और परन्तु इस सब के होते हुये भी हम ने इस विषय में बहुत अच्छा कार्य किया है। मैं सभा के किसी भी सदस्य को आमन्त्रित करता हूं कि वह मेरे साथ चलें और औद्योगिक योजनाओं की कार्यान्विति को देखें।

स्वभावतः बड़ी योजनाओं में समय लगता है। आप एक ही रात में २५,००० तकलों की मिल स्थापित नहीं कर सकते। मैं ने आज तक कभी यह दावा नहीं किया कि ये योजनायें एक या दो मास में कार्यान्वित हो जायेंगी। परन्तु जहां तक हम अधिक अच्छा कर सकते थे हम ने किया है और प्रशिक्षण योजनाओं और उत्पादन केन्द्रों के विषय में मैं ने यही बात बताई है।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : किस प्रतिवेदन में आपने यह बताया है कि ये केन्द्र काम कर रहे हैं?

†श्री मेहर चन्द खन्ना : यदि मैं इन छोटी छोटी बातों का ब्यौरा दूंगा तो अन्य महत्वपूर्ण बातों के लिये समय नहीं रहेगा।

अब मैं शिक्षा को लेता हूं। गत दो वर्षों में शिवरों को छोड़ कर अन्य स्थानों में २४० प्राथमिक स्कूल और १३ माध्यमिक स्कूल क्रमशः १६.६७ लाख और ८.४२ लाख रुपये की लागत पर बनाये गये थे। वर्तमान माध्यमिक स्कूलों में विस्थापित व्यक्तियों के आवास के लिये ८.६७ लाख रुपये की मंजूरी दी गई है। छः नये कालेजों की मंजूरी दी गई है और मैं समझता हूं ४७ लाख रुपये की लागत पर चार या पांच कालेजों ने पहले ही कार्य आरम्भ कर दिया है। वर्तमान कालेजों के भवनों को बड़ा बनाने के लिये ६.३२ लाख रुपये की मंजूरी दी गई है। गत दो वर्षों में शिक्षा पर २.८१ करोड़ रुपया व्यय किया गया है।

अब एक शब्द चिकित्सा सुविधाओं के विषय में कह कर अगला विषय लूंगा। हम ने जो चिकित्सा सुविधायें दी हैं या चिकित्सा संबंधी साधन अपनाये हैं मैं उन सब का उल्लेख नहीं करूंगा। मैं केवल क्षय रोग को ले रहा हूं। मेरे माननीय मित्र श्री बर्मन ने दो दिन पूर्व दुःख इस विषय में बहुत प्रकट किया था और मैं ने उन से कहा था कि मैं इस विषय में पश्चिमी बंगाल सरकार से बातचीत करूंगा। परन्तु मैं पुनः आपको तथा आपके द्वारा इस सभा को बताना चाहता हूं कि हम ने बहुत अच्छी प्रकार काम किया है।

शिविरों और घरों में सहायता रूप में चिकित्सा सुविधाएं देने के अतिरिक्त बाहर रहने वाले विस्थापित लोगों को भी चिकित्सा सुविधाएं दी जाती हैं। क्षय रोगियों के लिए पलंगों की संख्या में २०० की वृद्धि की गई है। और ४८५ पलंग बढ़ाने की योजना मंजूर कर दी गई है। हस्पतालों के नाम इस प्रकार हैं : पश्चिमी बंगाल के पंडवेश्वर हस्पताल में ३००, पश्चिमी बंगाल के निरामय हस्पताल में १०० अतिरिक्त बिस्तरे, आसाम के नौगांव नगर में २०, उड़ीसा के चांदपुर नगर में २०, उत्तर प्रदेश में नैनीताल के पास २०, त्रिपुरा में २०, इस प्रकार कुल ४८५ पलंग बढ़ाए जाने हैं। ये इस समय के लगभग ६५० से ७०० पलंगों के अतिरिक्त हैं। वेलियाघाट कलकत्ता में ४५० क्षय रोगियों की व्यवस्था वाला एक चिकित्सालय स्थापित किया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

विस्थापित लोग बहुत अधिक एकत्र हो गये हैं वहां पांच चलते फिरते चिकित्सालयों की मंजूरी भी दी जा रही है। विस्थापित लोगों के चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए प्रसिद्ध चिकित्सा संस्थाओं को पूंजी अनुदान भी दिया जाता है।

सम्भवतः मेरे माननीय मित्र श्री विमल घोष की दृष्टि में यह बहुत अच्छा काम नहीं है। परन्तु जिस पृष्ठभूमि का मैंने उल्लेख किया है उसको देखते हुए मैं समझता हूं कि हमने बहुत कुछ किया है। एक ओर तो हम पुनर्वास का कार्य कर रहे थे और हमें छः लाख लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना था और उन्हें शिविरों में रखना था, उनकी देखभाल करनी थी और दूसरी ओर हम यह सब काम भी कर सके। इस परिस्थिति में हम यह सफलता प्राप्त कर सके हैं। जब पश्चिमी क्षेत्र की समस्या से तुलना की जाती है तो यह ध्यान में नहीं रखा जाता कि पश्चिमी पाकिस्तान से और विस्थापित लोग नहीं आ रहे। उनका आना बहुत प्रायः दस वर्ष पूर्व बन्द हो चुका है। परन्तु यहां एक ओर तो पुनर्वास का काम है और दूसरी ओर सहायता कार्य की यह विकट समस्या है।

†**श्री विमल घोष:** मैं माननीय मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि वे मेरे साथ चल कर देखें कि रानागढ़ से कलकत्ता तक कालाघाट के साथ साथ विस्थापित लोग गत सात या आठ वर्ष से किस प्रकार रह रहे हैं और भूखों मर रहे हैं।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** दो दिन पूर्व एक माननीय सदस्य ने मुझ पर यह आरोप लगाया था कि व्यर्थ का व्यय बहुत सा किया जा रहा है। परन्तु ये माननीय सदस्य कह रहे हैं कि यद्यपि हम पूर्वी क्षेत्र के विस्थापित लोगों की सहायता के लिए—जिस में शिक्षा, चिकित्सा, खाद्य और मकान सम्बन्धी सहायता सम्मिलित हैं—जो ८ करोड़ रुपया व्यय कर रहे हैं—वह अपर्याप्त है।

†**श्री विमल घोष :** यह तो शिविरों में हो रहा है। यह अच्छा है।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना:** मैं शिविरों की बात कर रहा हूं। शिविरों में हमारा व्यय प्रतिदिन लगभग २ लाख रुपये कम है यानी प्रतिमास ५५ लाख रुपये खर्च हो रहा है।

†**श्री विमल घोष :** मैं इसे मना नहीं करता। मैं अन्य लोगों के पुनर्वास की बात कर रहा हूं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** असली बात तो पुनर्वास की है।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** मैंने आपको पुनर्वास के विषय में बताया है। हमने गत दो वर्षों में ६०,००० परिवारों को बसाया है। मैं थोड़ी देर बाद पुनर्वास के इस पहलू को लूंगा।

एक और बात जिस के बारे में घोर विरोध किया गया था—और मेरे आदरणीय मित्र लाला अचित राम ने भी उस का उल्लेख किया था—वह प्रव्रजन प्रमाण पत्र का जारी करना बन्द करने का प्रश्न है। वह ठीक नहीं है। हम ने अब तक प्रव्रजन प्रमाणपत्र बन्द नहीं किये। हम ने प्रव्रजन प्रमाणपत्रों का केवल विनियमन किया है और कुछ प्राथमिकतायें निर्धारित की हैं। मैं इन प्राथमिकताओं को पढ़ कर सुनाता हूं। इस मानवीय और आयोजित ढंग से इस समस्या को हल कर रहे हैं। प्राथमिकताएं ये हैं : (१) अनाथ जिन के अभिरक्षक पूर्वी पाकिस्तान में नहीं हैं। (२) निराश्रित महिलाएं और विधवाएं जिन की पाकिस्तान में कोई जीविका नहीं, (३) भारत में अपने पतियों के पास आने वाली पत्नियां ; (४) दूर बसे अकेले क्षेत्रों में रहने वाले परिवार, (५) भारत में विवाह के लिये आने वाली युवतियां, (६) जिन परिवारों ने भारत आने की दृष्टि से १ अप्रैल, १९५६ से पूर्व पूर्वी

†मूल अंग्रेजी में।

पाकिस्तान में अपनी सारी सम्पत्ति बेच डाली हो, (७) उन बिखरे हुए परिवारों के सदस्य, जिन के कुछ सदस्य भारत में पहले बस चुके हैं, (८) ऐसे लोग जिन के निकट सम्बन्धी भारत में हैं और जिन पर वे सर्वथा निर्भर करते हैं और अन्त में (९) वे सब व्यक्ति जो उपरोक्त प्रथम और द्वितीय प्राथमिकताओं के अन्तर्गत नहीं आते। प्रत्येक मामले के बारे में निर्णय उस के गुणावगुणों के आधार पर किया जायेगा ।

एक और बात है और पता नहीं कि उसे कहना मेरी उदंडता समझी जाएगी। मुझे पता लगा है कि पश्चिमी बंगाल और दूसरे राज्यों में पुनर्वास और सहायता के अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए परिवारों को बांटा जाने लगा। एक बार जब विस्थापित लोग आने लगे तो सामान्यतः परिवार के सदस्य ४–५ थे और बाद में ये २–४ या २–५ हो गये। आधे वहां रहे और आधे आ गये। हम ने अब यह किया है। हम एक व्यक्ति से पूछ लेते हैं कि क्या तुम पश्चिमी बंगाल जाना चाहते हो? क्या तुम्हारा परिवार पहले वहां गया हुआ है ? तुम्हारे परिवार के लोगों के नाम क्या हैं ? क्या तुम्हें पुनर्वास लाभ प्राप्त हुए हैं ? यदि वह सब का उत्तर "हां" में देता है और कहता है कि उसे पुनर्वास के पूर्ण लाभ प्राप्त हो गये हैं तो फिर वह पुनर्वास लाभ का अधिकारी नहीं रहता। यह उपरोक्त प्राथमिकताओं के विषय में नहीं है। ऐसा केवल उस परिवार के विषय में किया जाता है जिस के कुछ सदस्य भारत आ चुके हैं और उन्हें पुनर्वास के लाभ प्राप्त हो चुके हैं।

आज ही मुझ पर आरोप लगाया गया कि आप अपनी योजना में प्रथम वर्षीय प्रतिवेदन, द्वितीय वर्षीय प्रतिवेदन, तृतीय प्रतिवेदन, आदि बढ़ाते जा रहे हैं। यदि मैं उन में आधुनिकतम बातों का उल्लेख करता हूं तो भी आरोप लगाया जाता है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : हम तो पुनर्वास कार्य के धीरेपन के कारण आरोप लगा रहे हैं।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : यदि पुनर्वास-कार्य धीरे भी होता तो आप उस पर आपत्ति नहीं करतीं। आप यह भली प्रकार जानती हैं। परन्तु आप को और आप के पक्ष में बैठे सदस्यों को तो हमारे किये कार्य पर कष्ट हो रहा है ।

अभी किसी ने कहा था—और एक दिन पहले भी यह कहा गया था—कि हम कोई योजना बनाकर उस के अनुसार काम नहीं कर रहे ; हमारा कोई निर्धारित कार्यक्रम नहीं है। यदि लगभग ६ मास पूर्व मुझ पर यह आरोप लगाया जाता तो ठीक था क्योंकि उस समय हमारी मुख्य विपत्ति यह थी कि लोगों को भुखमरी से कैसे बचाया जाए। किन्हें ? जो लोग पाकिस्तान से सब कुछ खो कर के हताश और उद्विग्न हो कर आये हैं और बराबर आ रहे हैं।

हम में से जो लोग कलकत्ता में रहते हैं या जिन्हें दिल्ली में मकान मिले हुए हैं उन के लिये यह कह देना तो ठीक है परन्तु यदि वे बनगांव जाएं और सीमांत की जगहों को देखें तो वे हालत देख सकते हैं और उन अभागे लोगों की स्थिति का अनुभव कर सकते हैं, मैं वहां गया हूं और मैं ने सब कुछ देखा है ।

गत दो मास में हमने कुछ विशेष प्रगति की है और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी किये हैं। हम ने जो सब से महत्वपूर्ण निर्णय किया है वह उन अभागे भाइयों के विषय में है जो वर्षों से शिवरों में रह रहे हैं और हमारे विपक्षी मित्रों के लिये कष्ट का कारण बने हुए हैं। हमारा निर्णय यह है। अब से दो बातें की जाएंगी। हम शिवरों में रहने वाले लोगों के पुनर्वास को प्राथमिकता देंगे। इन शिवरों में रहने वाले ३ $^{1}/_{2}$ लाख लोगों को हम सब से अधिक प्राथमिकता देंगे—गत दो वर्षों में २ लाख लोग आए थे और १,४०,००० पहले ही वहां थे।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

दूसरी बात जो हम ने की है उस का भी इतना ही महत्व है। पश्चिमी बंगाल के शिविर भर गये हैं, वहां की स्थिति इतनी बुरी हो गई है कि उस से मेरे मित्र श्री विमल घोष को कष्ट ही होता है अतः हम ने यह निश्चय किया है कि भविष्य में पूर्वी पाकिस्तान के और प्रव्रजकों को पश्चिमी बंगाल, आसाम या त्रिपुरा में कोई सहायता या पुनर्वास नहीं दिया जाएगा और मैं उन का प्रभार संभाल कर उन्हें अन्य राज्यों में ले जाऊंगा। दूसरी बात हम ने यह की है कि हम ने शिविरों की जांच पड़ताल आरम्भ की है। हम देखना चाहते हैं कि कौन से व्यक्ति सहायता के पात्र हैं और कौन नहीं। उन में से कुछ वर्षों से वहां पर हैं, वे संभवतः अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं और अब उनका खर्चा वैध रूप से हमारे ऊपर नहीं होना चाहिये।

एक और बात हम ने की है जिस के लिये हमारे मित्र अनुरोध कर रहे थे। हमसे कहा गया है कि हमें इन शिविरों का पूर्ण सर्वेक्षण करना चाहिये और उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांटना चाहिये। पहले तो ऐसे शिविर हैं जिन्हें उपनगर बनाया जा सकता है। उन्हें उपनगर बनाने के लिये उधर रेल की लाइन होनी चाहिये, सड़क होनी चाहिये और वह ऐसे स्थान के समीप होना चाहिये जिस से उस उपनगर की अर्थ व्यवस्था का निर्माण हो सके। या फिर हमें कुछ शिविरों को मिला कर उन का एक उपनगर बना देना चाहिये। कुछ शिविर भी होंगे जिन्हें समाप्त करना होगा। यह कार्य भी आरम्भ किया जा चुका है।

शिविरों के पश्चात हम राज्य की सामान्य शरणार्थी जन संख्या को लेते हैं। इस सामान्य शरणार्थी जन संख्या को तीन शीर्षकों में बांटा जा सकता है। एक तो वह जन संख्या है जिसे पूर्ण पुनर्वास सहायता मिल गई है। जिस परिवार के लोगों को बसाया जा चुका हो, जिन्हें हम रहने के लिये घर दे चुके हों, ऋण दे चुके हो और कोई लाभदायक नौकरी दे चुके हों तो हम समझते हैं कि अब उन के लिये हमें कुछ नहीं करना फिर, हमारे पास कुछ परिवार हैं जिन्हें आंशिक सहायता मिली है। आंशिक सहायता से मेरा अभिप्राय यह है परिस्थितियों के दबाव के कारण वे परिवार पश्चिमी बंगाल में आए थे और हम पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि हमारे पास इतनी अधिक संख्या में विस्थापित लोग हैं (आज कल पश्चिमी बंगाल में लगभग ३२ लाख शरणार्थी हैं) और जैसा कि थोड़ी देर पहले श्रीमती रेणुका राय ने कहा है उन के कारण अर्थ-व्यवस्था विनष्ट हो गई है। हम इन परिवारों का पूर्ण सर्वेक्षण करना चाहते हैं जो पूर्णतः बसाये नहीं गये अथवा जिन्हें अंशतः बसाया गया है। हम ने हाल ही में यह सर्वेक्षण आरम्भ किया है ताकि एक आयोजित ढंग से समस्या को हल किया जा सके।

मैं अन्य राज्यों के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहूंगा जहां शरणार्थी बसाये जा रहे हैं। ये राज्य मनीपुर, त्रिपुरा, आसाम, बिहार उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और अंदमान। मनीपुर में तो कोई समस्या नहीं है क्योंकि वहां विस्थापितों की संख्या बहुत कम है। उड़ीसा और बिहार में भी विस्थापितों की संख्या बहुत अधिक नहीं है सिवाए इस के कि कुछ लोगों को चारबतिया और बेतिया शिविरों में भेजा गया है। उन राज्यों में मूल संख्या अधिक नहीं है। वहां हम ने हिसाब लगाया है और मैं अनुभव करता हूं कि अगले वित्तीय वर्ष में हम इन दो राज्यों में सब विस्थापित लोगों को बसा सकेंगे।

त्रिपुरा में समस्या कठिन है। आसाम की भी यही स्थिति है। त्रिपुरा की भौगोलिक स्थिति के फलस्वरूप वहां कुछ कठिनाइयां हैं। आसाम की भी विभिन्न समस्याएं हैं। आप उन्हें स्वायत्त शासी राज्य कह सकते हैं, या उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेन्सी का क्षेत्र कह सकते हैं, आप उन्हें कुछ भी कहें। इन सब कठिनाइयों पर भी, आप को यह जान कर आश्चर्य होगा, कि त्रिपुरा की स्थानीय जन-संख्या से भी शरणार्थियों की जन संख्या कहीं अधिक है। इस राज्य में बहुत तंगी है।

आसाम में हमारी शरणार्थी जन संख्या दो क्षेत्रों में अर्थात् कछार और ग्वालपाड़ा में इकट्ठी हो गई है। मैं कछार, एक ओर हालाकंडी तक तथा दूसरी ओर पाकिस्तान की सीमा पर करीमगंज तक घूमा हूं। मैं ग्वालपाड़ा से डूबरी और कूच बिहार और वहां से बंगाल गया हूं। ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जिन में बहुत अधिक शरणार्थी हैं।

योजनाएं बनाई जा चुकी हैं और हम उन योजनाओं को कार्यान्वित कर रहे हैं। प्रायः एक मास पूर्व हम ने काफी लागत पर शिविरों में रहने वाले लगभग २८०० परिवारों के लिये योजनाओं की मंजूरी दी थी। मैं यह नहीं कहता कि इन दो राज्यों में समस्या एक या दो वर्षों में हल हो जाएगी। परन्तु विपक्षी दल की एक महिला सदस्य के निराशापूर्ण विचारों के बावजूद भी मैं आशा करता हूं कि इन राज्यों में भी लगभग तीन वर्षों में हम समस्या को हल कर सकेंगे।

पश्चिमी बंगाल में विस्थापितों की संख्या सब से अधिक है। पश्चिमी बंगाल की समस्या को आयोजित आधार पर हल करने के लिये—जब कि नये विस्थापितों का आना काफी कम हो गया है—हम ने इसे पांच खंडों में बांट दिया है। प्रत्येक खंड एक वरिष्ठ खंड पदाधिकारी के अधीन होगा। अव्यवस्थित ढंग की बजाए मेरा विचार खंडीय आधार पर समस्या हल करने का है। ये पांच खंड हैं—(१) कूच बिहार, जलपायगुड़ी, दार्जिलिंग; (२) मुर्शिदाबाद, पश्चिमी दीनाजपुर, मालदा; (३) बर्दवान, वीरभूमि, बांकुरा, मिदनापुर; (४) २१ परगना, कलकत्ता, हुगली, हावड़ा, और (५) नादिया। शीघ्र ही मैं श्रीमती रेणु चक्रवर्ती को और उन के पास बैठे महानुभाव को पश्चिमी बंगाल का एक मान चित्र भेजूंगा जिस में ये पांच खंड दिखाए गये होंगे।

अब मैं कुछ शब्द दंडकारण्य, लोगों के शिविर छोड़ कर भागने, कुरुयात बेतिया शिविर और सियालदा स्टेशन के सम्बन्ध में कहूंगा और फिर पश्चिमी पाकिस्तान को लूंगा।

दंडकारण्य योजना के बारे में मैं अधिक नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं पहले एक ब्योरेवार टिप्पण परिचालित कर चुका हूं। मैंने केवल यह किया है कि किसी को गलत आशा नहीं दिलाई है। मैंने केवल यह कहा है कि यह समस्या बहुत कठिन है, इस से कुछ लाभ प्राप्त होना संभव हैं, और इस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाना है और उपयुक्त तथा प्रभावी कार्यवाही करनी है। मैं दंडकारण्य में असफलता नहीं चाहता। अतः मैंने कहा है कि इस योजना के जोर पकड़ने में दो तीन वर्ष लग जाएंगे परन्तु इस का यह अभिप्राय नहीं कि हम योजना को कार्यान्वित नहीं करेंगे। वर्षा के तुरन्त पश्चात् मैं ५०० परिवारों को मलकागिरी तालुक भेज रहा हूं।

गुरुवार को और आज भी एक प्रश्न पूछा गया था कि आप अन्तरिम काल में क्या करना चाहते हैं? क्या आप अगले दो तीन वर्षों में कुछ भी नहीं करना चाहते? मेरा उत्तर सर्वथा नकारात्मक है। गत दो वर्षों में हम लग भग २ लाख भूमि अपने कार्य के लिये पसन्द कर चुके हैं। और ३५००० एकड़ क्षेत्र के लिये २८० लाख रुपये की लागत की योजनाएं मंजूर की जा चुकी हैं। इस से ७००० परिवारों को बसाया जा सकेगा। लगभग २००० परिवार उधर भेजे जा चुके हैं। हम इन योजनाओं को बराबर आगे चलाएगें।

परन्तु संभवतः मैं अपने मित्र श्री सुबिमल घोष को संतुष्ट न कर सकूं। मुझे इस पर कुछ हंसी सी आई जब उन्होंने कहा कि विस्थापित लोगों को बिहार अवश्य भेजो परन्तु उन्हें केवल बिहार की सीमा पर ही बसाओ।

†**श्री सुबिमल घोष:** मैंने कहा था कि सबसे पहले पुरुलिया में बसाओ।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

एक मित्र ने यह कहा कि हम अडमान को समुचित अंश नहीं दे रहे हैं। ८० प्रतिशत अंश पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों के लिये हैं और बाकी २० प्रतिशत शेष भारत के लिए। यदि आप चाहते हैं कि वह २० प्रतिशत अंश भी बाकी भारत को न दिया जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। परन्तु इस प्रकार समस्या हल नहीं होगी। मुझे भय यही है कि पुनर्वास के मामले में कहीं राजनीति न उलझ पड़े। बिहार हजारों शरणार्थियों को लेना चाहता है। चम्पारन और बेतया जिलों में, मैंने स्वयं देखा है बहुत अच्छा प्रबन्ध था। विरोधी पक्ष के सदस्यों ने भी इस की प्रंशसा की। बेतिया से जाने के प्रश्न पर उनका कहना है कि वहां से एक व्यक्ति भी नहीं भागा अथवा इन बस्तियों को छोड़ कर गया जहां कि हजारों परिवार गत छः मास में बसा दिये गये थे। अब जब बिहार हमें सहयोग दे रहा है तो हमारे विरोधी पक्ष के मित्र हमारे लिये राजनीतिक प्रश्न खड़े कर रहे हैं। वे बिहार सरकार से कहते हैं, "बिहार की सीमा पर बसाइये"। तात्पर्य यह कि कल को कोई अन्य पुनर्गठन समिति अथवा किसी और चीज की मांग की जाय।

दण्डकारण्य के सम्बन्ध में एक बात बहुत ही खतरनाक थी जो आज ही एक माननीय सदस्य ने कही है। उन्होंने कहा, "उन्हें दण्डकारण्य ले जाओ"। यह स्थान आंध्र, मध्य प्रदेश और उडीसा के भागों को मिला कर बनता है। इसका प्रशासन कैसे चलेगा ? इसकी भाषा क्या होगी, संस्कृति क्या होगी ? क्या वह यह चाहते हैं कि मैं इन राज्य सरकारों को कहूं कि वे अपना इलाका दे दें। क्या इस प्रकार की बातें कर के वे पुनर्वास में सहायता कर रहे हैं ? क्या आप सचमुच उन लोगों के प्रति ईमानदार हैं जो कि सियालदा स्टेशन पर कैम्पों में पड़े हैं ? आप इन सब बातों को राजनैतिक रूप क्यों देना चाहते हैं ?

बेतिया की बात को लीजिये। वहां एक शरणार्थी शिविर है, जो कि हमने जून १९५६ में वहां स्थापित किया था। फरवरी १९५७ के अन्त तक कोई व्यक्ति भी वहां से नहीं हिला। और सब ठीक था। परन्तु बंगाल में आम चुनाव आरंभ होते ही इन शिविरों में आग लग गयी। मैं जो कुछ कह रहा हूं वह सत्य है। फरवरी के अन्त में वहां गड़बड़ आरम्भ हुई। क्या हुआ ? लोग पटना आये; आम यात्रियों को गाड़ियों से बाहर ढकेल दिया और उनसे बोले "हम बंगाल जाना चाहते हैं।" वे बंगाल आये। परन्तु यदि हम चाहते तो हम उनको बंगाल न आने देते।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

परन्तु हमने इस उद्देश्य के लिये किसी प्रकार की शक्ति का प्रयोग नहीं किया। कुछ लोग चाहते थे कि मैं ऐसा करूं, परन्तु मैं ने कुछ नहीं किया। वे पश्चिमी बंगाल आये, वहां चुनावों तक रहे और फिर बेतिया लौट गये।

एक व्यक्ति का मैं बहुत ही अभारी हूं, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। वह बेतिया गया और वहां से उसने मुझे पत्र लिखा जिसको अभी मैंने सार्वजनिक तौर पर प्रकट नहीं किया। मैं उसकी सराहना करता हूं, उस ने लिखा कृपया हमारा धन्यवाद बिहार सरकार तक पहुंचा दीजिये, क्योंकि उसने हमारे और शरणार्थियों के साथ काफी सहानुभूति का व्यवहार किया है। यह पत्र मुझे आम चुनावों के तुरन्त बाद प्राप्त हुआ था जब सभी लोग लौट चुके थे। अब वहां कोई गड़बड़ नहीं, और न ही कभी वहां गड़बड़ थी ही।

अब सियालदा की बात सुनिये, सियालदा के शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये हमने करोड़ों रुपये खर्च किये हैं। मैं उनके बीच रह भी चुका हूं और मुझे उनका विश्वास प्राप्त है। क्या आप यह समझते हैं कि मुझे अपने सियालदा के भाइयों को देख कर प्रसन्नता होती है ? हर्गिज नहीं। मुझे बहुत

दुःख होता है पीड़ा होती है। हमारे कुछ विरोधी मित्र तो केवल अखबारों की खबरों के बारे में बात करना जानते हैं ।

सियालदा स्टेशन के सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि यहां से एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार शरणार्थियों को हटवाया गया। यदि इसका यह मतलब हो कि स्टेशन के साफ होते ही पश्चिमी बंगाल की बस्तियों में बसे हुए शरणार्थी लोग वहां आकर पड़ रहें, तो हम यह बात बरदाश्त नहीं कर सकते। यदि ऐसे लोग जिनके पास प्रव्रजन के प्रमाण पत्र भी नहीं हैं सियालदा स्टेशन पर आकर धरना देते हैं और चाहते हैं कि पुनर्वास मंत्रालय उनकी देख भाल करे तो किसी भी प्रकार पुनर्वास की समस्या हल नहीं हो सकती। मैं एक बात कर सकता हूं और उसके लिये मैं पश्चिमी बंगाल के मंत्रालय की स्वीकृति भी प्राप्त कर लूंगा, वह यह कि आप और वे सब लोग जिनकी पुनर्वास में रुचि है, यह आश्वासन दे दें कि यदि एक बार सियालदा स्टेशन के सभी शरणार्थियों के पुनर्वास की व्यवस्था की जायेगी तो बाद में कोई शरणार्थी वहां नहीं जायेगा। आप यह आश्वासन दे दीजिये और मैं स्टेशन को साफ करवा देता हूं। परन्तु यदि उसके साफ होते ही वहां और लोगों ने आ धरना दिया, तो हम ऐसा नहीं कर सकते ।

मेरे पास केवल दस मिनट हैं। मेरे मित्र ला० अचिन्त राम और श्री अजीत सिंह मुझे कोस रहे होंगे कि पश्चिमी इलाके के शरणार्थियों के सम्बन्ध में मैंने कुछ नहीं कहा। समय मेरे पास थोड़ा है इस लिये मैं केवल उनके मुआवजे के सम्बन्ध में ही कुछ कहूंगा। यह बहुत महत्वपूर्ण समस्या है। लाला अचिन्त राम जी ने दावेदारों के आंकड़े प्रस्तुत किये, जिसमें वे लोग भी सम्मिलित थे जो कि पुनर्वास अनुदान के लिये प्रार्थना पत्र दे चुके हैं और वे भी सम्मिलित थे जिन्हें ५ $^{1}/_{2}$ लाख का अन्तरिम मुआवजा दिया जा चुका है। मेरे विचार से उन के आंकड़े गलत हैं कि प्रत्येक मास लगभग तीन हजार लोग मुआवजा ले रहे हैं। यह ठीक नहीं। गत वर्ष मैंने सदन को विश्वास दिलाया था कि मैं ईमानदारी से यह प्रयत्न करूंगा कि प्रति वर्ष एक लाख लोगों को मुआवजा मिले। मेरा विचार है एक लाख से भी अधिक लोगों को मुआवजा मिलता है। मैं कांग्रेस संसदीय दल के सदस्यों और अनौपचारिक परामर्श समिति के सदस्यों को मासिक विवरण की प्रति भेजने का प्रबन्ध करूंगा, ताकि उन्हें पूरा पता लग सके कि मुआवजे की अदायगी की गति क्या है ।

प्राथमिकता प्राप्त वर्ग को की जाने वाली अदायगी के प्रश्न पर मुझे बहुत ही दुख है। मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता, परन्तु यह बताना चाहता हूं कि अब तक हम २,२५,००० लोगों को मुआवजा दे चुके हैं। और दी जाने वाली राशि कुल ६१ करोड़ रुपये की है। ३८ करोड़ नकद दिया गया है, १४ करोड़ सम्पत्ति के रूप में दिये गये हैं और ९ करोड़ सरकारी धन के समायोजन में। जो भी कुछ दिया गया है, उसमें नकद की काफी मात्रा है ।

प्राथमिकता प्राप्त वर्ग के लिये मैंने गत वर्ष यह आश्वासन दिया था कि ३१ मार्च १९५७ तक प्राथमिकता प्राप्त लोगों को मुआवजा की अदायगी हो जायेगी। और हुआ क्या है ? वृद्ध व्यक्ति हैं, ऐसे हैं जिन्हें तपेदिक है अथवा और कोई गम्भीर रोग है। १९५३ में हमें विधवाओं से काफी संख्या में प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, इस लिए अवधि १९५५ तक बढ़ा दी गयी। मेरा ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाया गया। इन बेचारी विधवाओं को बहुत कष्ट है। इसी प्रकार के अनेक व्यक्तियों के मामले थे जिनकी आयु ६५ वर्ष से ऊपर थी। मैंने इन प्राथमिकता प्राप्त लोगों के आवेदन पत्र लेने की तिथि ३१ जनवरी १९५७ तक कर दी। इससे संख्या बढ़ गयी। कुल संख्या ६१००० के लगभग है। ५२, या ५३ हजार को अदायगी हो गयी है और लगभग ७००० रहते हैं। इनके सम्बन्ध में मुझे आशा है कि एक मास में अदायगी हो जायेगी। परन्तु यह ७, ८ हजार लोग जिनको अभी मुआवजा नहीं मिला हैं वास्तव में मूल रूप में वे नहीं हैं जो कि प्राथमिकता प्राप्त श्रेणी में थे। वास्तव में उन्हें इस श्रेणी में ३१ जनवरी १९५७ को सम्मिलित किया गया है।

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

अब मैं केवल एक बात, अर्थात किस्तों की बात करना चाहता हूं। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, परन्तु मैं इस पर तीन चार मिनट से अधिक नहीं लूंगा। जब मुआवजा योजना बनाई गयी और नियम सदन के समक्ष प्रस्तुत हुए, तो शरणार्थी हमारे कुछ नेताओं से मिले। हमारी कई बैठकें हुईं और अन्त में एक मत से नियम पारित कर दिये गये। आवण्टन की सीमा १० हजार रखी गयी। इस सीमा में दुकानें भी सम्मिलित थीं और क, ख, ग बस्तियों का ध्यान रखते हुये किस्तें २ वर्ष से ४ वर्ष तक की रखी गयीं। क श्रेणी की बस्ती के लिये ३३$\frac{1}{3}$% ख श्रेणी की बस्ती के लिये २५%, और ग श्रेणी के लिये २०% रखा गया। यह एक मत से किया गया इस सभा का निर्णय था। और नियम दोनों सभाओं अर्थात् इस सभा और राज्य सभा ने एक मत से पारित कर दिये। काफी संख्या में शरणार्थियों को मुआवजा दिया जाना था। मैं वित्त मंत्री श्री देशमुख के पास गया, और उनसे यह चर्चा की। मैंने अभी तक इस बारे में सभा में कोई वक्तव्य नहीं दिया। आज ही बता रहा हूं। मैंने उन्हें बताया कि विश्वास कायम रखने के लिये यह जरूरी है कि नकद राशि की व्यवस्था हो। उसके बिना काम नहीं चलेगा। सब कुछ अव्यवस्थित हो गया है। १०० करोड़ की निश्क्रान्त सम्पत्ति, ३०, ३५ करोड़ के कर्जे, और ५० करोड़ की सरकारी सम्पत्ति खर्च करने के बाद भी हमें तपेदिक और अन्य रोगियों को सहायता देना है जो ६५ वर्ष से उपर के हैं। उसके लिये नकद से ही काम चलेगा। उन्होंने पूछा आपको कितना धन चाहिये। मैंने उत्तर दिया, "४० से ५० करोड़"। उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है मुझ पर योजना के कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी है और मेरे समक्ष कठिनाइयां हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं आप के पास काफी आशा से आया था, आपने कभी निराश नहीं किया, अब भी सहायता कीजिये। तब उन्होंने कहा अच्छा ४५ करोड़ पर फैसला कर लीजिये। परन्तु तुम्हें यह मुझे आश्वासन देना होगा कि तुम अपने वायदे पर कायम रहोगे, और यह वही वायदा है जब कि नियमों के पारित करते समय आपने संसद् के सामने किया था, कि निश्चित समय में यह सब वसूल कर लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि आपको जो धन दिया जा रहा है मेरा नहीं है। वह धन किसी विकास परियोजना का ही होगा, किसी नहर योजना का होगा अथवा किसी इस्पात स्यंत्र का होगा। मैंने उनकी बात मान ली, उनको धन्यवाद दिया और आश्वासन दिया कि इस बात की पूरी कोशिश की जायेगी कि वह धन निश्चित समय के भीतर ही उनको लौटा दिया जाये।

नियम पारित हो गये। सब खुश थे। परन्तु छः ही मास में गड़बड़ आरम्भ हो गई। लोगों ने कहना शुरू किया कि दो वर्ष नहीं, चार वर्ष नहीं, हम नहीं दे सकते, हमारे पास धन नहीं। यह ठीक है आपने दस हजार की सीमा रखी है, परन्तु हम नहीं दे सकते। फिर ६० संसद् सदस्यों के हस्ताक्षरों सहित प्रतिवेदन मेरे पास आया। मैं वर्तमान वित्त मंत्री के पास गया। सब ने कृपा की, पंत जी ने, पंडित जी ने, मौलाना साहब ने, सभी ने कृपा की और यह काल ४ वर्ष से ८ वर्ष हो गया। एक बात जो मैं सदन को बताना चाहता हूं कि यद्यपि यह समय आठ वर्ष कर दिया गया है १९५५ से न कोई किराया लिया गया है और न ही कोई धन की वसूली की गई है। इस प्रकार शरणार्थियों को किस्तों में रकम चुकाने के लिये दस वर्ष प्राप्त हो गये ह। परन्तु इन सब बातों को हम बड़ी आसानी से भूल गये हैं।

एक माननीय सदस्य ने शायद श्री नायर ने कहा था कि शरणार्थियों के लिये २० प्रतिशत की प्रथम किस्त देना सरल नहीं हैं। उन्हें याद रखना चाहिये कि यह किस्त ३३$\frac{1}{3}$% २५ प्रतिशत से घटा कर २० प्रतिशत कर दी गई है।

मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने मेरे मंत्रालय की प्रशंसा की। मैं कई बातों का उत्तर नहीं दे सका, परन्तु मैं यह आश्वासन सदन को देता हूं कि प्रत्येक बात का पूरा परीक्षण किया जायेगा और जो कुछ भी किया जा सकेगा किया जायेगा।

†अध्यक्ष महोदय : अब मैं कटौती प्रस्तावों को मतदान के लिये रखता हूं।

**अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।**

**अध्यक्ष महोदय द्वारा पुनर्वास मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गयीं तथा स्वीकृत हुईं :**

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि |
|---|---|---|
| ७६ | पुनर्वास मंत्रालय . . | २५,५२,००० |
| ७७ | विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय . . | १३,१२,६५,००० |
| १२५ | पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी व्यय . . | १४,००,००,००० |

## रेलों में विभागीय भोजन-व्यवस्था

†अध्यक्ष महोदय : अब सभा में नियम ५५ के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा होगी।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर (पाली) : आज की यह चर्चा १९ जुलाई, १९५७ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १९१ के उत्तर से उत्पन्न हुई है। मंत्री महोदय ने कहा था कि १९५६-५७ के अस्थायी आंकड़ों से यही पता चलता है कि रेलों में विभागीय भोजन व्यवस्था में घाटा ही रहा है। घाटे का मुख्य कारण कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि, भोजन का स्तर ऊंचा उठाना आदि बताया गया है। कुल मिला कर १९५६-५७ में इस सम्बन्ध में १२ लाख का घाटा हुआ। परन्तु एक बात समझ में नहीं आई कि कई रेलों पर तो घाटा हुआ और कइयों पर लाभ भी हुआ।

अब चार खण्डीय रेलवे इस विभागीय भोजन व्यवस्था को नये सिरे से चालू कर रही हैं। मैं मध्य रेलवे का उल्लेख करूंगा। वहां २,८७,००० रुपये का लाभ हुआ है। उसके मुकाबले में पूर्वी रेलवे में ४,२०,००० रुपये का घाटा हुआ है। यह क्यों? इस बारे में विस्तार से कुछ कहा जाना चाहिये था।

विभागीय भोजन की व्यवस्था के सम्बन्ध में श्री अलगेशन के सभापतित्व में एक समिति नियुक्त की गई थी। उस समिति ने दो सिफारिशें की थीं। एक यह कि यह भोजन व्यवस्था न हानि और न लाभ के आधार पर होनी चाहिये। और घाटा तो होना ही नहीं चाहिये। इसके साथ ही समिति ने यह भी कहा था कि भोजन के ठेके बन्द नहीं करने चाहिये। इन ठेकेदारों से लाइसैन्स की रकम के तौर पर हमें ३० लाख रुपया वार्षिक प्राप्त होता है। हमने तो यह रकम लोगों के भले के लिये लगानी चाही, परन्तु उलटा इससे हानि हुई। न लाभ न हानि वाली बात जाती रही। इसके साथ यह भी हानि हुई कि रेलवे विभाग ने खाने पीने की वस्तुओं के दाम भी बढ़ा दिये।

दिल्ली में यह भोजन व्यवस्था रेलवे ने अपने हाथ में ली। उस समय पूरियों का दाम १-८-० प्रति सेर था, उसे २ रुपये सेर बेचा जा रहा है। २-८-० सेर वाली मिठाई के ३-८-० लिये

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

जा रहे हैं। लखनऊ में प्रसिद्ध रेबड़ी १–४–० पौंड मिलती थी, अब उसे १–८–० पौंड बेचा जा रहा है। इन सब बातों के बाद भी हानि हो तो यह आश्चर्य की बात है।

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त समिति ने जो सिफारिशें की थीं, उनका पालन किया जा रहा है अथवा नहीं ? यदि हां, तो इस घाटे को दूर करने के लिये क्या व्यवस्था की गई है। दूसरे यह कि जब यह निश्चय हो गया है कि यह व्यवस्था 'न हानि न लाभ' के आधार पर चलाई जायेगी तो फिर कुछ रेलें मुनाफ़ाबाजी क्यों कर रही हैं ?

मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि रेलवे विभाग की ओर से भोजन व्यवस्था जो चल रही है उसे बिल्कुल समाप्त कर दिया जाये। आंकड़ों से विदित होता है कि इस काम में घाटा हो रहा है। हो सकता है कि कुछ स्थानों पर लाभ हो रहा हो। पर यदि किसी एक रेलवे पर लाभ हो रहा है तो अन्य स्थानों पर हानि क्यों हो रही है ? मैं स्वीकार करता हूं कि पूर्वी रेलवे पर आपने बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी होगी पर मध्य रेलवे पर तो व्यवस्था अच्छी नहीं है।

स्पष्ट है कि इस काम में बड़ी अव्यवस्था है। मैं आशा करता हूं कि सभा को यह आश्वासन दिया जायेगा कि समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया जायेगा और इस विभाग को न लाभ न हानि के आधार पर चलाया जायेगा।

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां): मुझे बहुत खेद है कि माननीय सदस्य ने यह आरोप लगाया है कि रेलवे विभाग की भोजन व्यवस्था में गड़बड़ी है। विभाग द्वारा भोजन व्यवस्था का कार्य शुरू होने के बाद हम में से अनेक माननीय सदस्यों ने भोजन किया होगा। विभागीय व्यवस्था के पूर्व लोग भोजन के सम्बन्ध में अनेक शिकायतें किया करते थे कि भोजन अच्छा नहीं मिलता पर अब वे सभी लोग विभागीय भोजन व्यवस्था की प्रशंसा करते हैं।

रेलवे विभाग ने इस कार्य को अपने हाथों में इसीलिये लिया था कि अच्छा भोजन दिया जा सके। उसके पूर्व खाना इतना खराब मिलता था कि उसे खाया नहीं जा सकता था। जनता की शिकायतों तथा माननीय सदस्यों की बड़ी बड़ी शिकायतों के कारण ही हमें यह कदम उठाना पड़ा था।

मेरे माननीय मित्र ने कहा कि भोजन व्यवस्था समिति की मुख्य मुख्य सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि उसकी हर सिफारिशों को माना जा रहा है। उन्होंने यह कहा कि विभागीय भोजन व्यवस्था के साथ ही साथ ठेके पर भोजन व्यवस्था को भी चलाया जाये। हम इस सम्बन्ध में कोशिश कर रहे हैं और कुछ बड़े बड़े स्टेशनों को छोड़ कर अन्य स्थानों पर ठेके पर ही यह काम दिया जायेगा पर यह तभी होगा जब वे अबनी व्यवस्था को उसी स्तर पर ले आयेंगे जिस पर विभागीय व्यवस्था है। यदि वे स्तर ठीक कर लेंगे तो हम अन्य अनेक स्टेशनों को विभागीय व्यवस्था में नहीं लेंगे। क्योंकि हमारा उद्देश्य तो केवल यही है कि भोजन बढ़िया मिले। इस सम्बन्ध में हमें सफलता भी मिली है। जिन ठेके दारों को अभी भोजन व्यवस्था करने का अधिकार प्राप्त है वे अपनी व्यवस्था उतनी ही अच्छी कर लेंगे जितनी विभागीय व्यवस्था है। पर यदि किसी स्टेशन पर ठेकेदार द्वारा भोजन अच्छा नहीं दिया जायेगा और मेरे पास शिकायतें आयेंगी तो हम उस स्टेशन को विभागीय प्रबन्ध में सम्मिलित करने में तनिक भी संकोच नहीं करेंगे।

मेरे माननीय मित्र ने विभागीय भोजन व्यवस्था में होने वाली हानि का जिक्र किया। हानि विशेषतया दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व रेलवे पर हुई है। उसके कारण यह हैं :—केन्द्रीय वेतन आयोग

†मूल अंग्रेजी में

की सिफारिशों के अनुसार उस विभाग के कर्मचारियों का वेतन क्रम बढ़ा दिया गया है ; उनकी सेवा की शर्तें बहुत उदार बना दी गई हैं ; उनको मुफ्त खाना दिया जाता है तथा अन्य सुविधायें दी जाती हैं। जिन माननीय सदस्यों ने दक्षिण पूर्व रेलवे पर सफर किया होगा और उस पर भोजन किया होगा वे उसके पाश्चात्य ढंग के बढ़िया भोजन की प्रशंसा अवश्य करेंगे। पर इस प्रकार हम घाटा कितने समय तक उठाते रहेंगे। हमने रेलवे प्रशासन से कह दिया है कि जहां भी कभी घाटा हो रहा है उसे समाप्त करने के लिय कदम उठाये जायें।

कुछ रेलवे में तो हमें मजबूर हो कर पाश्चात्य ढंग की भोजन व्यवस्था का प्रबन्ध बनाये रखना पड़ा है। यह घाटा मुख्यतया पाश्चात्य ढंग की भोजन व्यवस्था के कर्मचारियों, रेस्ट्रां कारों तथा डाइनिंग कारों के कारण है। अभी हाल में रेलों में भीड़भाड़ कम करने के लिये माननीय मंत्री ने निर्णय किया है कि रेस्ट्रां कारों तथा डाइनिंग कारों को गाड़ियों में न लगाया जाये। यदि इन्हें गाड़ियों में न लगाया जायेगा तो इससे घाटे में भी कमी हो जायेगी। पर यह बात नहीं कि यात्रियों को भोजन के लिये कठिनाई उठानी पड़ेगी। इसके लिये सभी बड़े बड़े स्टेशनों पर उपाहार गृहों के स्तर में सुधार किया जायेगा ताकि लोगों को भोजन की कठिनाई न हो।

माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि विभागीय व्यवस्था के कारण अब रेलवे को लाइसेंस फीस नहीं मिलती इस प्रकार देश को हानि होती है। पर, अब भी हम बहुत से स्टेशनों से लाइसेंस फीस प्राप्त करते हैं। पहले लाइसेंस फीस से हमको ३० लाख की आय होती थी और अब भी हमें २० लाख रुपये से कम नहीं मिलते। हमारा मुख्य उद्देश्य तो यह है कि भोजन अच्छा मिले। जो कुछ घाटा हुआ है हम उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे।

अब पूर्वी रेलवे को लीजिये। हमने हावड़ा स्टेशन को भी विभागीय प्रबन्ध में कर लिया है। वहां मुझे यह देख कर बड़ी खुशी हुई कि बहुत ही साधारण दामों में बहुत अच्छा भोजन मिलता है। मैं, अन्त में, सभा को आश्वासन देता हूं कि हम समिति की सिफारिशों को मानेंगे और उसी नीति पर चलेंगे जो हमने निर्धारित की है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं यह जानना चाहता था कि यदि एक रेलवे पर एक प्रणाली से लाभ हो रहा है और दूसरे पर उसी प्रणाली से घाटा हो रहा है तो इसके भिन्न भिन्न कारण होंगे। फिर, दरों में एकाधिपत्यवादी ढंग से परिवर्तन किया गया जो कि समिति की सिफारिशों के विरुद्ध है। माननीय उपमंत्री ने इन बातों के बारे में कुछ भी नहीं बताया।

†**श्री शाहनवाज खां** : माननीय सदस्य को विदित होगा कि रेलवे प्रशासन स्वायत्तशासी एककों की भांति है। किसी रेलवे ने पाश्चात्य ढंग के भोजन को ज्यादा अच्छा समझा और उसी को प्रोत्साहन देने में उसे हानि उठानी पड़ी। अन्य रेलवे ने अन्य प्रकार की भोजन प्रणाली को प्रोत्साहन दिया। अभी तो विभागीय भोजन व्यवस्था का आरम्भ काल है। हम अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। जहां घाटा हुआ है वहां घाटे के कारणों पर विचार कर रहे हैं और जहां लाभ हुआ है वहां दामों में कमी कर रहे हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मूल उत्तर में उन्होंने जो कारण बताये थे वे कारण इस समय बताये गये कारणों से भिन्न हैं। क्या मूल उत्तर में बताये गये कारण ठीक नहीं हैं ?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : मूल उत्तर में बताये गये कारण ठीक हैं। घाटे के वही मुख्य कारण हैं। माननीय उपमंत्री ने कुछ और भी कारण बताये। कुछ रेलवे पर कुछ कारणों से पाश्चात्य ढंग की भोजन व्यवस्था है हम उसे एकाएक भारतीय ढंग में बदल नहीं सके हैं। पाश्चात्य ढंग के रेस्ट्रां कारों तथा डाइनिंग कारों में बहुत कम लोग खाना खाते हैं। यह भी एक कारण है कि मध्य रेलवे के बजाय पूर्वी रेलवे पर अधिक घाटा हुआ है। इन डाइनिंग कारों में इतने कम लोग खाना खाने आते हैं कि उसको चलाने का खर्चा भी पूरा नहीं पड़ता।

---

† मूल अंग्रेजी में

[श्री जगजीवन राम]

एकाधिपसवादी दरों के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वह गलत है। मैंने मध्य रेलवे तथा अन्य स्थानों पर रेस्ट्रां कारें देखी हैं। बम्बई में तो शहर के लोग भी मध्य रेलवे के डाइनिंग हाल में खाना खाने आते हैं। हम १४ आने या १८ आने में पूरा भोजन देते हैं। वह भोजन बहुत सन्तोषप्रद होता है। इतने कम दाम में इतना अच्छा भोजन ठेकेदार कभी भी नहीं दे सकता।

जहां तक मिठाइयों का सवाल है, दिल्ली में हमारे यहां अधिकांश मिठाइयां स्वयं बना ली जाती हैं कभी कभी किसी विशेष प्रकार की मिठाई बाजार से खरीदी जाती है। और हमें ऐसा करना ही पड़ता है क्योंकि कुछ लोग या कुछ परिवार एक विशेष प्रकार की चीजें पसन्द करते हैं तो हमें उसकी व्यवस्था करनी ही पड़ती है। दिल्ली की यह व्यवस्था इतनी लोकप्रिय हो गई है कि प्रायः व्यक्तिगत अवसरों पर भी लोग इन व्यवस्था करने वालों से व्यवस्था करने को कहते हैं। जब इस व्यवस्था में लोगों को अच्छा भोजन सस्ते दामों पर मिल जाता है तो हम या यात्री या दिल्ली की जनता क्यों इसे प्रोत्साहन न दें।

अतः स्पष्ट है कि पूड़ियों या मिठाइयों के मूल्य एकाधिपत्यवादी आधार पर बिल्कुल नहीं हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य हमारे रेलवे भोजन व्यवस्था की पूड़ी तथा अन्य स्थान की पूड़ी खाकर देखें तो उन्हें पता लगेगा कि हमारे यहां मूल्य ज्यादा नहीं है।

मैं स्वीकार करता हूं कि कुछ स्थानों पर घाटा हुआ है। पर माननीय सदस्य ने भोजन व्यवस्था जांच समिति के प्रतिवेदन का एक पैरा नहीं पढ़ा है। मैं उसे पढ़ कर सुनाता हूं। उसमें लिखा है :

> "विभाग द्वारा रेलों में जलपान तथा भोजन की व्यवस्था सस्तें दामों पर होनी चाहिये। विभागीय भोजन व्यवस्था के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार का भोजन और जलपान कि वस्तुयें दी जानी चाहियें। उद्देश्य यह होना चाहिये कि कुछ अर्से के बाद विभागीय भोजन व्यवस्था को न हानि न लाभ के आधार पर चलाया जाये यदि आरंभ में विभागीय भोजनव्यवस्था में कुछ हानि हो, तो उसे विज्ञापन पर खर्च समझा जाना चाहिय और उसका कुछ भाग 'यात्री सुविधा' के खाते में डाल देना चाहिये।"

माननीय सदस्य "कुछ अरसे के बाद" शब्दों पर ध्यान दें। संसार के सभी देशों में जहां भी परिवहनों पर विभागीय भोजन व्यवस्था चलाई गई वहां आरम्भ में घाटा ही हुआ। ब्रिटेन में बहुत घाटा उठाना पड़ा। सब से बड़ी बात तो यह है कि हम इस व्यवस्था के कर्मचारियों को उसका कई गुना वेतन देते हैं जितना ठेकेदार लोग वैसा ही काम करने वाले कर्मचारियों को देते हैं। ठेकेदार लोग बैरा तथा रसोइये को ३० रुपया मासिक तथा खाना देते थे पर ज्योंही हमने इस व्यवस्था को अपने हाथों में लिया उनका वेतन तुरन्त ७५ रुपये मासिक हो गया। घाटे का एक मुख्य कारण यह भी है।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मध्य रेलवे में लाभ क्यों हुआ है ?

†श्री जगजीवन राम : मैं पूर्वी रेलवे के घाटे तथा मध्य रेलवे के लाभ के कारणों को बता चुका हूं। माननीय सदस्य समझने की कोशिश करें। पूर्वी रेलवे पर पाश्चात्य ढग की भोजन व्यवस्था घाटे का मुख्य कारण है। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह होना चाहिये कि इससे केवल प्रथम श्रेणी या दूसरी श्रेणी के यात्रियों को ही नहीं बल्कि तीसरी श्रेणी के यात्रियों को भी सुविधा उठाने का अवसर मिले। अभी पूर्वी रेलवे में ऐसी व्यवस्था नहीं है और जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं हो जायेगी हानि होती ही रहेगी। इस सम्बन्ध में मैं कुछ कदम उठाने जा रहा हूं आशा है शीघ्र ही यह घाटे समाप्त हो जायेंगे।

**इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, १३ अगस्त, १९५७ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।**

---

†मूल अंग्रेजी में

# दैनिक संक्षेपिका

[सोमवार, १२ अगस्त, १९५७]


| | | पृष्ठ |
|---|---|---|
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर | | ३५०९—३९ |
| तारांकित | | |
| प्रश्न संख्या | विषय | |
| ७८० | संक्रामक यकृतकोप | ३५०९–१० |
| ७८१ | खंडवा-हिंगोली रेल सम्पर्क | ३५१०—१२ |
| ७८२ | प्रतिकरात्मक (नगर) भत्ता | ३५१२–१३ |
| ७८३ | रूपनारायण में नौपरिवहन | ३५१४ |
| ७८४ | रेलवे लाइनों की सुरक्षा | ३५१५ |
| ७८५ | भूख के कारण मौत | ३५१६–१७ |
| ७८६ | खाद्य उत्पादन | ३५१७—२० |
| ७८७ | केन्द्रीय भाण्डागार | ३५२०—२२ |
| ७८८ | डीज़ल कारें | ३५२२–२३ |
| ७८९ | गहरे समुद्र में मछली पकड़ना | ३५२३—२५ |
| ७९० | क्षिप्रा नदी के ऊपर पुल | ३५२५–२६ |
| ७९१ | फालतू खाद्यान्न | ३५२६—२८ |
| ७९३ | नाविक वास्तुशास्त्री | ३५२८–२९ |
| ७९४ | अरब सागर में मरी हुई मछलियां | ३५२९—३१ |
| ७९९ | रेलवे में मितव्ययता | ३५३१–३२ |
| अल्प सूचना | | |
| प्रश्न संख्या | | |
| ७ | माल तथा यात्री यातायात की प्रति मील दर | ३५३२–३३ |
| ८ | रेलवे दुर्घटना | ३५३३–३४ |
| ९ | हावड़ा-बर्दवान सैक्शन पर बिजली से रेलें चलाना | ३५३४—३६ |
| १० | स्टेशन मास्टर संथा द्वारा हड़ताल का नोटिस | ३५३६—३८ |
| ११ | इम्फाल नदी में बाढ़ें | ३५३८–३९ |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर | | ३५३९—६५ |
| तारांकित | | |
| प्रश्न संख्या | | |
| ७९२ | रेलवे बोर्ड | ३५३९ |
| ७९५ | कलकत्ता के नाविक | ३५३९–४० |
| ७९७ | ब्रह्मपुत्र में चलाये जाने के लिये नौकाएं (फेरी क्राफ्ट) | ३५४० |

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)


| तारांकित प्रश्न संख्या | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| ७९८ | ट्रैक्टर | ३५४० |
| ८०० | रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही | ३५४१ |
| ८०१ | त्रिपुरा में खाद्य स्थिति | ३५४१–४२ |
| ८०२ | पार्सल आफिस, कटक, में चोरी | ३५४२ |
| ८०३ | बिजली से चलने वाली रेलगाड़ियों का निर्माण | ३५४२ |
| ८०४ | चित्तरंजन रेलवे इंजन कारखाना | ३५४२ |
| ८०५ | राजस्थान में डाक तथा तार की सुविधायें | ३५४३ |
| ८०६ | यमुना पर सड़क का पुल | ३५४३ |
| ८०७ | कोयला लदान संयंत्र | ३५४४ |
| ८०८ | स्मारक डाक टिकट | ३५४४ |
| ८०९ | रात में चलने वाली रेलगाड़ियां | ३५४४–४५ |
| ८१० | आन्ध्र प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली लगाना | ३५४५ |
| ८११ | हिमाचल प्रदेश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम | ३५४५ |
| ८१२ | दोहरी रेलवे लाइनें बिछाना | ३५४५–४६ |
| ८१३ | मद्रास के लिये चावल | ३५४६ |
| ८१४ | मछली पकड़ने की नावों का निर्माण करने के कारखाने | ३५४६ |
| ८१५ | अमरीका से हेलीकोप्टर | ३५४७ |
| ८१६ | हुगली नदी के तटाग्र का कटाव | ३५४७ |
| ८१७ | डाक और तार वर्कशायें | ३५४७ |
| ८१८ | फल उत्पाद संगठन | ३५४८ |
| ८१९ | बिहार में सड़क और पुल का निर्माण | ३५४८–४९ |
| ८२० | फ्लैग स्टेशन | ३५४९ |
| ८२१ | बिहार को गेहूं का सम्भरण | ३५४९ |
| ८२२ | नर्मदा नदी के ऊपर सड़क के पुल | ३५५० |
| ८२४ | दक्षिण रेलवे पर दोहरी लाइनें | ३५५० |
| ८२५ | विशाखापटनम का जहाज बनाने का कारखाना (शिपयार्ड) | ३५५०–५१ |
| ८२६ | खाद्य अपमिश्रण अधिनियम | ३५५१ |
| ८२७ | फालतू कृषि वस्तुओं के बारे में भारत-अमरीकी करार | ३५५१ |
| ८२८ | रेलों पर सामान बेचने वाले | ३५५१–५२ |
| **अतारांकित प्रश्न संख्या** | | |
| ५८५ | कोयले के वैगन | ३५५२ |
| ५८६ | दोहरी रेलवे लाइनों का निर्माण | ३५५२–५३ |
| ५८७ | उड़ीसा में डाक सम्बन्धी सुविधायें | ३५५३ |
| ५८८ | लाख उद्योग | ३५५३ |
| ५८९ | रेलवे वैगनों का सम्भरण | ३५५३–५४ |
| ५९० | जलपोतों की खरीद | ३५५४ |
| ५९१ | पंजाब में राष्ट्रीय जल-सम्भरण और स्वच्छता योजना | ३५५४ |

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित

प्रश्न संख्या

५९२ दिल्ली के कटरों का जीर्णोद्धार ३५५४
५९३ दिल्ली परिवहन सेवा कर्मचारी ३५५५
५९४ रेलवे की आय ३५५६
५९५ परिचर्या और धात्री विद्या ३५५६
५९६ सेन्ट्रल स्टेशन, मद्रास ३५५६-५७
५९७ मनीपुर में मीनक्षेत्रों का विकास ३५५७
५९८ मनीपुर में टेलीफोन कनैक्शन ३५५७-५८
५९९ रेलवे उपकरण समिति ३५५८-५९
६०० डकोटा की खरीद ३५५९
६०१ डकोटा की खरीद ३५५९
६०२ किच्छा स्टेशन यार्ड ३५६०
६०३ रेलवे में क्लर्की सेवा ३५६०-६१
६०४ यात्री सुविधायें ३५६१
६०५ राष्ट्रीय राजपथ ३५६१
६०६ दक्षिण-पूर्व रेलवे का मिदनापुर-अदरा सैक्शन ३५६२
६०७ निद्रा की नई दवा ३५६२
६०८ दक्षिण-पूर्व रेलवे का पहरा एवं रक्षा विभाग ३५६२
६०९ रेलों में भरती ३५६२-६३
६१० रुद्रपुर-नौतनवा रेलवे लाइन ३५६३
६११ सामलकोट रेलवे स्टेशन ३५६३
६१२ केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन ३५६३-६४
६१३ आन्ध्र प्रदेश में जल संभरण योजनायें ३५६४
६१४ अंशदायी चिकित्सा सेवा योजना ३५६४
६१५ इंजन ३५६४
६१६ चीनी के कारखाने ३५६४-६५

मंत्री द्वारा वक्तव्य ३५६५

श्री अ०क० गोपालन द्वारा पूछने पर प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने सभा को बताया कि सरकार ने राष्ट्रपति को अत्यावश्यक सेवा संधारण अध्यादेश प्रतिसंहृत करने का परामर्श दिया है।

स्थगन प्रस्ताव ३५६६

अध्यक्ष ने उस स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जिसकी सूचना श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी ने दी थी और जो दिल्ली में १० अगस्त, १९५७ के तथाकथित बम विस्फोट के बारे में था।

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३५६७

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये :—

(१) राज-भाषा आयोग के प्रतिवेदन की एक प्रति।

विषय पृष्ठ

(२) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उपधारा (४) के अन्तर्गत निकाली गई निम्न अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(एक) दिनांक २० जुलाई, १९५७ का एस० आर० ओ० २३९४ ।

(दो) दिनांक २० जुलाई, १९५७ का एस० आर० ओ० २३९५ जिसमें सीमा शुल्क प्रत्याहृत (फ्लोरेसेंट बत्तियों के लिये चोक) नियम, १९५७ दिये हुए हैं ।

(तीन) दिनांक २० जुलाई, १९५७ का एस० आर० ओ० २३९६ ।

(चार) दिनांक २० जुलाई, १९५७ का एस० आर० ओ० २३९७ जिसमें सीमा शुल्क प्रत्याहृत (सैकरीन) नियम, १९५७ दिये गये हैं ।

(पांच) दिनांक २४ जुलाई, १९५७ का एस० आर० ओ० २३९९ ।

(छः) दिनांक २४ जुलाई, १९५७ का एस० आर० ओ० २४०० जिसमें सीमा शुल्क प्रत्याहृत (पटसन का सामान) नियम, १९५७ दिये हुए हैं ।

**प्रवर समितियों के प्रतिवेदनों के उपस्थापन के समय का बढ़ाया जाना**

धन-कर विधेयक और व्यय-कर विधेयक सम्बन्धी प्रवर समितियों के प्रतिवेदनों के उपस्थापन के लिये नियत समय क्रमशः १७ अगस्त, १९५७ और २६ अगस्त, १९५७ तक बढ़ा दिया गया ।

**विशेषाधिकार का प्रश्न** . . . . ३५७०

अध्यक्ष ने सभा को सूचित किया कि उन्होंने श्री बीरेन्द्र कुमार मजूमदार के, जिसने अपने को लोक-सभा का सदस्य बताया था और १५ जुलाई, १९५७ को शपथ ग्रहण की थी, विरुद्ध कोईकार्यवाही न करने का निश्चय कर लिया है क्योंकि चिकित्सा बोर्ड ने उसे विकृत मस्तिष्क वाला व्यक्ति घोषित कर दिया है ।

**अनुदानों की मांगें** . . . . . ३५६८—३६१३

पुनर्वास मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई और मांगें पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं ।

**आधे घंटे की चर्चा** ३६१३—३६१७

श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने रेलों में विभागीय भोजन व्यवस्था के सम्बन्ध में १९ जुलाई, १९५७ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १९१ के उत्तर से उत्पन्न होने वाले विषयों पर आधे घण्टे की चर्चा उठायी ।

रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया ।

**मंगलवार, १३ अगस्त, १९५७ के लिए कार्यावलि—**

इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर विचार तथा उनका स्वीकार किया जाना ।

P. L. S. 41. V. 22: 57.
170

भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित तथा लोक-सभा सचिवालय द्वारा लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ तथा ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित ।